षोडश बिहार विधान सभा के नवम सत्र के अन्तर्गत अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नोत्तरों की कुल संख्या-183 (एक सौ तिरासी) का किताब की मुद्रण कार्य हेतु आवश्यक कार्रवाई का संचिका के पृष्ठ 'क' पर रख दिया गया है।

'A' अत: उक्त प्रश्नोत्तरों का 350 (तीन सौ पचास) प्रतियों में किताब का मुद्रण कराने एवं एक प्रति सीडी कॉपी के उपलब्ध कराने हेतु सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना भेजने एवं उक्त प्रश्नोत्तरों को माननीय सदस्यों के स्वीप में रखने के साथ ही बिहार विधान सभा के प्रश्नों के लिए निर्मित वेबसाइट पर डालने का आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

आदेशार्थ एवं मांग पत्र का प्रारूप अनुमोदनार्थ

[illegible]
20/5/2019

[illegible]

उपर्युक्त [illegible] टिप्पणी।

उ.प. के अंश 'A' पर आदेश प्राप्त किया जा सकता है। आदेशोपरान्त प्रारूप निर्गत किया जा सकता है।

उप सचिव

सचिव

[illegible]
20/5/19

(वटेश्वर नाथ पाण्डेय)

[illegible]
20/05/19
[illegible]
20.5.19

20.5.19

[illegible] 20/05/19

मांग पत्र सं०-247 दिनांक 20/5/2019

अशोक स्तंभ
सत्यमेव जयते

षोडश बिहार विधान सभा के नवम सत्र के अन्तर्गत अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नोत्तरों की कुल संख्या 183 (एक सौ तिरासी)।

क्रमांक	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिन्ह	पृष्ठ
1.	श्री आबिदुर रहमान	द-03, द-61, गृह-10, गृह-12, गृह-14.	
2.	श्री डा० अब्दुल गफूर	अल्प-06	
3.	श्रीमती अरुणा देवी	कला-81	
4.	श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन	अनु-05, अनु-09	
5.	श्री अरुण कुमार	ज-77	
6.	श्री अमरनाथ गामी	द-136	
7.	श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय	द-130, ध-23	
8.	श्रीमती अमिता भूषण	कला-85	
9.	श्री अचमित ऋषिदेव	वि-06	
10.	श्री मो० आफाक आलम	ग्र-12, द-39	
11.	श्री अरुण कुमार सिन्हा	द-84	
12.	श्री आनंद शंकर सिंह	खा-10	
13.	श्री अशोक कुमार	द-25.	
14.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी	अल्प-15	
15.	श्री अनी मुन्नी उर्फ शान्ति सिंह यादव	कला-77	
16.	श्री अनिल कुमार यादव	कला-50	
17.	श्री भाई वीरेन्द्र	आ०प्र०-09	
18.	श्रीमती बेबी कुमारी	कला-46	
19.	श्री चन्द्रसेन प्रसाद	उन-16, उन-22	
20.	डा० सी० एन० गुप्ता	द-149, द-186	
21.	श्रीमती गुलजार देवी	द-97, द-192	
22.	श्री गुलाब यादव	ज-74	
23.	श्रीमती गायत्री देवी	उन-04, घ-13	
24.	श्री जीवेश कुमार	कला-71, कला-72	
25.	श्री जयवर्द्धन यादव	द-7	
26.	श्री जितेन्द्र कुमार	कला-65, कला-64, द-101, द-182, द-183.	
27.	श्री जितेन्द्र कुमार राय	पंच-16, [illegible]	

28. श्री कुमार सर्वजीत - ख-02, द-06
29. श्री ललन पासवान - छ:-03, ग्रा-07, ग्रा-08
30. श्रीमती लेशी सिंह - ग्राम्य-79
31. श्री ललित कुमार यादव - गृह-48
32. श्री लक्ष्मेश्वर राय - द-14, द-15, कला-78
33. श्री महबूब आलम - ख-08, ख-09, ग-15, गृह-114, द-193
34. श्री मनोहर प्रसाद सिंह - ग्रा-03, कला-54, गृह-172
35. श्री मिथिलेश तिवारी - छ:-13
36. डा० मो० मु० जावेद - ग्रा-09, द-50, कला-80
37. श्री मुनेश्वर चौधरी - कला-21
38. श्री मेवालाल चौधरी - कला-61, द-27, द-77
39. श्री मुजाहिद आलम - द-15, द-108
40. श्री मदन मोहन तिवारी - ज-02, द-115
41. श्री महेश्वर प्रसाद यादव - द-67, द-154
42. श्री मो० नेमतुल्लाह - वित्त-04, द-132
43. श्री मो० नवाज आलम - पं-07,
44. श्री नरेन्द्र नारायण यादव - गृह-31, गृह-30
45. श्री नीरज कुमार सिंह - द-91, द-92
46. श्री नितिन नवीन - द-94, द-114, द-112, द-138
47. श्री नारायण प्रसाद - छ:-01, खा-01
48. श्रीमती प्रेमा चौधरी - छ:-12
49. श्री प्रहलाद यादव - द-151
50. श्री प्रभुनाथ प्रसाद - ग्रा-02, गृह-65
51. सुश्री पुनम कुमारी उर्फ
52. पुनम पासवान - द-105, द-106, द-113
53. श्री रत्नेश सादा - कला-82, द-125
54. डा० रंजु गीता - सामु-15, कला-52, कला-53
55. श्री रामबालक सिंह - द-133
56. श्री रामविलास पासवान - कला-69, कला-70
57. डा० राजेश कुमार - य-24, शिक्षा-294

58. डा० रामानुज प्रसाद - उ-8, अल्प०-12
59. श्री राजकुमार राय - द-68
60. श्री रामदेव राय - गृह-222
61. श्री राजेन्द्र कुमार - अनु-12
62. श्री राजू तिवारी - ऊ-15
63. श्री रामविशुन सिंह - लघु-44
64. श्री राजेश कुमार - कला-51, द-90, त्र-166
65. श्री रामप्रीत पासवान - कला-79
66. श्री श्याम रजक - शिक्षा-46
67. श्री शत्रुघ्न तिवारी - कला-68
68. श्री शम्भुनाथ यादव - पुन-4
69. श्री शमीम अहमद - कला-59
70. श्री शकिल अहमद खाँ - ख:-16, ऊ-17, ऊ-18
71. श्री सत्यदेव राम - द-137
72. श्री संजय कुमार तिवारी - ऊ-19
73. श्री संजय सरावगी - ग्रा-11, ग्रा-12, गृह-23, गृह-226, द-18
74. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह - ग्राम-04, ख-12, पंच-12, कला-22
कला-58, कला-60, द-147
75. श्री सैयद अबु दौजाना - ग्रा०-63, द-26, गृह-36, गृह-38
76. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान - द-55, द-56, द-57, द-17
77. श्री सच्चीन्द्र प्रसाद सिंह - कला-44
78. श्री सदानंद सिंह - ख:-18
79. श्री समीर कुमार महासेठ - द-16, द-168
80. श्रीमती समता देवी - कला-66
81. श्री सुदामा प्रसाद - ख-01
82. श्री सरोज यादव - द-121
83. श्रीमती सावित्री देवी - द-144
84. श्री संजय कुमार सिंह - द-134
85. श्री तारकिशोर प्रसाद - ख-06, कला-49, कला-74
86. श्री मो० तौसीफ आलम - ख-18, कला-43
87. श्री उमेश सिंह कुशवाहा - अनु-06, ऊ-23
88. श्री उपेन्द्र पासवान - द-165.
89. श्रीमती वर्षा रानी - द-78
90. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह - ग्रा-03, गृह-15, ग्रा-32, कला-67

९१. श्री विजय प्रकाश — ह-73
९२. श्री विनोद प्रसाद यादव — प्रा.-01, ग्राम-05, न-46, गृह-51
९३. श्री वाशिष्ठ सिंह — न-71, कला-75
९४. श्री विजय कुमार खेमका — अनु-02, प्रा-10, कला-62
९५. श्री विजय कुमार विजय — कला-57, ह-148
९६. श्री विनय बिहारी — ऊज-17, कला-47, कला-48

6

श्री आबिदुर रहमान, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–द–03 का उत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खंड	श्री आबिदुर रहमान, माननीय, स०वि०स०	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के सदर अस्पताल अररिया में पिछले दो वर्षों से एक्स–रे एवं अल्ट्रासाउंड की जांच बंद है, जिसके कारण मरीजों को काफी ज्यादा राशि देकर बाहर से दोनों जाँच कराने को विवश है, यदि हाँ तो क्या सरकार उपर्युक्त जांच की व्यवस्था उक्त अस्पताल में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नही तो क्यों ?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल, अररिया में विगत 08 माह से एक्स–रे एवं अल्ट्रासाउंड की जांच बंद है, उक्त दोनों ही सेवाएं PPP मोड में संचालित है, विपत्र भुगतान लंबित रहने के फलस्वरूप सेवा दाता द्वारा सेवा रोक दी गई थी वर्तमान में सरकार द्वारा आवंटन प्राप्त है एक सप्ताह के अन्दर उक्त अस्पताल में एक्स–रे एवं अल्ट्रासाउंड का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:–12/प0–क्यू–04–04/2018 -332(12) /पटना, दिनांक:– 06/04/2018

प्रतिलिपि:–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–865–66 दिनांक–06.02.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

6

1484

बिहार विधान सभा चलते/आगामी सत्र के लिए श्री आबिदुर रहमान, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–61

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खण्ड	श्री आबिदुर रहमान, माननीय स० वि० स०	श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे बिहार में लागू है।	आंशिक स्वीकारात्मक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे बिहार राज्य में 31.03.2017 तक संचालित थी।
(2)	क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में उक्त योजना वर्ष 2016 से बंद है और इसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है।	स्वीकारात्मक नहीं है। अररिया जिला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 01.09.2015 से 31.03.2017 तक संचालित थी, उक्त अवधि में योजना का लाभ कुल 2883 बी०पी०एल० परिवारों को मिला है।
(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त योजना का लाभ अररिया जिलावासी को मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका (2) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। नयी बीमा योजना "आयुष्मान भारत" (National Health Protection Scheme) के तहत राज्य के सभी जिलों के लाभार्थी परिवारों को योजना का लाभ मुहैया कराये जाने पर सरकार विचार रखती है।

----X-----

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक :—18/बि०वि०प०—10/18 566 (18) पटना, दिनांक— 03/04/2018

प्रतिलिपि :—अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक 1354—1355 वि०स०, दिनांक—15.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :—संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :—प्रभारी अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा—13 को सूचनार्थ प्रेषित।

3.4.18

(रवीन्द्र यादव)
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

श्री आबिदुर रहमान, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या गृह-10 का उत्तरः-

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के पंचायत रामपुर, पूर्वी गोढ़ी चौक में एक कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबन्दी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान असुरक्षित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तु-स्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के पंचायत रामपुर, पूर्वी गोढ़ी चौक में स्थित कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में अंकित नहीं है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कण्डिका 6(34) में भी 'कब्रिस्तान की घेराबन्दी योजना' को शामिल किया गया है।

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

ज्ञापांक-सी/ए०क्यू०-4424/2018 4203 /पटना, दिनांक- 7/5/18

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का ज्ञापांक-270-271, दिनांक-06.02.2018 के आलोक में 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 7/5/18
(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

श्री आबिदुर रहमान, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या गृह-12 का उत्तरः-

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के हरिया पंचायत के हरिया बाड़ा कब्रिस्तान का घेराबन्दी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तु-स्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के हरिया पंचायत के हरिया बाड़ा कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर निर्धारित प्राथमिकता सूची के क्रमांक-4 एवं 5 में अंकित है। प्राथमिकता सूची के क्रमांक-1 एवं 3 पर अंकित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी हो चुकी है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढ़ंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कण्डिका 6(34) में भी 'कब्रिस्तान की घेराबन्दी योजना' को शामिल किया गया है।

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

ज्ञापांक-सी/ए0क्यू0-4425/2018- 4266. /पटना, दिनांक- 8/5/18.

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का ज्ञापांक-274-275, दिनांक-06.02.2018 के आलोक में 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9

8/5/18

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

श्री आबिदुर रहमान, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या गृह–14 का उत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया जिलान्तर्गत अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के बसंतपुर पंचायत के कोसकीपुर एवं तजिया चौक वाली कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कण्डिका 6(34) में भी 'कब्रिस्तान की घेराबन्दी योजना' को शामिल किया गया है।

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

ज्ञापांक–सी/ए0क्यू0–4423/2018 4188 /पटना, दिनांक– 7/5/2018

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का ज्ञापांक–278–279, दिनांक–06.02.2018 के आलोक में 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/5/18

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार विधान सभा के चलते सत्र के लिए श्री डा0 अब्दुल गफूर, सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– अल्प–06 प्रश्नोत्तर।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–क्या यह बात सही है कि पटना जिला में 42 करोड़ रूपये की लागत से साल 2016–17 में अनजुमन इस्लामिया हॉल पटना की वर्त्तमान इमारत (भवन) की जगह पर नया भवन निर्माण करने का सरकार ने निर्णय लिया था लेकिन अबतक निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार अनजुमन इस्लामिया हॉल का नया भवन निर्माण कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त निर्माण हेतु कुल 35.18 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गयी थी जिसके आलोक में कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विस्तृत प्राक्कलन गठन कर दिनांक– 20.06.2017 को 4140.00 लाख की प्रावैधिक स्वीकृति तथा दिनांक– 14.12.2017 को 4122.00 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्यान्यवन एजेंसी द्वारा दिनांक– 10.07.2017 को पहली बार ई–निविदा की गयी जिसमें किसी निविददाता द्वारा भाग नहीं लिया गया। फलस्वरूप दिनांक– 04.08.2017 को दूसरी बार ई–निविदा की गयी जिसमें एकल निविदा प्राप्त हुई जिसे निदेशक पर्षद की 37वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात कार्यकारी एजेंसी द्वारा दिनांक– 27.12.2017 को तीसरी बार ई–निविदा की गयी जिसमें भी एकल निविदा प्राप्त हुई एकल निविदा की स्थिति में भी संवेदक द्वारा अर्हता पूरा नहीं करने के कारण निविदा रद्द कर दिया गया।

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ज्ञापांक– अ0सं0क0–04–15–(वक्फ)–04/2018 455 /   पटना, दिनांक 25.5.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 825–826 वि0 स0, दिनांक– 28.02.2018, के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/05/18

सहायक निदेशक

श्रीमती अरूणा देवी, माननीया स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–81

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के काशीचक प्रखण्ड में स्टेडियम नहीं है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि इंटर विद्यालय, चंडीनोवां काशीचक में स्टेडियम हेतु बड़ा मैदान है, जहाँ खेलक–कूद का आयोजन होता है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त मैदान में स्टेडियम कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिला के काशीचक प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, नवादा से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1352, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–83, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–463, दिनांक–23.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–202/2018...478/ पटना, दिनांक ...26.3.../2018

प्रतिलिपि :– श्रीमती अरूणा देवी, माननीया स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–4322–23, दिनांक–21.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 अनु0 –5

	बिहार विधान सभा के आगामी अधिवेशन के लिए श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 अनु0–5	श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना।
	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय में अवस्थित राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास में मेस भवन एवं अध्ययन भवन नहीं रहने के कारण छात्रों को खाना पकाने एवं अध्ययन करने में कठिनाईयों का सामना करना पडता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त छात्रावास परिसर में मेस भवन एवं अध्ययनरत भवन का निर्माण कार्य कब तक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप सेस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि • समस्तीपुर जिला मुख्यालय के काशीपुर अवस्थित राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास के परिसर में 200 आसन के नये छात्रावास भवन के निर्माण की स्वीकृति पत्रांक–81 दिनांक–03.11.2017 द्वारा दी गई है। जिसकी प्राक्कलित राशि 626.59 लाख (छः करोड़ छब्बीस लाख उनसठ हजार रू0) मात्र है। योजना का कार्यन्यवन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के द्वारा कराया जा रहा है। उक्त प्राक्कलन में छात्रावास भवन के साथ अधीक्षक आवास, पुस्तकालय, मेस भवन शामिल है। छात्रावास के परिसर का उन्नयन भी किया जाना है। • जिला कल्याण पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–1493 दिनांक–30.12.2017 एवं पत्रांक–284 दिनांक–28.02.2018 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, समस्तीपुर से मेस भवन एवं अध्ययन भवन के निर्माण के लिए प्राक्कलन की माँग की गई है। सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी।

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञापांक–3/निदे0 बि0वि0स0(तारां प्रश्न)–90–03/2018 - 1599 दिनांक - 29.06.18

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उत्तर की छः प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0–2429–2430 दिनांक–23.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

29/6/2018

सरकार के अवर सचिव

श्री अख्तारूल इस्लाम शाहीन, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 अनु0–9

	बिहार विधान सभा के आगामी अधिवेशन के लिए श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 अनु0–9	श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना।
	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय में अवस्थित राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास परिसर में जल निकासी की व्यवस्था नही रहने के कारण पूरे साल खासकर बरसात के दिनों में जल–जमाव से छात्रों को परेशानी होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त छात्रावास परिसर से जल निकासी की व्यवस्था कब तक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि • समस्तीपुर जिला मुख्यालय के काशीपुर अवस्थित राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास के परिसर में 200 आसन के नये छात्रावास भवन के निर्माण की स्वीकृति पत्रांक–81 दिनांक–03.11.2017 द्वारा दी गई है। जिसकी प्राक्कलित राशि 626.59 लाख (छः करोड़ छब्बीस लाख उनसठ हजार रू0) मात्र है। योजना का कार्यन्यवन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के द्वारा कराया जा रहा है। उक्त प्राक्कलन में छात्रावास भवन के साथ अधीक्षक आवास, पुस्तकालय, मेस भवन शामिल है। छात्रावास के परिसर का उन्नयन भी किया जाना है। • जिला कल्याण पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–1674 दिनांक–16.11.2017 एवं पत्रांक–290 दिनांक–01.03.2018 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, समस्तीपुर से जल निकासी हेतु सोखता निर्माण के लिए प्राक्कलन की माँग की गई है। सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी।

बिहार सरकार

<u>अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग</u>

ज्ञापांक–3/निदे0 बि0वि0स0(तारां प्रश्न)–90–06/2018–/652 पटना, दिनांक– 05.07.18

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उत्तर की छः प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0–2585–86 दिनांक–27.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

5/7/2018

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–3/निदे0 बि0वि0स0(तारां प्रश्न)–90–06/2018–/652 पटना, दिनांक– 05.07.18

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, विधायी शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण, विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/7/2018

सरकार के अवर सचिव।

श्री अरूण कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त
तारांकित प्रश्न सं0–ज–77

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अरूण कुमार, सदस्य, बिहार विधान सभा,	श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं0–13 में अवस्थित महावीर मंदिर के उत्तर स्थित नाला नियमित सफाई के अभाव में अतिक्रमित हो जाने के कारण भर गया है, यदि हां तो क्या सरकार महावीर मंदिर अवस्थित नाला की नियमित सफाई कराने एवं अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि यह नाला महावीर मंदिर से होकर बाईपास (विष्णुपुरी) तक विस्तारित है। कुछ लोगों द्वारा मकान बनाने के क्रम में नाले को अवरूद्ध कर दिया जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ष नाला उड़ाही के क्रम में अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाता है। इस वर्ष भी अतिक्रमण हटाते हुए उड़ाही करा दी जायेगी।

ज्ञापांक–5न0वि0/वि0स0–20/2018 1613 /न0वि0एवंआ0वि0 /पटना, दिनांक:– 19/3/18

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा के ज्ञाप सं0–3280–81 दिनांक–08.03.2018 के प्रसंग में उत्तर सामग्री पांच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, नगर विकास एवं आवास विभाग सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/18

सरकार के उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

श्री अमरनाथ गामी, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–136, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री अमरनाथ गामी, स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अन्तर्गत हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित किया गया है परन्तु अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप भवन का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण अतिशीघ्र प्रारंभ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्क्रमित किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने के बावजूद भी भूमि के अभाव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप भवन का निर्माण नहीं किया जा सका है। जिला पदाधिकारी, दरभंगा से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः– 10/प्र0(वि0स0) 13–74/2018 – 73(10) स्वा0, पटना, दिनांकः– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2140–41, दिनांक 09.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

1496

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–130, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड पंचायत मझवलिया के ग्राम–नेहरूआ काला में स्वास्थ्य उपकेन्द्र किराये के मकान में चलता है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, नेहरूआ काला पंचदेवरी प्रखंड अन्तर्गत है । वर्त्तमान में यह किराये के भवन में संचालित है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हेतु जिलाधिकारी, गोपालगंज से अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त विहित प्रक्रियानुसार भवन निर्माण की जाएगी।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–72/2018 59(110) स्वा0, पटना, दिनांक:– 12.04.18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2088–89, दिनांक 08.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–घ–23 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, माननीय स0वि0स0	श्री संतोष कुमार निराला, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग
क्या मंत्री, परिवहन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के जलालपुर बाजार, कुचायकोट बाजार से पटना तक के लिए सरकार द्वारा प्राइवेट बसों के संचालन हेतु परमिट दिया गया है, परन्तु उक्त प्राइवेट बसों का परिचालन उक्त रूट पर नहीं हो रहा है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उपर्युक्त बसों का परिचालन सुनिश्चित कराने का विचार रखती है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के जलालपुर बाजार, कुचायकोट बाजार से पटना तक के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छपरा से विभिन्न वाहनों के पक्ष में 17 परमिट निर्गत है । उक्त वाहनों का परिचालन विषयांकित मार्ग पर नियमित रूप से किया जा रहा है ।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

ज्ञापांक–04 / एस0टी0ए0 (वि0म0प्र0)–06 / 2018 परि0 4128 पटना,दिनांक:–25/6/18

प्रतिलिपि:– अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3556–57, दिनांक–09.03.2018 के संदर्भ में 05 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी–1 परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

श्रीमती अमिता भूषण, माननीया स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–85

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मंत्री ने बेगुसराय जिला के सकरपुरा बखरी में चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के दौरान गांधी स्टेडियम बेगुसराय के विस्तारीकरण सहित जीर्णोद्धार का आश्वासन दिया था, यदि हाँ तो सरकार उक्त स्टेडियम के जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मंत्री ने बेगुसराय जिला के सकरपुरा बखरी में चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के दौरान गांधी स्टेडियम बेगुसराय के विस्तारीकरण सहित जीर्णोद्धार का आश्वासन से संबंधित जानकारी की मांग विभागीय पत्रांक–508, दिनांक–28.03.2018 द्वारा की गयी है। जानकारी प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–210/2018...527.../ पटना, दिनांक ...03.4.../2018

प्रतिलिपि :– श्रीमती अमिता भूषण, माननीया स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–4648–49, दिनांक–26.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.4.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

माननीय स०वि०स० श्री अचमित ऋषिदेव द्वारा बिहार विधान सभा के चलते/आगामी अधिवेशन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पि०–06 की उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज में पिछड़े वर्ग की कन्याओं के लिए आवासीय उच्च विद्यालय नहीं है, जबकि इस प्रखंड में पिछड़े वर्ग की जातियों की संख्या सर्वाधिक है; यदि हाँ तो क्या सरकार रानीगंज में पिछड़े वर्ग की कन्याओं के लिए आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग की छात्राओं के लिए कुल 12 अन्य पिछड़ा कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं जिनमें वर्ग–6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। वर्तमान में अररिया जिले के रानीगंज में पिछड़े वर्ग की कन्याओं के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–पि०व०/वि०स०–65–08/2018–684 पटना–15, दिनांक– 21/03/18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2229–30/वि०स० दिनांक–20.02.2018 के प्रसंग में 7 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20-3-18
(सुमन सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

Bidhan Shabha/v.k.

मो0 आफाक आलम, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित

प्रश्न सं0-त्र-12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत केनगर प्रखंड के बेलारिकाबगंज पंचायत के जोका गाँव रंगाघाट तक, का कटाव सौरा नदी से विगत 10 वर्षो से हो रहा है, जिससे उक्त पंचायत के 100 घर नदी में विलिन हो गए है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँवों में कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत केनगर प्रखंड के बेलारिकाबगंज पंचायत के जोका गाँव रंगाघाट तक का सौरा नदी से वर्त्तमान में कोई कटाव नही हो रहा है । विभागीय पत्रांक-1254 दिनांक-20.03.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार को प्रश्नागत स्थल पर सतत् निगरानी एवं चौकसी बरतने हेतु निदेशित किया गया है। बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है ।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 10/वि0स0प्र0 (क0)–05–11/18, 1504 / पटना, दिनांक– 25.5.18

प्रतिलिपिः– पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ सहित, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्रांक–782–83 दिनांक–08.02.18 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
2. माननीय सदस्य को उत्तर प्रतिवेदन की प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

22/05/2018

(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभि0)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

TSC-2/D./BPK/BPK/2018/May-2018/Sec-10

1513

मो0 आफाक आलम, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 –द–39 का उत्तर

	प्रश्नकर्त्ता मो0 आफाक आलम, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय मंत्री स्वास्थ्य, विभाग।
(क)	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– क्या यह सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ड्रेसर का एक पद स्वीकृत है;	• स्वीकारात्मक है।
(ख)	क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में विगत 5 वर्षो से ड्रेसर का पद रिक्त होने से रोगियों को इलाज कराने में कठिनाई होती है;	• आंशिक स्वीकारात्मक है। • वस्तुस्थिति यह है कि ड्रेसर का पद रिक्त है। परन्तु जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होती है तब तक यह कार्य वहाँ के ए0एन0एम0 द्वारा की जाती है।
(ग)	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में ड्रेसर का पदस्थापन कब तक कराने का विचार रखती है नहीं तो क्यों ?	• वस्तुस्थिति यह है कि ड्रेसर पद पर नियमित नियुक्ति हेतु नियमावली संशोधन की कारवाई सम्पन्न कर ली गई है। नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग को शीघ्र भेज दी जाएगी। • जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है, तब तक के लिए सिविल सर्जन को वाक –इन–इटरव्यू के माध्यम से संविदा पर सभी रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया गया है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक–4/क्यू0–01–06/2018–45/(4) /पटना, दिनांक–25/4/2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–1142–49 वि0स0 दिनांक–11.02.2018 के प्रसंग में (पांच अतिरिक्त प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.4.18

सरकार के अवर सचिव

1481

श्री अभय कुमार सिन्हा, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–84, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री अभय कुमार सिन्हा, स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी प्रखंड के रकसिया महमन्ना, लाव, गंगासागर, भवनपुर, शाहवारा, उर विशुनपुर, अमरपुर, रूपसपुर, कुल्लुपुर, मलबारी, खनेटू, टेपा, पलुहड़ इगूना, खैरा एवं शाहगंज गाँवों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र अवस्थित है, जो भवनहीन है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त गाँवों में अवस्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। भूमि के अभाव में प्रश्नगत स्वास्थ्य उपकेन्द्र किराये के मकान में संचालित है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण विहित प्रक्रियानुसार कराया जाएगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–41/2018 51(16) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13.04.18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1579–80, दिनांक 27.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 12.04.18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री आनन्द शंकर सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 08.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या खा०–10 हेतु उत्तर

प्रश्नकर्त्ता श्री आनन्द शंकर सिंह माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता श्री मदन सहनी, माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।	
(1)	क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर एक प्लाईट होने के बावजूद औरंगाबाद जिले का खाद्य, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा सासाराम रेलवे स्टेशन पर रैक लगवाया जाता है, यदि हॉ तो इसका क्या औचित्य है ?	(1)	अस्वीकरात्मक है। निगम मुख्यालय से प्राप्त आवंटन के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम से विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है । भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्गत विमुक्ति आदेश के आलोक में राज्य खाद्य निगम के द्वारा खाद्यान्न उठाव का कार्य किया जाता है । इसी के आलोक में माह जून, 2017 तक खाद्यान्न उठाव का कार्य भारतीय खाद्य निगम के अधीनस्थ सासाराम SWC गोदाम से किया गया है । माह जुलाई, 2017 हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा PEG, A.N. Road औरंगाबाद गोदाम से खाद्यान्न उठाव करने हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया गया, परन्तु मजदूरों के हड़ताल से उठाव कार्य बाधित हुआ। तदुपरांत क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, गया के पत्रांक–7956, दिनांक 28.06.2017 द्वारा निर्गत विमुक्ति आदेश के आलोक में SWC सासाराम गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कार्य कराया गया। पुनः माह अगस्त 2017 से PEG, A.N. Road औरंगाबाद गोदाम से भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त विमुक्ति आदेश के आलोक में खाद्यान्न का उठाव किया जा रहा है । निगम मुख्यालय द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में औरंगाबाद जिला से अन्तर जिला को आवंटित सी०एम०आर० का परिवहन रैक के माध्यम से अनुग्रह नारायण रोड, रैक प्वाइंट औरंगाबाद से किया जाता है ।

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापांक–प्र0–06–वि0स0–05/18 - 2817 - /खाद्य,पटना/दिनांक 12.06.2018

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2801–02 दिनांक 01.03.2018 के प्रसंग में पॉच प्रतियों के साथ/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी–09 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भरत कुमार दुबे)
सरकार के अपर सचिव

D:\Year\2017\Assembly\Question-Year-2018\Bihar Vidhan Sabha.doc

श्री अशोक कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–छ:–25 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता (श्री अशोक कुमार) सदस्य, बिहार विधान सभा।	उत्तरदाता (श्री सुशील कुमार मोदी) उप मुख्य मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।
1.	क्या यह बात सही है कि पटना शहर के सड़कों के किनारे लगे पुराने वृक्ष काफी संख्या में सूख गए हैं, कुछ रोड वाईडनिंग की वजह से काटे गये हैं ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सड़क चौड़ीकरण हेतु जिन बड़े एवं झुके वृक्षों को हटाया जाना आवश्यक था, को काट कर हटाया गया है। मध्यम एवं छोटे आकार के 2559 पौधों को बेली रोड से ऑफ पोलो रोड में पुनर्स्थापित किया गया है। पुनर्स्थापित पौधे स्वस्थ है।
2.	क्या यह बात सही है कि सड़कों के किनारे लगे पेड़ों के जड़ों को पूरी तरह से सीमेन्ट कंकरीट से ढक देने से पेड़ पौधे पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। सड़कों के किनारे लगे पेड़ों के जड़ों को पूरी तरह से सीमेन्ट कंक्रीट से ढ़क देने के कारण पौधे की जड़ों में पानी, खाद, वायु की अनुपलब्धता से लम्बे समय बाद पौधे सूख जाते है। इस कारण इसे सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पटना शहर के सड़कों के किनारे लगे सभी पेड़–पौधे के ग्रउटिंग कर सुरक्षित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	ग्राउटिंग से पेड़ पौधे को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। ग्राउटिंग पक्की दीवारों, अन्डरपास इत्यादि में जलभराव से रोकने के लिए सीमेन्ट कंक्रीट की सहायता से किया जाता है। यह तरीका पौधों के लिए तकनीकि रूप से सही नहीं है। अतः पटना शहर की सड़कों के किनारे लगे पेड़–पौधों को ग्राउटिंग कर सुरक्षित करने का प्रस्ताव विचारणीय नहीं है।

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

ज्ञापांकः–1/बि0वि0स0–35/2018–1051 /प०व० पटना–15, दिनांक 02.04.2018

प्रतिलिपिः– सरकार के प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(रत्नेश झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/बि0वि0स0–35/2018–1051 /प०व० पटना–15, दिनांक 02.04.2018

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–4149–50, दिनांक 19.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रत्नेश झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी मा0स0वि0स बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–अल्प–15 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–क्या यह बात सही है कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के पत्रांक–1034 दिनांक–14.06.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र लिखा गया है कि रउफिया वक्फ स्टेट नं. 1488 भूसौला दानापुर, पटना की सम्पत्ति पर वक्फी बोर्ड को दखल कब्जा दिलाया जाए, यदि हॉ, तो सरकार रउफिया वक्फ स्टेट की सम्पत्ति पर वक्फ बोर्ड को कबतक दखल कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 235 दिनांक 21.03.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर के पत्रांक 1507 दिनांक 12.07.2017 द्वारा अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को वक्फ स्टेट सं0 1488 भूसौला दानापुर की सम्पत्ति पर दखल कब्जा दिलाने हेतु निदेशित किया गया, तदपश्चात् अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा दिनांक 25.10.2017 को सभी विपक्षियों को सूचना निर्गत करते हुए दिनांक 06.11.2017 तक वक्फ स्टेट की सम्पत्ति को खाली कराने का नोटिस निर्गत किया गया। जिसके आलोक में विपक्षियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में C.W.J.C. संख्या 16517/2017 मो0 इरशादुल्लाह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 21.11.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दखल कब्जा की कार्रवाई न्यायोचित नही है।

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ज्ञापांक- अ0सं0क0-07-15(वक्फ)-07/2018...708/ पटना, दिनांक 21.6.18

प्रतिलिपिः- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक- 1307-1308/वि0स0 दिनांक 15.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/06/18

सहायक निदेशक

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–77

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में एक स्टेडियम निर्माण का प्रावधान है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत थरथरी प्रखण्ड में स्टेडियम नहीं रहने के कारण खेल प्रेमियों को कठिनाई हो रही है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिलान्तर्गत थरथरी प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, नालंदा से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1354, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–81, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–466, दिनांक–23.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–198/2018..487../ पटना, दिनांक 26.3 /2018

प्रतिलिपि :– श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–4194–95, दिनांक–20.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री अनिल कुमार यादव, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–50

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के भरगामा प्रखण्ड के सिरसिया कला एवं नरपतगंज प्रखण्ड के बसमतिया में स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है; यदि हाँ तो सरकार उपर्युक्त प्रखंड में स्टेडियम का कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिला के भरगामा प्रखण्ड एवं नरपतगंज प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, अररिया से विभागीय पत्रांक–524,दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–75, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक– 335, दिनांक–09.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–171/2018.352./ पटना, दिनांक 12.3 /2018

प्रतिलिपि :– श्री अनिल कुमार यादव, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3026–27, दिनांक 06.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

बिहार विधान सभा के लिए श्री भाई वीरेन्द्र, मा० स०वि०स० से प्राप्त
अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ० सू०–9

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खण्ड	श्री भाई वीरेन्द्र, माननीय स०वि०स० क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
क	क्या यह बात सही है कि कैंसर, हृदय, किडनी और बहरेपन जैसे असाध्य रोगों के शिकार मरीजों के इलाज में सहायता हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से आई०जी०आई० एम०एस०, पटना को पिछले तीन वित्तीय वर्षो में कुल–50 करोड़ की राशि आवंटित की गयी थी, जिसकी निकासी कर वितरण का अभिलेख स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कैंसर, हृदय, किडनी और बहरेपन जैसे असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से IGIMS, शेखपुरा, पटना को पिछले तीन वित्तीय वर्षो में (यथा 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17)में कुल रू0 21,85,22,950/– (इक्कीस करोड पचासी लाख बाईस हजार नौ सौ पचास रू0) राशि मरीजों के ईलाज हेतु उपलब्ध कराया गया है जिसके विरूद्ध दिनांक 31.3.17 तक उनके द्वारा कुल रू0 12,36,97,244/–(बारह करोड़ छतीस लाख सनतानबे हजार दो सौ चौवालीस रू0) ईलाज में व्यय किये जाने की सूचना अधीक्षक, IGIMS, शेखपुरा, पटना द्वारा दी गई है। विभागीय पत्रांक 452(14) दिनांक 15.3.18 से आई0जी0आई0एम0एस0 शेखपुरा को निदेशित किया गया है कि व्यय विवरणी को अद्यतन करते हुए अवशेष राशि विभाग को वापस कर दें।

P.T.O

(10)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक–14/क्यू–04/18 622(14) पटना, दिनांक– 10.4.18

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान–सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापाक –1989–91 वि0स0 दिनांक–07.03.2018 के प्रसग में 5(पॉच) प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।/संसदीय कार्य विभाग एवं विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी–13, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामेश्वर प्रसाद दास)
निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर)
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

श्रीमती बेबी कुमारी, माननीया स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–46

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि– क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहाँ विधान सभा अंतर्गत बोचहाँ प्रखण्ड में युवाओं छात्रों के खेल में विकास हेतु स्टेडियम नहीं है, जबकि उक्त प्रखण्डान्तर्गत रोहुआ पंचायत में स्टेडियम निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ तो सरकार बोचहाँ प्रखण्ड में स्टेडिम निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहाँ विधान सभा अंतर्गत बोचहाँ प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–68, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–333, दिनांक–09.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–168/2018...356./ पटना, दिनांक .....12.3...../2018

प्रतिलिपि :– श्रीमती बेबी कुमारी, माननीया स0 वि0 स0, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3018–19, दिनांक 06.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12-03-18

निदेशक,
छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–16

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत एकगंरसराय प्रखंड के ऑगारी धाम का महत्व वैदिक काल से ही है एवं वर्तमान में छठ पर्व में अर्ग्य देने के लिए राज्य के कोने कोने से लोग पहुंचते है, यदि हां तो क्या सरकार ऑगारी धाम को बड़गॉव के तर्ज पर सूर्य सर्किट से कब तक जोड़ने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	जिला पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–526, दिनांक–11.03.2018 एवं पत्रांक–466, दिनांक–07.03.2018 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी है जो अप्राप्त है। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सुर्य सर्किट से संबंधित कोई योजना नहीं है। अंगारी धाम के पास पर्यटकीय सुविधा के निर्माण हेतु परियोजना प्रतिवेदन बनाने का निदेश विभागीय वास्तुविद को दिया गया है।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–16 / 18.....591.......   पटना, दिनांक...15-3-18

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–1658–1659 दिनांक 28.02.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में / संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 15/3/18

प्रशाखा पदाधिकारी,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–22

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत इस्लामपुर नगर पंचायत वैदिक काल से एक धार्मिक स्थल है, जहाँ दिल्ली दरबार, 53 द्वार 52 कोठी, अयोध्या ठाकुरबाड़ी, प्राचीन सूर्य मंदिर, जैन धर्म का दिगम्बर जैन मंदिर बड़ी संगत, इस्लाम धर्म प्रसिद्ध मजार एवं अन्य दर्शनीय स्थल है, यदि हाँ तो क्या सरकार इस्लामपुर नगर पंचायत को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	जिला पदाधिकारी, नालन्दा से विभागीय पत्रांक 543 दिनांक 12.03.2018 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है। जो अभी अप्राप्त है। पर्यटन रोडमैप में सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–22 / 18 597 पटना, दिनांक 15-3-18

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–2126–27 दिनांक 09.03.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/18

प्रशाखा पदाधिकारी,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

डॉ० सी०एन० गुप्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–149, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता डॉ० सी०एन० गुप्ता, स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि छपरा जिलान्तर्गत रिविलगंज प्रखंड के कचनार पंचायत में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का 10 वर्ष पूर्व निर्माण कार्य शुरू किया गया था लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, यदि हाँ तो सरकार स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर चालू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कचनार पंचायत में प्रश्नगत स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन संवेदक द्वारा पूर्ण रूप से निर्मित नहीं किये जाने के कारण हस्तगत नहीं कराया गया है। उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र के संबंध में निर्माण एजेन्सी भवन निर्माण विभाग से तद्संबंधी सूचना प्राप्त होने के उपरान्त सम्यक विचारोपरान्त निर्माण कार्य कराया जाएगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–83/2018 – 87(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2271–72, दिनांक 12.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

क्रमांक–

डॉ० सी०एन० गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–186, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता डॉ० सी०एन० गुप्ता, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के सदर अस्पताल, छपरा में चिकित्सकों एवं उपाधीक्षक के आवासीय भवन नहीं होने के कारण चिकित्सक एवं मरीजों को काफी कठिनाई होती है;	स्वीकारात्मक है।
(2)	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अस्पताल के चिकित्सकों एवं उपाधीक्षक के लिए आवासीय भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, छपरा परिसर स्थित भूमि का उपयोग पारा मेडिकल संस्थान के भवन निर्माण में किया जा रहा है। चिकित्सकों एवं उपाधीक्षक के आवासीय भवन का निर्माण भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त विहित प्रक्रियानुसार कराया जाएगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–97/2018 –66(10) स्वा0, पटना, दिनांक– 13-4-18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2576–77, दिनांक 15.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्रीमती गुलजार देवी, माननीया स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–97, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती गुलजार देवी, स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित कोसी दियारा के पंचायत गढ़गॉव के गढ़गांव एवं भवानीपुर में वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना नहीं की गयी है, यदि हाँ तो क्यों सरकार उक्त स्थानों में प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुर प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेन्द्र, भवानीपुर पूर्व से स्वीकृत है परन्तु भूमि के अभाव में संचालित नहीं है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त प्राथमिकता पर विहित प्रक्रियानुसार स्वास्थ्य उपकेन्द्र के नये भवन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। स्वास्थ्य उपकेन्द्र, गढ़गॉव की स्वीकृति नहीं हुई है एवं भवानीपुर से गढ़गॉव की दूरी मात्र 1/2 किलोमीटर है। अतएव गढ़गॉव में अलग से स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। भवानीपुर एवं गढ़गॉव से तीन किलोमीटर के अन्दर अवस्थित बसीपट्टी स्वास्थ्य उपकेन्द्र में पदस्थापित ए०एन०एम० द्वारा टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–58/2018 – 72(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1628–1629, दिनांक 28.02 2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

क्रमांक–

श्रीमती गुलजार देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–192, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती गुलजार देवी, माननीया स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड के अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, ब्रह्मपुर एवं खोपा भवनहीन है, यदि हाँ तो सरकार उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्रह्मपुर एवं खोपा भूमि के अभाव में किराये के मकान में संचालित है जहाँ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त विहित प्रक्रियानुसार दोनों अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य कराया जाएगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः– 10/प्र0(वि0स0) 13–99/2018 – 570(10) स्वा0, पटना, दिनांकः– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2719–20, दिनांक 16.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री गुलाब यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त
तारांकित प्रश्न सं0–ज–74

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री गुलाब यादव, सदस्य, बिहार विधान सभा:	श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिले के झंझारपुर नगर पंचायत की जनसंख्या अधिक हो गयी है, परन्तु अभी तक नगर परिषद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, यदि हाँ तो सरकार झंझारपुर को नगर परिषद का दर्जा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पंचायत, झंझारपुर की कुल जनसंख्या 30590 है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा–3 के प्रावधानानुसार मध्यम शहरी क्षेत्र के गठन की दशा में कुल जनसंख्या 40,000 या उससे अधिक किन्तु 2,00,000 से अनाधिक, परन्तु सभी दशाओं में गैरकृषि जनसंख्या 75% या उससे अधिक होना आवश्यक है। अतः उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार नगर पंचायत, झंझारपुर, नगर परिषद का दर्जा प्रदान करने की अर्हता प्राप्त नहीं करता है।

ज्ञापांक–5न0वि0/वि0स0–21/2018 1616 /न0वि0एवंआ0वि0 /पटना, दिनांक:– 19/03/18

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा के ज्ञाप सं0–3286–87 दिनांक–08.03.2018 के प्रसंग में उत्तर सामग्री पांच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, नगर विकास एवं आवास विभाग सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/18
सरकार के उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

श्रीमती गायत्री देवी, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–04

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखण्ड अन्तर्गत मढ़िया ग्राम में भगवान शिव का भव्य मंदिर है, यहां शिवरात्रि एवं सावन माह में श्रद्धालु लाखों संख्या में जल चढ़ाने आते हैं,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि यहां पर सरकारी बाजार एवं मेला लगता है लेकिन यहां पर मूलभूत एवं आधारभूत सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण लागों को कठिनाई होती है,	स्वीकारात्मक।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त ऐतिहासिक स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मढ़िया धाम में पर्यटन हॉल बनाने हेतु रूपये 52.88 लाख की योजना स्वीकृत है। जिसका कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। भूमि अप्राप्त है। जिला पदाधिकारी, द्वारा भूमि अर्जन हेतु कार्रवाई की जा रही है। जिलापदाधिकारी, सीतामढ़ी, से विभागीय पत्रांक–289, दिनांक–15.02. 2018 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–04 / 18 596 पटना, दिनांक 15.3.18

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–1138–39 दिनांक 11.02.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/18

प्रशाखा पदाधिकारी,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

श्रीमती गायत्री देवी, माननीया स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0-थ-13

श्रीमती गायत्री देवी, माननीया स०वि०स०	श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग
प्रश्न सामग्री	**उत्तर सामग्री**
क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- (1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनबरसा प्रखण्ड अंतर्गत क्रमशः 23,287 एवं 12,846 लोगों को 2016 तक वृद्धा, लक्ष्मीबाई, विकलांग पेंशन का लाभ मिलता था ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड में क्रमशः 17325 (सत्रह हजार तीन सौ पच्चीस) एवं 12971 (बारह हजार नौ सौ एकहत्तर) वृद्धा, लक्ष्मीबाई, विकलांग पेंशन माह जून 2017 तक उनके बैंक खाता में भुगतान किया जा चुका है।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष-2017 के दिसम्बर तक परिहार प्रखण्ड में मात्र 12,000 एवं सोनबरसा में 7000 लोगों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि इनके खाते में दी जा रही है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड में कुल 17325 (सत्रह हजार तीन सौ पच्चीस) पेंशनधारियों में से 17324 (सत्रह हजार तीन सौ चौबीस) पेंशनधारियों का खाता प्राप्त हुआ है, जिसमें से 16812 (सोलह हजार आठ सौ बारह) खाता PFMS (Public Financial Management System) द्वारा स्वीकृत किया गया है एवं 436 (चार सौ छत्तीस) खाता PFMS द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। शेष 76 (छिहत्तर) खाता सत्यापन की प्रक्रिया में है। PFMS द्वारा सत्यापित 16812 (सोलह हजार आठ सौ बारह) खाता में से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा 16461 (सोलह हजार चार सौ एकसठ) खाता लॉक्ड किया गया है, जिसमें से 15687 (पन्द्रह हजार छः सौ सत्तासी) खाता में PFMS के माध्यम से जून, 2017 तक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। माह जुलाई, 2017 से अद्यतन कुल 15687 (पन्द्रह हजार छः सौ सत्तासी) पेंशनधारियों के भुगतान की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।) शेष 1 (एक) पेंशनधारियों का खाता संख्या प्राप्त किया जा रहा है, अस्वीकृत खातों में सुधार किया जा रहा है एवं खाता सत्यापन हेतु PFMS को भेजा गया है तथा भेजे हुए खाता का सत्यापन हेतु PFMS से अनुरोध किया गया है, ताकि सभी पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान की कार्रवाई की जा सके। वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखण्ड में कुल 12971 (बारह हजार नौ सौ एकहत्तर) पेंशनधारी हैं जिनका बैंक खाता भी प्राप्त हो चुका है। जिसमें से 12322 (बारह हजार तीन सौ बाईस) खाता PFMS (Public Financial Management System) द्वारा स्वीकृत किया गया है एवं 468 (चार सौ अड़सठ) खाता PFMS द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। शेष 181 (एक सौ एकासी) खाता सत्यापन की प्रक्रिया में है। PFMS द्वारा सत्यापित 12322 (बारह हजार तीन सौ बाईस) खाता में से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा 11973 (ग्यारह हजार नौ तिहत्तर) खाता लॉक्ड किया गया है, जिसमें से 11781 (ग्यारह हजार सात सौ एकासी) खाता में PFMS के माध्यम से जून, 2017 तक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। माह जुलाई, 2017 से अद्यतन कुल 11781 (ग्यारह हजार सात सौ एकासी) पेंशनधारियों के भुगतान की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।)
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बाकी को पेंशनधारियों को पेंशन की राशि उनके खाते में कबतक देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	शेष छूटे हुए 01 (एक) पेंशनधारी का खाता संख्या प्राप्त किया जा रहा है, अस्वीकृत खातों में सुधार किया जा रहा है एवं खाता सत्यापन हेतु PFMS (Public Financial Management System) को भेजा गया है तथा भेजे हुए खाता का सत्यापन हेतु PFMS से अनुरोध किया गया है, ताकि सभी पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान की कार्रवाई की जा सके।

श्री जीवेश कुमार, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–71

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड अंतर्गत कमतौल पंचायत के जे०एम० उच्च विद्यालय के परिसर में वर्ष 2009 में स्वीकृत स्टेडियम का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि पूरे प्रखण्ड में कई स्तरीय खेल मैदान होने के बावजूद अभी तक क्षेत्र के नौजवान के लिए कोई स्टेडियम उपलब्ध नहीं है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड के जोगियारा पंचायत के जोगियारा गांव में स्थित श्री राम जी प्रिया उच्च विद्यालय में नये स्टेडियम के मानक के हिसाब से जगह उपलब्ध है तथा जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा 2017 में दिया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, कमतौल में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–228, दिनांक 24.11.2009 द्वारा दी जा चुकी है। अतएव एक प्रखण्ड में दो स्टेडियम निर्माण पर विचार नहीं किया जा सकता है। उक्त स्टेडियम निर्माण की अद्यतन स्थिति की मांग जिला पदाधिकारी, दरभंगा से विभागीय पत्रांक–1369, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–66, दिनांक 18.01.2018 एवं पत्रांक–465, दिनांक 23.03.2018 द्वारा की गयी है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार श्री राम जी प्रिया उच्च विद्यालय के मैदान में स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–195/2018.484/ पटना, दिनांक 26.3./2018

प्रतिलिपि :– श्री जीवेश कुमार, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–4147–48, दिनांक–19.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री जीवेश कुमार, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–72

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड अंतर्गत कमतौल पंचायत अंतर्गत जे0एम0 उच्च विद्यालय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2009 में दी गई थी; परन्तु आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी स्टेडियम का निर्माण कार्य अधूरा है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त अधूरा स्टेडियम का निर्माण मानक के अनुसार नहीं किया गया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त अधूरे पड़े स्टेडियम का निर्माण के साथ–साथ दोषियों के विरूद्ध कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, कमतौल में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–228, दिनांक 24.11.2009 द्वारा दी जा चुकी है। उक्त स्टेडियम निर्माण की अद्यतन स्थिति की मांग जिला पदाधिकारी, दरभंगा से विभागीय पत्रांक–1369, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–66, दिनांक 18.01.2018 एवं पत्रांक–467, दिनांक 23.03.2018 द्वारा की गयी है। जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–204/2018 525/ पटना, दिनांक 03.4./2018

प्रतिलिपि :– श्री जीवेश कुमार, माननीय स0 वि0 स0, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–4184–85, दिनांक–20.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.4.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री जयवर्द्धन यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–7, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री जयवर्द्धन यादव, स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनवरी, 2017 में पालीगंज प्रखंड के ग्राम–सिगोरी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन के निर्माण की घोषणा की गई थी,	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन के निर्माण के लिए निविदा भी विभिन्न समाचार पत्रों में वर्ष 2017 में प्रकाशित किया गया था, परन्तु निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है,	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की गयी थी एवं निविदा का निष्पादन मार्च, 2018 तक करते हुए इसी माह कार्यादेश निर्गत करने का लक्ष्य है।
(3)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार पालीगंज प्रखंड के ग्राम–सिगोरी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	भवन निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक– 10/प्र0(वि0स0) 13–02/2018 1557(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 21/3/2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 873–74, दिनांक 06.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–65

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत कतरीसराय प्रखण्ड के ग्राम कम्बल बिगहा में वित्तीय वर्ष 2010–12 में स्टेडियम का निर्माण किया गया है, परन्तु स्टेडियम में बच्चों को खोलने के लायक मैदान नहीं बनाये जाने से खेल मैदान की उपयोग्यता नहीं रह गई है, यदि हाँ तो सरकार उक्त निर्माण में लापरवाही बरतने पदाधिकारी एवं संवेदक पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिलान्तर्गत कतरीसराय प्रखण्ड के ग्राम कमल बिगहा में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–269, दिनांक–20.08.2015 द्वारा दी जा चुकी है। उक्त स्टेडियम की अद्यतन स्थिति की जानकारी की मांग जिला पदाधिकारी, नालंदा से विभागीय पत्रांक–1354, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–81, दिनांक 18.01.2018 एवं पत्रांक–511, दिनांक–28.03.2018 द्वारा की गयी है। जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–189/2018..526.../ पटना, दिनांक ...03.4..../2018

प्रतिलिपि :– श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3709–10, दिनांक–13.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–64

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावा प्रखण्ड के नेरूत उच्च विद्यालय +2 में वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु आजतक स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, यदि हाँ तो सरकार नेरूत उच्च विद्यालय +2 में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावा प्रखण्ड के नेरूत उच्च विद्यालय +2 में वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्टेडियम बनाने से संबंधित निर्णय का कोई भी साक्ष्य विभाग में नहीं है। अस्थावां प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, नालंदा से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1354, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–81, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–457, दिनांक–22.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

<u>कला, संस्कृति एवं युवा विभाग</u>

ज्ञापांक–3/प्र. 8–188/2018..490../ पटना, दिनांक ..26.3.../2018

प्रतिलिपि :– श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स0 वि0 स0, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3707–08, दिनांक–13.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-द-101 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय, स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-	
1	क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के बिंद प्रखंड में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध है, जिसमें प्रखंड भर के मरीज इलाज हेतु आते हैं लेकिन अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय, अस्पताल की घेराबंदी तथा एम्बुलेंस का अभाव है, जिससे मरीजों को असुविधा होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त अस्पताल में उक्त वर्णित व्यवस्था का कबतक शुरू करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत बिन्द प्रखंड के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिन्द में बुनियादी सुविधाएं यथा पेयजल एवं एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। शौचालय निर्माणाधीन है। अस्पताल की घेराबंदी हेतु सिविल सर्जन, नालन्दा को पत्र लिखा गया है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः-12/प0-क्यू-04-30/2018 - 330(12) /पटना, दिनांकः- 06/04/2018

प्रतिलिपिः-उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक-1675-1676 दिनांक-01.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी-13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 5/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

श्री जितेन्द्र कुमार, स0 वि0 स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – द– 182 का प्रश्नोत्तर

खण्ड	प्रश्नकर्त्ता श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, बिहार, पटना
1.	क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला में प्रतिनियुक्त ड्रग–इंस्पेक्टर जिला में अपने कार्यो का सही निष्पादन नहीं कर पाते हैं; जिसके कारण उक्त जिला में नकली एवं प्रतिबंधित दवाई की बिक्री हो रही है, जिससे मरीजों पर कुप्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिला में तीन औषधि निरीक्षक पदस्थापित हैं। नकली एवं प्रतिबंधित औषधियों अथवा अवैध औषधियों का विक्री नहीं हो इसके लिए नालन्दा जिला में पदस्थापित औषधि निरीक्षकों द्वारा सतत रूप से औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है एवं उसपर निगरानी रखी जाती है। जुलाई 2016 से दिसम्बर 2017 तक औषधि निरीक्षकों द्वारा कुल–535 निरीक्षण किया गया जिसमें से कुल–169 औषधियों के नमूनों का जाँच एवं विश्लेषण करवायी गई जिसमें 17 औषधि नमूनों का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो सभी मानक स्तर के पाये गये। नालन्दा जिले के ग्राम– पुनाडीह, हिलसा में अवस्थित एक बिना लाईसेंस के दुकान के विरूद्ध औषधि निरीक्षक के संयुक्त दल द्वारा कार्रवाई करते हुये प्रतिष्ठान के संचालक श्री सत्येन्द्र कुमार के विरूद्ध दिनांक–02.07.2017 को हिलसा थाना में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। नालन्दा जिले में उपरोक्त अवधि में नकली–जाली या प्रतिबंधित दवा बिकने संबंधी कोई भी सूचना औषधि प्रशासन को प्राप्त नहीं है। न ही किसी मरीज/उपभोक्ता, उनके चिकित्सक, किसी फार्मासिस्ट या किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम आदि से ऐसी औषधियों के बिकने या इनके प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक – 15/औ0–19 –04/18 271(15) स्वा0, पटना, दिनांक –9/4/18

प्रतिलिपि – 1. प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0– 2568–69 वि0स0 दिनांक–15.03.2018 के प्रसंग में 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

2050

श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–183 का उत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खंड	श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के अस्थावां रेफरल अस्पताल एवं सरमेरा के प्रखंड के मुख्यालय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आउट सोर्सिंग के माध्यम से जेनरेटर का संचालन एवं मरीजों के लिए नाश्ता तथा भोजन की व्यवस्था की जाती है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में बिजली आपूर्ति रहने के बावजूद भी जेनरेटर से चालित विद्युत आपूर्ति का गलत विपत्र एवं मरीजों के लिए नाश्ता तथा भोजन की आपूर्ति मानक के अनुरूप नहीं किया जाता है ?	उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में आउट सोर्सिंग के माध्यम से किये जा रहे कार्यों की जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:–12/प0–क्यू–04–46/2018 340(12) /पटना, दिनांक:– 9-4-2018

प्रतिलिपि:–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–2570–71 दिनांक–15.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री जितेन्द्र कुमार राय, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 21.03.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0 पंच०–16 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
श्री जितेन्द्र कुमार राय, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 21.03.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0 पंच०–16 का	श्री कपिलदेव कामत, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
क्या मंत्री पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड के ग्राम पंचायत भुआलपुर तथा नगरा प्रखंड के तुजारपुर में पंचायत सरकार भवन नहीं है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त पंचायतों में पंचायत सरकार भवन में निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। सरकार द्वारा सभी पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पंचायत सरकार भवन बनाने का प्रस्ताव है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार सभी अंचलाधिकारियों से पंचायत विहिन पंचायतों में पंचायत सरस्कर भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन कर विहित प्रपत्र में प्रस्ताव की मांग की गयी है। उक्त दोनों पंचायतों में भूमि उपलब्ध होते ही पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

ज्ञापांक 2प / बि0स0–01–07 / 2018 / 5199 पं0रा0 दिनांक 19 / 09 / 2018

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0प्र0 2407–08 दिनांक 15.03.2018 / प्रशाखा पदाधिकारी-9 को उनके गै0स0 प्र0 सं0–140 दिनांक 16.03. 2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाई हेतु प्रेषित

17/9/18

(नजर हुसैन)
उप सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

श्री जितेन्द्र कुमार राय, माननीय स० वि० स० द्वारा बिहार विधान सभा के चलते / अगामी अधिवेशन में दिनांक–06.03.2018 को तारांकित प्रश्न सं०–प्रा०–04

क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा स्थित मढ़ौरा में राजकीय पोलिटेकनिक की स्थापना 1993 में हुई थी। :	आंशिक स्वीकारात्मक वस्तु स्थिति यह है कि राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान मढ़ौरा छपरा का स्थापना वर्ष 1993 में नहीं होकर राज्यादेश संख्या–1178 दिनांक–31.08.1994 के द्वारा वर्ष 1994 में की गयी हैं ।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त राजकीय पोलिटेकनिक में शिक्षकों के पद रिक्त रहने के कारण शिक्षण का कार्य ठप है।	उत्तर अस्वीकरात्मक है। राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान मढ़ौरा छपरा में नियमित दो शिक्षक एवं संविदा पर नियोजित पूर्व से दो शिक्षक कार्यरत है। इसके अतिरिक्त वर्ग शिक्षण का कार्य आवश्यकता के आधार पर अतिथि व्याख्याताओं से शिक्षण का कार्य सम्पन्न कराया जाता हैं। 2. राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के रिक्त विभिन्न पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु कुल 476 पदों का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को भेजा जा चुका है। 3. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से व्याख्याताओं के निम्नलिखित संकाय में अनुशंसा प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थिति निम्नवत है :– i. व्याख्याता टेकसटाईल्स अभियंत्रण– 03 (नियुक्त) ii. व्याख्याता सिरामिक्स अभियंत्रण– 01 (नियुक्त) iii. व्याख्याता ऑटोमोबाईल अभियंत्रण– 02 (नियुक्त) iv. व्याख्याता रासायनिक अभियंत्रण– 01 (नियुक्त) v. व्याख्याता पुस्तकालय विज्ञान– 02 (नियुक्त) vi. व्याख्याता मानवता अर्थशास्त्र– 07 (नियुक्त) vii. व्याख्याता कम्प्यूटर साईन्स– 16 (नियुक्त प्रक्रियाधीन) viii. व्याख्याता (अंग्रेजी)– 19 (नियुक्त प्रक्रियाधीन) 4. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से शेष बचे अधियाचनाओं का अनुशंसा प्राप्त होते ही संस्थान के रिक्त पदों पर विभिन्न संकायों में व्याख्याताओं की नियमित पदस्थापन कर दी जाएगी।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार रिक्त पदों पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कब तक करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?:	उपरोक्त कंडिका–2 (दो) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः–वि0प्रा0(।।)विधायी 07/2018 644 /पटना,दिनांक– 8-3-2018
प्रतिलिपिः– पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक–2677–78 दिनांक–21.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.03.18
सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–ख0–2, दिनांक–13.03.2018 का प्रश्नोत्तरः–

	श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0	माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह बात सही है कि राज्य में भोजपुर, नालन्दा, बक्सर, कैमूर, पटना तथा रोहतास जिलों में बालू–पत्थर और ईंट–भट्ठे पर अंकुश के कारण निर्धारित लक्ष्य के आधा भी राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई है;	अस्वीकारात्मक। पटना, भोजपुर एवं रोहतास जिलों के बालू बंदोबस्तधारियों द्वारा नियम का पालन नहीं करने के कारण उनकी बंदोबस्ती रद्द कर दी गई थी, जिसके कारण देय राशि का भुगतान ससमय प्राप्त नहीं हो पाया एवं लक्ष्य के अनुरूप वसूली संभव नहीं हो पाई। तत्पश्चात् खान आयुक्त के न्यायालय द्वारा इन जिलों के बंदोबस्तधारी को पुनः बहाल कर दिया गया है जिससे बकाये किस्त का भुगतान प्राप्त होना शुरू हो गया है। फलस्वरूप इन जिलों में लक्ष्य की प्राप्ति संभावित है।
(ख)	क्या यह बात सही है कि उक्त छः जिलों में बालू पत्थर और ईंट मिट्टी से वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 445 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक मात्र 118 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति हुई है।	स्वीकारात्मक।
(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार शत–प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:-प्र0-02-(वि0स0)-07/18-...1711............/एम0, पटना, दिनांक ...05.5.18...

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, के ज्ञाप संख्या 2417-18/वि0स0 दिनांक 23.02.18 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/18
सरकार के अवर सचिव

श्री कुमार सर्वजीत, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–6, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बोध गया एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है,	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि बोध गया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों को रहने हेतु आवास नहीं है,	स्वीकारात्मक है।
(3)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर डॉक्टरों के रहने हेतु आवास का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	चिकित्सकों के आवासीय भवन निर्माण संबंधी कार्रवाई विहित प्रक्रियानुसार निर्णय के उपरान्त राशि एवं भूमि उपलब्ध होने पर करायी जाएगी।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–01/2018 1565(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 21/3/2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 871–72, दिनांक 06.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री ललन पासवान, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–छः–03 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता (श्री ललन पासवान) सदस्य, बिहार विधान सभा।	उत्तरदाता (श्री सुशील कुमार मोदी) उप मुख्य मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।
1.	क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखंड के चुटिया बाजार से रेहल जाने वाला पथ में खुखुमा घाट में वन पर्यावरण अधिनियम के कारण लगभग 15 कि0मी0 पथ नहीं बना है, जिस कारण नौहट्टा प्रखंड के पिपराडीह पंचायत में तथा कैमूर जिला के अधौरा प्रखंड के आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार खुखुमा घाट में कबतक पथ निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी में अवस्थित अधौरा पठार पर स्थित रेहल से रोहतास तक का वन पथ वन विभाग द्वारा संधारित है, जो उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों के उपयोग में भी है। इस वन पथ को कालीकरण (Black-topping) कर बारहमासी (All weather road) बनाने हेतु अनुमति देने के लिये राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्षद् से पुनः अनुरोध किया गया है। उक्त अनुमति प्राप्त हो जाने पर अधौरा पठार से रोहतास तक का सुविधाजनक All weather road बनाने की कार्रवाई की जायेगी। नौहट्टा प्रखंड के चुटिया बाजार से रोहतास तक का सम्पर्क पथ वन्यप्राणी आश्रयणी के बाहर से भी उपलब्ध है एवं रोहतास होकर पठार पर स्थित रेहल और अधौरा तक सम्पर्क पथ उपलब्ध है। वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग रहते हुए नौहट्टा के चुटिया से वन्यप्राणी आश्रयणी के अन्दरूनी हिस्सों से होकर आम लोगों के आवगामन हेतु पथ के निर्माण एवं संधारण किया जाना वन्यप्राणी संरक्षण दृष्टिकोण से श्रेयष्कर नहीं है।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

ज्ञापांकः–1/बि0वि0स0–07/2018–732–/प0व0 पटना–15, दिनांक 06.03.2018

प्रतिलिपिः– सरकार के प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/बि0वि0स0–07/2018–732–/प0व0 पटना–15, दिनांक 06.03.2018

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–1394–95, दिनांक 11.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/18
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

श्री ललन पासवान, स०वि०स० द्वारा दिनांक 13.03.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्र०सं०–प्रा०–07 का उत्तर।

क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि यांत्रिक अभियंत्रण एवं असैनिक अभियंत्रण संकाय में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या– 22/2014 एवं 20/2014 के अन्तर्गत अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची विभागीय पत्रांक– वि०प्रा० (i) नियुक्ति–02/2017–2782 पटना, दिनांक 24.11.2017 द्वारा प्रकाशित की गई है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि भारत के राजपत्र असाधारण अंक संख्या 175 दिनांक 28.04.2017 के पृष्ठ 36 पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मेकेनिकल इंजिनियरिंग (इनर्जी सिस्टम एण्ड मैनेजमेंट) की डिग्री को मेकेनिकल इंजिनियरिंग के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि इनर्जी सिस्टम एण्ड मैनेजमेंट से मेकेनिकल इंजिनियरिंग डिग्रीधारी अभ्यर्थी को बी.पी.एस.सी. द्वारा खण्ड (i) में वर्णित विज्ञापन के अधीन नियुक्ति हेतु अनुशंसा किये जाने के बावजूद विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर उन्हें नियुक्त नहीं किया जा रहा है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि इनर्जी सिस्टम एण्ड मैनेजमेंट डिग्रीधारी किसी अभ्यर्थी की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग को प्राप्त नहीं है। अपितु अल्टरनेट हाईड्रो इनर्जी सिस्टम के एम.टेक डिग्री धारी एक अभ्यर्थी की अनुशंसा नियुक्ति हेतु प्राप्त हुई है। इस अभ्यर्थी का एम.टेक की डिग्री विभागीय अधियाचना के अनुरूप नहीं रहने की स्थिति में इनकी नियुक्ति सहायक प्राध्यापक (यांत्रिक) के पद पर विभाग द्वारा नहीं की गई है। कालान्तर में इनके डिग्री की अनुमान्यता के संबंध में विभाग के द्वारा विषय विशेषज्ञ की समिति से जॉच कराया गया है। विभागीय विषय विशेषज्ञ समिति से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में सहायक प्राध्यापक (यांत्रिक) के पद के लिए अनुमान्य डिग्री के अनुरूप इस अनुशंसित अभ्यर्थी की डिग्री नहीं पायी गई है, जिस कारण इनकी नियुक्ति किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विज्ञापन संख्या 22/2014 एवं 20/2014 में बी.पी.एस.सी. द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को संबंधित संकाय में नियुक्त करने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। विज्ञापन संख्या 22/2014 एवं 20/2014 के शेष योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या 142 दिनांक 16.01.2018 एवं अधिसूचना संख्या 141 दिनांक 16.01.2018 द्वारा की जा चुकी है।

ज्ञापांक– वि०प्रा०(II)विधायी–13/18/ 722 /पटना, दिनांक– 15/3/018

प्रतिलिपि – पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, बिहार विधान सभा के ज्ञापांक संख्या 2971–72 दिनांक 06.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.3.18

सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

श्री ललन पासवान, माननीय स० वि० स० द्वारा बिहार विधान सभा के चलते अधिवेशन में दिनांक–20.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–प्रा०–8

क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि कैमुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड–अधौरा में पोलिटेकनिक कॉलेज नहीं होने से उक्त प्रखण्ड के छात्र–छात्राओं को तकनीकि शिक्षा के लिए क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त प्रखण्ड में पोलिटेकनिक कॉलेज कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ? :	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम 'अवसर बढ़े आगे पढ़े' के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में सरकारी क्षेत्र में एक–एक पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की जानी है। उक्त कार्यक्रम के तहत कैमूर जिला अन्तर्गत मोहनियाँ अंचल में एक राजकीय पोलिटेकनिक कैमूर की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें कैमूर एवं अन्य जिला के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक सत्र–2016–17 से डिप्लोमा स्तर की उच्च गुणवत्तायुक्त तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। चुंकि सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत कैमूर जिले में एक राजकीय पोलिटेकनिक की स्थापना की जा चुकी है, अतः जिला के अन्तर्गत अन्यत्र कहीं पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है ।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः–वि०प्रा०(।।)विधायी 01/2018 776 /पटना,दिनांक– 23-3-018
प्रतिलिपिः– पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक–3372–73 दिनांक–08.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.3.18

सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

123

बिहार विधान सभा

तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–79

श्रीमती लेशी सिंह, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम्य–79 क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री शैलेश कुमार माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखंड के कसमरा से गिदराही जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ में गिदराही आदिवासी टोला के निकट धार में पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को अवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,यदि हां तो सरकार उक्त धार पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत निर्मित पथ एल0 083 से गिदराही पर अवस्थित है। उक्त पथ वर्ष 2013–14 में स्वीकृत हुआ तथा दिनांक 30.06.2015 को पूर्ण हो गया है। उक्त पुल के लिए डी0पी0आर0 की मांग की जा रही है। तत्पश्चात अग्रेतर कार्रवाइ की जा सकेगी।

ज्ञापांक–10/अ0प्र0–2– 110 /18 4800 दिनांक– 14-5-18

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को (छः प्रतियों में) का ज्ञापांक 1165-66 दिनांक 15-02-18 में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संबंधित माननीय स0वि0स0 को भी इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

10.5.18

(विद्याभूषण सिंह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–10/अ0प्र0–2 – 110 /18 4800 दिनांक– 14.5.18

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, ससदीय कार्य विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10.5.18

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–10/अ0प्र0–2– 110 /18 4800 दिनांक– 14.5.18

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता– 2, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.5.18

सरकार के अवर सचिव

बिहार विधान सभा के वर्तमान सत्र में श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–गृह–48 के लिए उत्तर सामग्री।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में हर महीने 89 ऐसी हत्याएं हो रही जो वैज्ञानिक अनुसंधान के अभाव में कारणों का पता नहीं लगा पा रही है ;	(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में घटित हत्या के सभी महत्वपूर्ण कांडों का वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में जनवरी, 2017 से अगस्त, 2017 तक 1800 हत्याएं हो चुकी है जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी नही हुई;	(2) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में माह जनवरी, 2017 से अगस्त, 2017 तक 1838 हत्या की घटनायें घटित हुई है। अधिकांश कांडों में अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान की समुचित व्यवस्था से युक्त कर पुलिस तंत्र को सुदृढ़ कर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	(3) वस्तुस्थिति यह है कि सरकार कांडों के अनुसंधान में साक्ष्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु कृत संकल्प है। इसके लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यरत है। महत्वपूर्ण हत्या के कांडों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम घटनास्थल पर भेजी जाती है तथा घटना का विश्लेषण किया जाता है।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

ज्ञापांक :– 3/वि०स० 50–05/2018–3783–/पटना, दिनांक 7/5/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को सभा सचिवालय के ज्ञापांक–439–440, दिनांक–12.02.2018 के प्रसंग में (तीन प्रतियों) सूचनार्थ प्रेषित।

07/05/18

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/वि०स० 50–05/2018–3783–/पटना, दिनांक 7/5/18

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, P–प्रशाखा, गृह विभाग (विशेष शाखा) को सूचनार्थ प्रेषित।

07/05/18

सरकार के उप सचिव

श्री लक्ष्मेश्वर राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–14, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री लक्ष्मेश्वर राय, स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवार का भवन क्षतिग्रस्त है, जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही है, यदि हाँ तो सरकार उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवार का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवार का भवन जर्जर है । संस्थान के तीन कमरों में ओ०पी०डी० संचालित है यहाँ एक चिकित्सक एवं ए०एन०एम० के द्वारा प्रारंभिक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवार के भवन निर्माण संबंधी कार्रवाई निर्णय के उपरान्त विहित प्रक्रियानुसार राशि उपलब्ध होने पर करायी जाएगी।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः– 10/प्र0(वि0स0) 13–05/2018 1580 (10) स्वा0, पटना, दिनांकः–21/3/2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 983–84 दिनांक 08.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–15, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री लक्ष्मेश्वर राय, स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखंड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेसापुर एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरहिया का भवन जर्जर एवं ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण 20 हजार की आबादी को चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पा रही है, यदि हाँ तो सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि लौकही प्रखंड स्थित मनसापुर एवं नरहियॉ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भूमि अभाव के कारण स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन में कार्यरत एवं संचालित है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मनसापुर का भवन यद्यपि क्षतिग्रस्त है जबकि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, नरहियॉ का भवन सही स्थिति में है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनसापुर एवं नरहियॉ के भवन निर्माण कार्य विहित प्रक्रियानुसार राशि उपलब्ध होने के उपरान्त कराया जाएगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–15/2018 – 89(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 985–86, दिनांक 08.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–78

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी प्रखण्डों में स्टेडियम का निर्माण कराने का निर्णय 4 वर्ष पूर्व लिया गया है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2008–09 से मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है।
2. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास प्रखण्ड एवं घोघरडीहा प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण नहीं होने से खेल प्रेमियों को खेलने में कठिनाई होती है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि फुलपरास प्रखण्ड के उच्च विद्यालय वेलहा तथा घोघरडीहा प्रखण्ड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भपटियाही दुर्गा खेल मैदान में स्टेडियम हेतु पर्याप्त जमीन उपलब्ध है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त दोनों प्रखण्डों में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास प्रखण्ड एवं घोघरडीहा प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1368, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–67, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–462, दिनांक–23.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–199/2018..486./ पटना, दिनांक ....26.3../2018

प्रतिलिपि :– श्री लक्ष्मेश्वर राय, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–4196–97, दिनांक–20.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18
निदेशक,
छात्र एवं युवा कल्याण।

माननीय श्री महबूब आलम, स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख–8 का प्रश्नोत्तर।

	माननीय श्री महबूब आलम, स०वि०स०	माननीय मंत्री, खान, एवं भूतत्व विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह बात सही है कि बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 राज्य में 10 अक्टूबर, 2017 से लागू है की कंडिका–23 में बालूघाटों से बालू का उत्खनन अधिमानतः शारीरिक श्रमिक (मजदूर) के जरिये कराने तथा किसी मशीन अथवा उपस्कर को सामान्यतः उत्खनन के लिए अनुमति नहीं देने की बात दर्ज है;	आंशिक स्वीकारात्मक बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के नियम–23 में बालूघाटों से बालू का उत्खनन अधिमानतः शारीरिक श्रमिक के उपयोग करने का प्रावधान है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त नियमावली का स्थगन आदेश अधिरोपित है। उक्त स्थगनादेश के उपरांत राज्य में बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 एवं नई बालू नीति, 2013 पुनः प्रवृत हो गयी है। नई बालू नीति में सूर्यास्त से सूर्योदय की अवधि में ही बालू उत्खनन में मशीनों का प्रयोग अनुमान्य है। दिन की अवधि में श्रमिकों के द्वारा ही बालू उत्खनन का कार्य किया जा रहा है।
(ख)	क्या यह बात सही है कि आये दिन इसका उल्लघन करते हुए पटना जिला के परेव, भोजपुर के कोईलवर आदि अन्य बालूघाटों पर मशीनों से बालू निकासी का कार्य जारी है, जिसके कारण बालू मजदूर न नाविक पलायन करने व कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर है;	अस्वीकारात्मक
(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बालू निकासी के काम में लगे मजदूरों एवं नाविकों के रोजगार सुरक्षा हेतु मशीनों से बालू निकासी करने पर सख्ती से रोक लगाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:-प्र0-01-(वि0स0)-16/18-......1691........../एम0, पटना, दिनांक 03.4.18

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, के ज्ञाप संख्या 3068-69/वि0स0 दिनांक 07.03.18 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/18

सरकार के अवर सचिव

माननीय श्री महबूब आलम, स0वि0स0 द्वारा पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख–9 का प्रश्नोत्तर।

	माननीय श्री महबूब आलम, स0वि0स0	माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
क्र0	**प्रश्न**	**उत्तर**
(क)	क्या यह बात सही है कि बालू निकासी के काम में लगे मजदूरों एवं नाविकों के सामाजिक एवं पारिवारिक सुरक्षा के लिए राज्य में कोई कल्याणकारी कानून आजादी के बाद से अबतक नहीं बना है, जिसे बनाने की माँग बिहार बालू मजदूर एवं नाविक कल्याण संघ (नि0स0–3610/96) ने अपने पत्रांक 07/17 दिनांक 08.09.2017 द्वारा किया है तथा विभागीय प्रधान सचिव ने दिनांक 13.09.2017 को संघ के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के क्रम में इस कानून को बनाने का सकारात्मक आश्वासन भी दिया है;	अस्वीकारात्मक बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2014 के द्वारा खनन कार्यों से प्रभावित कार्य– स्थलों/क्षेत्रों में पुनः स्थापन या पुनरूद्धार अथवा पुनर्वास संबंधी निधिकरण हेतु खान एवं खनिज विकास पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि स्थापित करने का प्रावधान है, जिसमें राज्य सरकार को चुकाई गई वार्षित नीलामी/बंदोबस्ती राशि के 2% के बराबर राशि को बंदोबस्तधारी से प्राप्त कर जमा करना है। इस मद में अभी तक प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 20.32 करोड़ रूपये विभिन्न जिलों में जमा हो चुका है। इस राशि का व्यय खनन क्षेत्र का विकास एवं इससे जुड़े लोगों के कल्याण के लिए किया जायेगा। इस कार्य के लिए जिला स्तर पर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित है जो आवश्यकतानुसार निर्णय लेकर समुचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।
(ख)	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बालू निकासी के काम में लगे मजदूरों एवं नाविकों के सामाजिक एवं पारिवारिक सुरक्षा हेतु कल्याणकारी कानून लागू करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:-प्र0-01-(त्रि0स0)-15/18-......1694........../एम0, पटना, दिनांक ....03.4.18.

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, के ज्ञाप संख्या 3070-71/वि0स0 दिनांक 07.03.18 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/18

3/4/18

सरकार के अवर सचिव

बिहार विधान सभा के चालू सत्र में श्री महबूब आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या घ–15 का उत्तर :–

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
		श्री संतोष कुमार निराला, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार।
क्या मंत्री, परिवहन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(क)	क्या यह बात सही है कि जिला परिवहन कार्यालय जिला मुख्यालय कटिहार में स्थित है;	स्वीकारात्मक ।
(ख)	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बारसोई अनुमंडल महानन्दा नदी के पूर्वी छोड़ पर स्थित होने के कारण बारसोई क्षेत्र के लोगों को वाहन लाईसेंस व परमिट हेतु कटिहार जिला मुख्यालय आने–जाने में कठिनाई होती है;	अस्वीकारात्मक । बारसोई अनुमंडल जिला मुख्यालय कटिहार से करीब 50–60 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। बारसोई सड़क एवं रेलमार्ग से जिला मुख्यालय कटिहार से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अतः मुख्यालय तक आने में यातायात संबंधित कोई बाधा नहीं है। जहाँ तक परमिट की बात है, परमिट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ से निर्गत किया जाता है।
(ग)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कटिहार जिला परिवहन कार्यालय का एक शाखा अथवा कैम्प कार्यालय बारसोई में कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक ही जिला परिवहन कार्यालय स्थापित है, जहाँ उस जिले के परिवहन संबंधित सभी कार्य किये जाते है। अतः बारसोई में जिला परिवहन कार्यालय की कोई शाखा अथवा कैम्प कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

ज्ञापांक–05 / स्था0(बि0वि0स0)–8–2 / 2018 3045 पटना, दिनांक– 7/5/18

प्रतिलिपि : अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2613–14 दिनांक–27.02.2018 के आलोक में 5 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. प्रशाखा पदाधिकारी–1, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4.5.18

अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार विधान सभा में श्री महबूब आलम, स0वि0स0 द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–गृह–114 के लिए उत्तर सामग्री।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के रानीगंज थाना के अन्तर्गत बड़्धा गांव पर मांझी जाति के महादलित टोले पर 01 जनवरी, 2017 को अपराधियों द्वारा हमला कर एक दर्जन से अधिक लोगों का अपहरण कर बुरी तरह से मार–पीट किया जिसमें दो लोगों की मृत्यु (क्रमशः कमलेश्वरी ऋषिदेव व सत्यनारायण) एवं कई महिलाएं घायल हुए हैं;	(1) वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिला के भरगामा थानान्तर्गत बड़्धा गाँव में दिनांक–01.01.2017 को मांझी जाति एवं यादव जाति के बीच मछली मारने के दौरान झगड़ा झंझट हुआ था जिसमें कमलेश्वरी ऋषिदेव का शव घटना स्थल से 500 गज की दूरी पर अवस्थित बॉसबाड़ी से बरामद किया गया है। प्राथमिकी/अनुसंधान में महिलाओं के साथ किसी प्रकार के मारपीट की बात प्रकाश में नहीं आयी है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त घटना जो रानीगंज थाना कांड सं0–01/17 दिनांक–01.01.2017 दर्ज हुआ था इसके मुख्य अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी ,नहीं हो सकी है ;	(2) वस्तुस्थिति यह है कि अनु0जाति/जन0जाति थाना कांड संख्या–01/2017, दिनांक–01.01.2017 धारा–147/ 148/149 /341/323/307/354 (बी) /379/327/448 /364/504 /506 भा0द0वि0 एवं 3 (1)/(r) (g) (v) अनु0जाति अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। उक्त कांड में प्राथमिकी अभियुक्त 01 कलानंद यादव, 02. दिलीप यादव, 03. दिनेश यादव, 04 नुटन यादव, 05 चंदन यादव, 06 अरविंद यादव, 07 विकास यादव, 08 सुबोध यादव, एवं अप्राथमिकी अभयुक्त 09 सुरेन्द्र यादव, 10 बौआ यादव, 11 मनीष यादव, 12 शंभु यादव, 13 मृत्युजय यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा 14 अनिल यादव दिनांक–16.01.2017 को न्यायालय में आत्म समर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त थाना कांड के मुख्य अभियुक्तों को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(2) वस्तुस्थिति यह है कि उक्त कांड में वर्त्तमान में 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–16/17, दिनांक–23.03.2017 समर्पित किया गया है। शेष अभियुक्तों के विरूद्ध गिरफ्तारी एवं कुर्की/जप्ती की कार्रवाई की जा रही है।

श्री महबूब आलम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–द–193

खण्ड	प्रश्नकर्त्ता श्री महबूब आलम स०वि०स०	उत्तरदाता श्री मंगल पांडेय, मंत्री स्वास्थ्य विभाग
(क)	क्या यह बात सही है कि बिहार में नेशनल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत संविदा के आधार पर राज्य में ए०एन०एम० (आर०) 10 वर्षों से लगातार सेवारत है जिन्हें आदेश संख्या–194(6), दिनांक–03.03.2011 द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय 11500/– रू० का भुगतान किया जा रहा था।	आशिंक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत बिहार राज्य में स्वीकृत ए०एन०एम० (आर) के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के आलोक में किया जाता है। वर्तमान में वार्षिक बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2017–18 में रू0 12679 प्रतिमाह के दर से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। विभागीय आदेश संख्या–194(6), दिनांक–03.03.2011 द्वारा निर्धारित मानदेय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदो के विरूद्ध संविदा पर नियोजित कर्मियों पर लागू था। ए०एन०एम० (आर) कर्मियों के मानदेय निर्धारण का विषय राज्य सरकार का नहीं है।
(ख)	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या–997(4), दिनांक–22.08.2017 द्वारा अन्य श्रेणी के संविदा कर्मियों के साथ ए०एन०एम० (आर०) के मासिक मानदेय को पुनरीक्षित करते हुए दिनांक–01.08.2017 के प्रभाव से 27300/– रू० निर्धारित किया गया तथा बाद में आदेश संख्या–987(6) दिनांक–02.11.2017 के द्वारा उसे रद्द भी कर दिया गया।	अस्वीकारात्मक है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदो के विरूद्व संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या–997(4), दिनांक–22.08.2017 द्वारा अन्य श्रेणी के संविदा कर्मियों के साथ ए०एन०एम० के मासिक मानदेय को पुनरीक्षित करते हुए दिनांक–01.08.2017 के प्रभाव से 17500/– से बढाकर 27300/– रू० निर्धारित किया गया था, जिसे आदेश संख्या–987(6) दिनांक–02.11.2017 के द्वारा रद्द कर दिया गया है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या–997(4), दिनांक–22.08.2017 द्वारा निर्धारित मानदेय ए०एन०एम० (आर) कर्मियों पर लागू नहीं है।

(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आदेश संख्या–997(4), दिनांक–22.08.2017 द्वारा ए0एन0एम0 (आर0) आर को दिये गये मासिक मानदेय 27300/– रूपया को पुनः देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक सं0–6/एन–10–08/2018 – 306(6) पटना दिनांक:– 17/04/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–2721–22 वि0स0, दिनांक 16.03.2018 के प्रसंग में 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16.4.18

(रवीन्द्र नाथ उपाध्याय)
अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

E:\Sec-6\ Bidhan shbha 2018

श्री राजेश कुमार, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–51

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में आउटडोर स्टेडियम निर्माण कराने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा के अम्बा चिल्हकी हाई स्कूल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा दिसम्बर, 2017 में विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, परन्तु अभी तक स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, कुटुम्बा में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–80, दिनांक 17.02.2009 द्वारा दी जा चुकी है। उक्त स्टेडियम निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी की मांग जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से विभागीय पत्रांक–1351, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–84, दिनांक 18.01.2018 एवं पत्रांक– 408, दिनांक 16.03.2018 द्वारा की गयी है। अतएव एक ही प्रखण्ड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मैदान में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

बिहार सरकार
<u>कला, संस्कृति एवं युवा विभाग</u>

ज्ञापांक–3/प्र. 8–172/2018...412.../ पटना, दिनांक ...19/03.../2018

प्रतिलिपि :– श्री राजेश कुमार, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3300–3301, दिनांक 08.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.18

निदेशक,
छात्र एवं युवा कल्याण

श्री राजेश कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–90 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री राजेश कुमार, माननीय, स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत जिला मुख्यालय में स्थित सदर अस्पताल एवं कुटुम्बा के रेफरल अस्पताल में लगभग तीन माह से एन्टी रैबीज वैक्सिन नहीं है, यदि हाँ तो क्या सरकार कबतक उक्त अस्पतालों में एन्टी रैबीज वैक्सिन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि BMSICL, पटना द्वारा औरंगाबाद को 960 Vial एन्टी रैबीज वैक्सिन उपलब्ध कराया गया है। जिसमें से जांचोपरान्त 100 Vial एन्टी रैबीज वैक्सिन रेफरल अस्पताल, कुटुम्बा को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्त्तमान में सदर अस्पताल औरंगाबाद में 860 Vial एन्टी रैबीज वैक्सिन उपलब्ध है, जिससे आम जनों को सुविधा दी जा रही है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:–12 / प0–क्यू–04–29 / 2018 -331(12) /पटना, दिनांक:– 06/04/2018

प्रतिलिपि:–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–1650–51 दिनांक–28.02.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री राजेश कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–त्र–166 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखंड अन्तर्गत उत्तर कोयल नहर के चोरहा वितरणी की उड़ाही कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, अम्बा को अक्टूबर, 2017 में लिखित सूचना दी गयी है किन्तु अब तक पहल नहीं किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि :– • जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एडभाईजरी कमिटी द्वारा उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों का छठा पुनरीक्षित प्राक्कलन (प्राक्कलित राशि ₹ 1622.27 करोड़) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें बिहार के अवयवों पर ₹ 531.07 करोड़ का व्यय किया जाना है। इस योजना में चौराहा लघु नहर के पुनर्स्थापन कार्य भी सम्मिलित है। योजना को जनवरी 2020 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।
यदि हाँ तो कब तक उक्त वितरणी की उड़ाही का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	• उक्त के बावजूद खरीफ सिंचाई, 2018 के पूर्व आवश्यकतानुसार मरम्मति कराकर नहर के टेल एंड तक सिंचाई सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद को पत्रांक 639 दिनांक 23.03.2018 द्वारा निदेशित किया गया है। • वर्ष 2017 खरीफ सिंचाई के दौरान औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखंड अन्तर्गत उत्तर कोयल नहर के चोरहा वितरणी के लिए निर्धारित लक्ष्य 823 हे० के विरूद्ध शतप्रतिशत सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 11/वि0स0–03–06/2018 ....1245.... पटना/दिनांक :....04.4.2018....

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक – 3152–53 दिनांक 23.03.2018 के प्रसंग में तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.4.18

(चन्द्रमा प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

श्री रामप्रीत पासवान, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–79

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अंतर्गत लखनौर प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, तमुरिया तथा मधेपुर प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, भीठ भगवानपुर में स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव मुख्यालय स्तर पर विगत् दो वर्षों से लम्बित है, जिस हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी के याचित प्रतिवेदन उनके पत्रांक–1573/जी.वि., दिनांक 30.12.2013 द्वारा विभाग को समर्पित है, परन्तु अभी तक उक्त विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका है, यदि हाँ तो सरकार उक्त विद्यालयों में इण्डोर स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। प्रखण्ड स्तर पर इंडोर स्टेडियम के निर्माण से संबंधित कोई योजना संचालित नहीं है।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–200/2018..485../ पटना, दिनांक ..26.3../2018

प्रतिलिपि :– श्री रामप्रीत पासवान, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–4198–99, दिनांक–20.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

27.02.18

बिहार विधान सभा में श्री श्याम रजक, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–46		श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय शिक्षा मंत्री का उत्तर	
(क)	क्या यह बात सही है कि पटना विश्वविद्यालय के एम०एड० कोर्स हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्वालिफाईग मार्क्स समान्य वर्गो के समान ही रखा गया है,	(क)	स्वीकारात्मक।
(ख)	क्या यह बात सही है कि 2016–18 के सत्र में क्वालिफाईग मार्क्स में छूट नहीं दिये जाने के कारण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 8 सीटों पर अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन नहीं हो पया, बल्कि उक्त आरक्षित सीटों पर अनारक्षित वर्ग के छात्रों का नामांकन कर लिया गया है,	(ख)	स्वीकारात्मक। (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 8 सीटों (16 प्रतिशत) में से एम०एड० (2016–18) सत्र में 2 नामांकन ही हो पया। नामांकन न हो पाने की स्थिति में नियमानुसार अन्य वर्गो के छात्रों का नामांकन लिया गया।)
(ग)	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पटना विश्वविद्यालय के एम०एड० कोर्स में नामांकन हेतु आरक्षित वर्गो के लिए क्वालिफाईग मार्क्स कम करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(ग)	इस संबंध में विभागध्यक्ष, स्नातकोत्तर शिक्षा विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना द्वारा क्वालिफाईग मार्क्स कम करने (45 प्रतिशत) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीट न भरने की स्थिति में कुलपति को क्वालिफाईग मार्क्स कम करने के अधिकार से संबंधित आवेदन कुलपति कार्यालय, पटना विश्वविद्यालय को दिनांक 08.01.2018 को सुपुर्द किया गया है। (पत्र संख्या–8/Ed./18 दिनांक 08.01.2018) ताकि इसे शैक्षणिक परिषद (Academic Council) व अन्य प्राधिकारों से पास कराकर कुलाधिपति महोदय को स्वीकृति हेतु भेजा जा सके जो विश्वविद्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांकः–14/ए–11–04/18–238 पटना, दिनांक 26./02./2018

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 534–35 दिनांक 12.02.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

श्री शत्रुधन तिवारी, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–68

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री खेल योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में खेल के विकास के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कराने की योजना 2008 से चल रही है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत अमनौर प्रखण्ड के धरहारा खुर्द पंचायत के धरहारा खुर्द ग्राम में सरकारी जमीन की उपलब्धता के बाद भी आज तक स्टेडियम का निर्माण नहीं किया जा सकता है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अमनौर प्रखण्ड के धरहारा ग्राम में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अंतर्गत अमनौर प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, सारण से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक– 15.05.2017, पत्रांक–1348, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–87, दिनांक– 18.01.2018 एवं पत्रांक–404, दिनांक–16.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3 / प्र. 8–183 / 2018....1120.. / पटना, दिनांक ....19/03 / 2018

प्रतिलिपि :– श्री शत्रुधर तिवारी, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना / अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3815–16, दिनांक 14.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.18
निदेशक,
छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री डॉ0 शमीम अहमद, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–59

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखण्ड अंतर्गत रोहिनियाँ गाँव से उत्तर में सरकारी जमीन की उपलब्धता के उपरांत भी स्टेडियम का निर्माण नहीं होने के कारण खेल प्रेमियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त गाँव में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1370, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–65, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–458, दिनांक–22.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3 / प्र. 8–178 / 2018 479 / पटना, दिनांक 26.3 / 2018

प्रतिलिपि :– श्री डॉ0 शमीम अहमद, माननीय स0 वि0 स0, बिहार, पटना / अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3370–71, दिनांक 08.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

डॉ0 शकील अहमद खाँ, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– छ:–16 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता (डॉ0 शकील अहमद खाँ) सदस्य, बिहार विधान सभा	उत्तरदाता (श्री सुशील कुमार मोदी) उपमुख्य मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना
1	क्या यह बात सही है कि कटिहार स्थित कटिहार रेंजर कार्यालय में 10 वनपाल एवं 15 वनरक्षी का पद सृजित है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। पूर्णियाँ वन प्रमंडल के कटिहार रेंज कार्यालय में वनपाल के 4 एवं वनरक्षी के 12 पद सृजित है।
2	क्या यह बात सही है कि वनपाल के 9 एवं वनरक्षी के 13 के पद विगत 2 वर्षो से रिक्त है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कटिहार रेंज में स्वीकृत बल के विरूद्ध वनपाल संवर्ग में 3 पद एवं वनरक्षी संवर्ग में 10 पद रिक्त है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त 9 वनपाल एवं 13 वनरक्षी पदों पर कबतक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वनपाल एवं वनरक्षी संवर्ग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

ज्ञापांक:–1/बि0वि0स0–25/2018– /प0व0, पटना–15, दिनांक

प्रतिलिपि–सरकार के प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:–1/बि0वि0स0–25/2018– 881 /प0व0, पटना–15, दिनांक 16/03/18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं0–3066–67, दिनांक 07.03.18 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/18
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

डॉ० शकील अहमद खॉ, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–17

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के सिरकोना ग्राम पंचायत के सिरकोना में कल्याणी मंदिर एवं कल्याणी घाट अवस्थित है ;	
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेला का आयोजन होता है एवं देश–विदेश के पर्यटक कल्याणी घाट में स्नान कर कल्याणी मंदिर में जलाभिषेक करते है ;	जिला पदाधिकारी, कटिहार से विभागीय पत्रांक 525, दिनांक 11.03.2018 एवं पत्रांक 504, दिनांक 09.03.2018 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है, जो अभी अप्राप्त है। पर्यटन रोड मैप में सम्मिलित करने का विचार किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार सिरकोना में स्थित कल्याणी घाट एवं कल्याणी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	तत्काल उक्त स्थल के लिए विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–17 / 18 592 पटना, दिनांक 15-3-18

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–1949–50 दिनांक 07.03.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/18

प्रशाखा पदाधिकारी,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

डॉ० शकील अहमद खॉं, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–18

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड में बेनीजलालपुर ग्राम पंचायत के बेनीग्राम में तैटयब रौशन अली चिराग की मजार है ;	जिला पदाधिकारी, कटिहार से विभागीय पत्रांक 524, दिनांक 11.03.2018 एवं पत्रांक 503, दिनांक 09.03.2018 से प्रतिवेदन की मांग की गई है, जो अप्राप्त है। विभागीय पर्यटन रोड मैप में सम्मिलित करने का विचार किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य, जिला एवं राज्य स्तर के पर्यटक उक्त मजार पर चादर चढ़ाने आते हैं ;	
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त मजार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	तत्काल प्रसंगाधीन स्थल पर कोई योजना पर्यटन विभाग में विचाराधीन नही है।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–18 / 18 593 पटना, दिनांक 15-3-18

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–1951–52 दिनांक 07.03.2018 के क्रम में पॉंच प्रतियों में / संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/18

प्रशाखा पदाधिकारी,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

1519

श्री सत्यदेव राम, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–137, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के दरौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण की योजना वर्ष 2015–16 से प्रस्तावित है तथा इसके लिए राशि भी आवंटित कर दिया गया है लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इसका निर्माण अवरूद्ध है, यदि हाँ तो सरकार उक्त प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जमीन कब तक उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि दरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु सिविल सर्जन द्वारा उप विकास आयुक्त को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरौली के ठीक उत्तर जिला परिषद् के जमीन आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः– 10/प्र0(वि0स0) 13–75/2018 53(10) स्वा0, पटना, दिनांकः– 13.04.18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2142–43, दिनांक 09.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री संजय कुमार तिवारी, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–19

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रं०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बक्सर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भार्गव आश्रम, नारदाश्रम, याज्ञवल्य सरोवर अंजनी सरोवर एवं कंवलदेह सरोवर स्थित है, जिसका हजारों की संख्या में लोगों द्वारा परिक्रमा किया जाता है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त सरोवर का सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। जिला पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भार्गव आश्रम तथा अंजनी सरोवर को पर्यटन रोडमैप में शामिल करने के संबंध में जिला पदाधिकारी, बक्सर से पत्रांक 505 दिनांक 09.03.2018 द्वारा मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता के आधार पर विचारोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–19 / 18.....596.....   पटना, दिनांक 15.3.18

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–1953–54 दिनांक 07.03.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/18

प्रशाखा पदाधिकारी,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न

संख्या–प्रा०–11 : क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न		उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा एवं भागलपुर में साढ़े तीन साल पहले केन्द्रीय सरकार ने सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा इसके लिए अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है;	:	आंशिक स्वीकारात्मक। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2017 में दरभंगा एवं भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण हेतु दो–दो एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने दरभंगा में सॉफ्टवेयर पार्क के लिए दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन को चिह्नित किया था, लेकिन इसकी सूचना अभी तक भारत सरकार को नहीं दी गई है;	:	आंशिक स्वीकारात्मक। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन के हस्तांतरण पर सहमति नहीं बनने के कारण भारत सरकार को इसकी सूचना नहीं दी गई थी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दरभंगा एवं भागलपुर में जमीन उपलब्ध कराकर सॉफ्टवेयर पार्क का निर्माण कब तक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	:	वस्तुस्थिति यह है कि STPI की स्थापना हेतु आई०टी०आई० दरभंगा एवं भागलपुर संस्थान की दो–दो एकड़ जमीन क्रमशः समाहर्त्ता, दरभंगा एवं भागलपुर द्वारा सूचना प्रावैधिकी विभाग को स्थानान्तरित की जा चुकी है। अब इस जमीन को STPI को लीज पर देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

विश्वासभाजन

ह०/–

(राहुल सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 04–सू०प्रा०–22/2018..... 425 पटना, दिनांक 28/03/2018

प्रतिलिपि:– 10 (दस अतिरिक्त प्रतियों के साथ) अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3564–65 दिनांक 09.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सरकार के सचिव

प्राक्क्रम्ण (149) 27

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

श्री संजय सरावगी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.04.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्र०सं०–प्रा–12

क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा के तारामंडल एवं विज्ञान पार्क के निर्माण के लिए वर्ष 2014 में ही मंत्रिमंडल से 162 करोड़ की राशि की वित्तीय स्वीकृति हुई थी, लेकिन अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ है, यदि हाँ तो सरकार विज्ञान पार्क एवं तारामंडल का कार्य कबतक प्रारंभ कराना चाहती है?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा के तारामंडल एवं विज्ञान पार्क के निर्माण कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग के द्वारा चयनित परियोजना परामर्शी चेल्सी वेस्ट आर्किटेक्ट्स, नई दिल्ली द्वारा तैयार प्राक्कलन एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा उक्त पर प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वर्ष 2014 में मंत्रिमंडल के द्वारा रू० 164.31 करोड़ (एक सौ चौसठ करोड़ इक्तीस लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई थी। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2017 को तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय की स्थापना तथा उसके विकास एवं निर्माण कार्य हेतु वित्त पोषण की समीक्षात्मक बैठक में प्रस्तावित तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय में रू० 40.00 करोड़ (चालीस करोड़ रूपये) मात्र की सीमा के अधीन केवल तारामंडल एवं 200 सीट क्षमता का सभाकक्ष/रंगशाला का निर्माण का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में तद्नुरूप परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का निदेश परियोजना परामर्शी, चेल्सी वेस्ट आर्किटेक्ट्स, नई दिल्ली को दिया गया। परामर्शी के द्वारा कुल रू० 67.57 करोड़ (सड़सठ करोड़ संतावन लाख) मात्र का परियोजना प्रस्ताव, विभाग को उपलब्ध कराया गया। विभागीय पत्रांक– 1916, दिनांक 08.08.2017 के द्वारा उक्त रू० 67.57 करोड़ (सड़सठ करोड़ संतावन लाख रूपये) मात्र के परियोजना प्रस्तावानुसार प्रस्तावित तारामंडल के निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सहमति भवन निर्माण विभाग को संसूचित कर दी गई।

ज्ञापांक– वि०प्रा०(II)विधायी–25/18/ 943 /पटना, दिनांक– 11-4-2018

प्रतिलिपि– पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, बिहार विधान सभा के ज्ञापांक संख्या 4326–27 दिनांक 21.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.04.18
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वि०प्रा०(II)विधायी–25/18/ 943 /पटना, दिनांक– 11-4-2018

प्रतिलिपि – उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.04.18
सरकार के उप सचिव

श्री संजय सरावगी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 05.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या गृह-23 का उत्तरः-

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सदर प्रखंड अन्तर्गत रानीपुर ग्राम के दुर्गा मंदिर के उत्तर, मव्वी ग्राम में कंसी पंचायत के मनिहास ग्राम स्थित श्मशान घाट अवस्थित है, जहां 40 वर्षो से उपर से शवों का अंतिम संस्कार होता है;	स्वीकारात्मक
(2) क्या यह बात सही है कि खंड-(1) में वर्णित श्मशान घाटों में शव को जलाने के लिए चबूतरा, शवयात्रियों के बैठने के लिए भवन का एवं पेयजल की अनुपलब्धता के कारण बरसात सहित सभी मौसम में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड-(1) में वर्णित श्मशान घाटों में खंड-(2) में वर्णित सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग द्वारा शमशान घाटों में शव को जलाने के लिए चबूतरा, यात्रियों को बैठने के लिए भवन एवं पेयजल की व्यवस्था कराने की नीति नहीं है।

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

ज्ञापांक-सी/ए०क्यू०-4422/18-3095/पटना, दिनांक-18/4/18

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का ज्ञापांक-337-338, दिनांक-09.02.18 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/4/18
(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

16

बिहार विधान सभा के वर्तमान सत्र में श्री संजय सरावगी, स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०--गृह--226 के लिए उत्तर सामग्री।

प्रश्न।	उत्तर
क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर के दरभंगा स्टेशन चौक, दोनार चौक, अल्लपट्टी, ब.ा चौक, लहेरिया टावर, दरभंगा टावर, वाकरगंज, नाका--05 मिर्जापुर चौक व्यस्त समय सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे एवं संध्या 4:00 बजे से 7:00 बजे तक भीषण जाम रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त स्थलों को जाम से निजात के लिए कौन सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा शहर में अस्थाई रूप से यातायात नियंत्रण रखने हेतु (1) दरभंगा स्टेशन के पास--गृहरक्षक--02 (2) दोनार चौक--पी०टी०सी०--02, सिपाही--06 (3) अल्लपट्टी--पी०टी०सी०--01 सिपाही--01, गृहरक्षक--02 (4) लहेरियासराय टावर-- पी०टी०सी०--01, सिपाही--01, गृहरक्षक--01 (5) दरभंगा टावर-- (थाना स्तर से निगरानी रखी जाती है।) (6) वाकरगंज--पी०टी०सी०--01, सिपाही--01, गृह रक्षक--01 (7) कोतवाली चौक, ओ०पी० (नाका नं०--05) प्रशिक्षु सिपाही--02, सिपाही--02 (8) मिर्जापुर चौक--सिपाही--02, गृहरक्षक--02 को तैनात किया गया है। वाहनों के दवाब के कारण कभी--कभी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे थाना के द्वारा तुरन्त कार्रवाई कर नियंत्रित कर लिया जाता है।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

ज्ञापांक :-- 3/वि०स० 50--33/2018--3774--/पटना, दिनांक 7/5/18
[illegible] शाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को सभा सचिवालय के ज्ञापांक--[illegible]--1332, दिनांक--15.03.2018 के प्रसंग में (तीन प्रतियों) सूचनार्थ प्रेषित।

04/05/18

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :-- 3/वि०स० 50--33/2018--3774--/पटना, दिनांक 7/5/18
प्रतिलिपि :-- प्रभारी पदाधिकारी, P--प्रशाखा, गृह विभाग (विशेष शाखा) को सूचनार्थ प्रेषित।

04/05/18

सरकार के उप सचिव

श्री संजय सरावगी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द0–18

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खण्ड	श्री संजय सरावगी स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, मंत्री स्वास्थ्य विभाग
(क)	क्या यह बात सही है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सो के 1093 पद स्वीकृत है। इन पदो के विरूद्ध मात्र 310 नर्स ही कार्यरत है और 783 पद पिछले तीन वर्षो से रिक्त है, यदि हाँ तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सो के रिक्त 783 पदों पर अबतक नियुक्त नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। उक्त संस्थान में परिचारिका श्रेणी 'ए' के 971 पद एवं वार्ड प्रभारी परिचारिका के 100 पद सृजित है। वर्त्तमान में 310 परिचारिका श्रेणी 'ए' कार्यरत हैं। वर्ष 2013–14 में, राज्य में परिचारिका श्रेणी 'ए' कुल–7574 रिक्त पदो पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित अधियाचना के विरुद्व कुल–4667 की अनुशंसा प्राप्त हुई थी। उक्त अनुशंसा के आलोक मे विभाग द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय में परिचारिका श्रेणी 'ए' के पद पर कुल–222 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु आवंटित किया गया। वर्त्तमान में कुल–310 परिचारिका श्रेणी 'ए' उक्त संस्थान में कार्यरत है। शेष रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति निमित आयोग को अधियाचना भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक सं0–6/एन–10–03/2018 - 310(6)   पटना दिनांकः– 17/04/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–991–92/वि0स0, दिनांक 08.02.2018 के प्रसंग में 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।.

2. प्रशाखा–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16.4.18

(रवीन्द्र नाथ उपाध्याय)
अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

E:\Sec-6\ Bidhan shbha 2018

प्रबंध्य-समिति का गठन-

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक-15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-धाम-04 के संबंध में।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, सदस्य बिहार विधान सभा	श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार
प्रश्न	**उत्तर**
क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	
क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के गोरेया कोठी प्रखण्ड के गोरेया कोठी में रामजानकी मंदिर है, जिसका निबंधन संख्या-4924 है तथा अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन अबतक प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ है, यदि हाँ तो सरकार कबतक प्रबंध समिति गठित करने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	श्री राम जानकी मंदिर, गोरेया कोठी, जिला-सिवान पर्षद में निबंधित न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-2943 है। पर्षद में संधारित निबंधन पंजी में अंतिम निबंधन संख्या-4477 है, जो दिनांक-03.02.2018 को हुआ है। अतः निबंधन संख्या-4924, जैसा कि विधान सभा प्रश्न में अंकित है, नहीं हो सकता है। फिर भी चूंकि प्रश्न श्री राम जानकी मंदिर, गोरेया कोठी, जिला-सिवान से संबंधित है, अतः इसक संबंध में अद्यतन स्थिति निम्नवत् है:- श्री राम जानकी मंदिर, गोरेया कोठी, प्रखण्ड-गोरेया कोठी, जिला-सिवान (निबंधन संख्या-2943) के सुचारू प्रबंधन के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-3292, दिनांक-25.03.2017 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज की अध्यक्षता में एक न्यास समिति का गठन किया गया है। साथ ही पर्षदीय पत्रांक-2517 दिनांक-28.02.2018 द्वारा एक न्यास समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद पर चयन संबंधी समिति के निर्णय के अनुमोदन की सूचना भेजी गयी है।

कृ0पृ0उ0

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-एल0आर0टी0-4-03/2018...2558.../जे0, पटना, दिनांक-...13-03-18...

प्रतिलिपिः- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप संख्या-प्र0-1963-64/वि0स0 दिनांक-15.02.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियाँ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सरकार के, संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-एल0आर0टी0-4-03/2018...2558.../जे0, पटना, दिनांक-...13-03-18...

प्रतिलिपिः- अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, विधान मंडलीय, विधि विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

माननीय श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख–12 का प्रश्नोत्तर।

	माननीय श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, स०वि०स०	माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के गोरेया कोठी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विद्यालय एच्छिक कोष से होने वाले निर्माण कार्य बालू के अभाव में बाधित है, यदि हाँ तो सरकार उक्त कोष से होने वाले निर्माण कार्य हेतु कबतक बालू आवंटित करने का विचार रखती है?	अस्वीकारात्मक वस्तुस्थिति यह है कि खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, सिवान के पत्रांक 157 दिनांक 15.03.18 द्वारा सूचित किया गया है कि सिवान जिला में बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि० का बफर स्टॉक स्थापित है, जिसमें दिनांक 19.03.18 तक लगभग 98 हजार घनफीट बालू उपलब्ध था, जिसमें से इस माह में लगभग 88 हजार घनफीट बालू जिला के उपभोक्ताओं को सरकारी दर पर उपलब्ध कराया जा चुका है एवं अभी भी बफर स्टॉक में लगभग 10000 घनफीट से भी ज्यादा बालू उपलब्ध है। अन्य जिलों से भी लगभग 400 वाहनों से प्रतिदिन सिवान जिला के उपभोक्ताओं को बालू की आपूर्ति की जा रही है। गोरेया कोठी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विद्यालय एच्छिक कोष से होने वाले निर्माण कार्य हेतु अधिकृत किसी भी एजेंसी द्वारा बफर स्टॉक के प्रभारी डिपो प्रबंधक के पास बालू की आपूर्ति हेतु अधियाचना समर्पित नहीं की गयी है। अधियाचना प्राप्त होते ही निर्माण कार्य में लगे एजेंसी को बालू उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा जिला के दियारा–I (24.97 हे०), II (24.98 हे०) एवं सीसवन–2 (24.98 हे०) बालूघाटों की बंदोबस्ती ई–नीलामी द्वारा की जा चुकी है। यहाँ से भी संवेदक बालू प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:-प्र0-01-(वि0स0)-12/18-....1732......./एम0, पटना, दिनांक 05.4.18

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, के ज्ञाप संख्या 3572-73/वि0स0 दिनांक 09.03.18 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 14.03.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0 पंच०–12 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 14.03.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0 पंच०–12	श्री कपिलदेव कामत, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
क्या मंत्री पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
(क) क्या यह बात सही है कि जिला सिवान के प्रखंड बसन्तपुर के पंचायत कुमकुमपुर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण 4(चार) साल पहले के मानक के अनुसार नहीं कराया गया है जिससे भवन में दरार आ गया है, यदि हाँ तो सरकार उक्त पंचायत सरकार भवन के निर्माण की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	जिला पदाधिकारी, सिवान के प्रतिवेदन अनुसार प्रखंड बसन्तपुर अंतर्गत कुमकुमपुर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण मानक के अनुसार कराया गया है। गत वर्ष 2017 में लगातार वर्षात के कारण जल–जमाव के चलते पंचायत सरकार भवन की छत के पश्चिम तरफ पानी का हल्का रिसाव हो रहा था, जिसे कार्यकारी एजेन्सी के द्वारा ठीक करा दिया गया है। वर्तमान में पंचायत सरकार भवन क्रियाशील अवस्था में है।

ज्ञापांक 2प/वि0स0–01–04/2018/5202 प0रा0 दिनांक 13/03/2018

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0प्र0 2107–08 दिनांक 08.03.2018/ प्रशाखा पदाधिकारी 9 को उनके गै0स0 प्रे0 सं0–118 दिनांक 09.03.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाई हेतु प्रेषित

13/3/18
मजार हुसैन
उप सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–22

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि– क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत प्रखण्ड बसन्तपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बसन्तपुर एवं प्रखण्ड गौरेया कोठी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छितौली में क्रीड़ा मैदान है, यदि हाँ तो सरकार उक्त विद्यालयों के क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार का मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम बनाने का लक्ष्य है। सिवान जिलान्तर्गत प्रखण्ड गौरेया कोठी के उच्च विद्यालय, गौरेया कोठी में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–450, दिनांक 11.03.2010 द्वारा स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। अतएव एक ही प्रखण्ड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक बसन्तपुर प्रखण्ड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बसन्तपुर में स्टेडियम निर्माण का प्रश्न है, के संबंध में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, सिवान से विभागीय पत्रांक–204, दिनांक 20.02.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–20मु., दिनांक 27.02.2018 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हो गया है, स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–141/2018...294/ पटना, दिनांक ...05.3.../2018

प्रतिलिपि :– श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–2046–47, दिनांक 15.02.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

1380 /puskar

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–58

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि जिला सिवान के प्रखण्ड लक्की नवीगंज के किशुन पर स्थित मा० वि० को अपनी क्रीड़ा मैदान है, लेकिन स्टेडियम से वंचित है, यदि हाँ तो सरकार क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम कबतक बनवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिला के लक्की नवीगंज प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, सिवान से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1346, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–89, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–407, दिनांक–16.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–177/2018....314....../ पटना, दिनांक ....19/03../2018

प्रतिलिपि :– श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3413–14, दिनांक 08.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–60

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि जिला सिवान के प्रखण्ड लक्की नवीगंज प्रखण्ड के माध्यमिक विद्यालय, किशुनपुर में क्रीड़ा मैदान है, लेकिन स्टेडियम निर्माण नहीं किया है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त मैदान में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिला के लक्की नवीगंज प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, सिवान से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1346, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–89, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–407, दिनांक–16.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–180/2018....418.../ पटना, दिनांक 19/03./2018

प्रतिलिपि :– श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3576–77, दिनांक 09.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19-03-18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

1493

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–147, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के स्वास्थ्य केन्द्र, बसंतपुर के भवन का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2015–16 में कराया गया था, तथा स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था,	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि तीन साल में भवन की स्थिति दयनीय हो गयी है, जबकि करोड़ के लागत से भवन बनायी गयी है; अगर खण्ड–II की बात सही है तो क्या सरकार निर्मित भवन की भौतिक जाँच कराकर राशि लूटने वालों को दंडित करने की विचार रखती है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसंतपुर के हस्तान्तरण के उपरान्त ही बरसात के मौसम के दौरान भवन में आई त्रुटियाँ परिलक्षित हुई थी, सिविल सर्जन, सिवान एवं विभागीय स्तर पर भी निर्माण एजेन्सी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को शिकायत दर्ज कराते हुए मरम्मति का अनुरोध किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के उपरान्त नियमानुकुल कार्रवाई अवश्य की जाएगी।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–85/2018 47/10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13.04.18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2267–68, दिनांक 12.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

श्री सैयद अबु दौजाना, माननीय स० वि० स० द्वारा बिहार विधान सभा के चलते अधिवेशन में दिनांक–20.03.2018 को तारांकित प्रश्न सं०–प्रा०–03

क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला कें सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत मलाही पंचायत के ग्राम मलाही में रजाकीय पोलिटेकनिक विद्यालय अवस्थित है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के उत्तरी भाग में खेल का मैदान है जिसमें बरसात के दिनों में जल जमाव हो जाने पर छात्रों को कठिनाई होती है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त स्थान पर मिटटी भराकर जल जमाव से कबतक मुक्ति दिलाने का विचार कबतक रखती है ; नही तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि पोलिटेकनिक परिसर के 5.0 एकड़ भूखंड से बाहर जल–जमाव होता है, जो भूखंड विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक:–वि०प्रा०(।।)विधायी 08/2018 782 /पटना,दिनांक– 23-3-018
प्रतिलिपि:– पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक– 2500–2501 दिनांक–26.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.3.18
सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

श्री सैयद अबु दौजाना, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–26, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री सैयद अबु दौजाना, स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत रधाऊर पंचायत के ग्राम–रधाऊर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण नहीं होने के कारण 5 हजार आबादी ग्रामीण जनता को 6 कि०मी० की दूरी तय करके इलाज कराने हेतु सुरसंड प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है जिससे ग्रामीण जनता को काफी कठिनाई होती है,	अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत ग्राम रधाऊर में स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है जहाँ से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
(2)	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रखंड स्तरीय होता है। ग्राम रधाऊर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का कोई योजना नहीं है ।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10 / प्र0(वि0स0) 13–267 / 2017 1182(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 19/12/2017

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 12625–26, दिनांक 20.11.2017 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/17

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री सैयद अबु दौजाना, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या गृह-36 का उत्तरः-

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत पठनपुरा पंचायत के ग्राम अदलपुर में एवं दिवारी मतौना पंचायत के ग्राम-मतौना में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने से असमाजिक तत्वों एवं अवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थानों पर कब्रिस्तान की घेराबन्दी कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तु-स्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत पठनपुरा पंचायत के ग्राम अदलपुर में एवं दिवारी मतौना पंचायत के ग्राम-मतौना में अवस्थित कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमशः क्रमांक-398 एवं 291 पर अंकित है। प्राथमिकता सूची के क्रमांक-17 तक के कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का कार्य प्रक्रियाधीन है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कण्डिका 6(34) में भी 'कब्रिस्तान की घेराबन्दी योजना' को शामिल किया गया है।

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

ज्ञापांक-सी/ए०क्यू०-4435/2018- 4259, /पटना, दिनांक-8/5/18

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का ज्ञापांक-361-362, दिनांक-09.02.2018 के आलोक में 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/18

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

श्री सैयद अबु दौजाना, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या गृह-38 का उत्तरः-

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत रामनगर बेदौल पंचायत के ग्राम बेदौल में गोशाला के बगल में नदी के किनारे जो मंसूरी जाति के लोगों का कब्रिस्तान है एवं रामनगर बेदौल पंचायत के ग्राम गोट बेदौल में रोड के उत्तर एवं रोड के दक्षिण साईड में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने से असमाजिक तत्वों एवं अवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थानों पर कब्रिस्तान की घेराबन्दी कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत रामनगर बेदौल पंचायत के ग्राम बेदौल कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के कमांक-204 पर अंकित है। उक्त प्राथमिकता सूची के कमांक-1 से 17 तक के कब्रिस्तानों की घेराबन्दी की कार्रवाई की जा रही है। ग्राम बेदौल गोट में रोड के उत्तर एवं रोड के दक्षिण साईड में अवस्थित कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कण्डिका 6(34) में भी 'कब्रिस्तान की घेराबन्दी योजना' को शामिल किया गया है।

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

ज्ञापांक-सी/ए०क्यू०-4438/2018 4192 /पटना, दिनांक- 7/5/2018
प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का ज्ञापांक-365-366, दिनांक-09.02.2018 के आलोक में 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/5/18
(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीया स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–55 का उत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खंड	श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीया, स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसौनी में सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, सीतामढ़ी के कार्यालयादेश पत्रांक–797 (डी0एच0एस0) दिनांक–23.08.2016 के आलोक में मिश्रा सर्विस, गाढ़ा रून्नीसैदपुर, सीतामढी द्वारा दिनांक–20.09.2016 से मरीजों के खान–पान हेतु पथ्य आपूर्ति सेवा का कार्य प्रारम्भ किया गया है, परन्तु उक्त एजेन्सी द्वारा 6 माह से उक्त स्वास्थ्य केन्द्र मे खान–पान हेतु पथ्य आपूर्ति सेवा बंद कर दिया गया है यदि हां तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में खान–पान हेतु पथ्य आपूर्ति सेवा को पुनः चालू कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	**उत्तर स्वीकारात्मक है।** वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत परसौनी प्रखंड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसौनी में मिश्रा सर्विस, गाढ़ा द्वारा 20.09.2016 से मरीजों को खान–पान हेतु पथ्य आपूर्ति सेवा का कार्य प्रारम्भ किया गया लेकिन उक्त एजेन्सी के द्वारा मरीजों का खान–पान करार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण नहीं था, जिसके कारण मिश्रा सर्विस गाढा को मौखिक रूप से कहा गया कि पथ्य आपूर्ति सेवा में सुधार लाये जिसके कारण विगत छः माह से उक्त एजेन्सी द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया है। अतः उक्त अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण खान–पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिविल सर्जन, सीतामढ़ी को वर्तमान एजेन्सी का एकरारनामा रद्द कर पुनः निविदा कर नये एजेन्सी को शीघ्र बहाल करने का निदेश दिया गया है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:–12/प0–क्यू–04–21/2018 346(12) /पटना, दिनांक:–...9...4...2018

प्रतिलिपि:–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–1342–43 दिनांक–15.02.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति मे)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–56 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीय स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसौनी में सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, सीतामढ़ी के कार्यालयादेश पत्रांक–816 (डी0एच0एस0) दिनांक–01.09.2016 के आलोक में आऊट सोर्सिंग के माध्यम से चैतन्य बिहार विकास मंच, कंकड़बाग, पटना द्वारा दिनांक–12.09.2016 से सफाई कार्य प्रारंभ किया गया है, परन्तु उक्त एजेन्सी द्वारा दिनांक–21.06.2017 से उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का सफाई कार्य बंद कर दिया गया है, यदि हां तो सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का सफाई कार्य पुनः कब से शुरू कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत परसौनी प्रखंड मे स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसौनी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से चैतन्य बिहार विकास मंच, कंकड़बाग, पटना द्वारा सफाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था लेकिन साफ–सफाई कर्मी का मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण उक्त संस्थान के सफाई कर्मी द्वारा कार्य करना छोड़ दिया गया। फलतः जून, 2017 से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसौनी के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् उक्त अस्पताल में साफ–सफाई का कार्य कराया जा रहा है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प0–क्यू–04–22/2018–378(12) /पटना, दिनांकः–12/04/2018

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–1344–45 दिनांक–15.02.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीया स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–57 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीया स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसौनी में जिला स्वास्थ्य समिति, सीतामढ़ी के कार्यालयादेश पत्रांक–794 (डी0एच0एस0) दिनांक–23.08.2016 के आलोक में इम्पोरिशेबल सिक्योरिटी सर्विसेज, धर्मकारा चौक बैरिया, मुजफ्फरपुर ने स्वास्थ्य केन्द्र में जेनरेटर सेवा चालू किया है परन्तु अक्टूबर, 2016 से उक्त जेनरेटर सेवा बंद है, यदि हाँ तो बिहार सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में जनरेटर सेवा को पुनः शुरू कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत परसौनी प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसौनी में इम्पोरिसेबल सिक्योरिटी सर्विसेज धर्मकारा चौक, बैरीया, मुजफ्फरपुर द्वारा जेनरेटर सेवा चालू किया गया था, परन्तु जून, 2017 से जेनरेटर सेवा बन्द कर दिया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसौनी के द्वारा जून, 2017 से अब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् जेनरेटर सेवा लिया जा रहा है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प0–क्यू–04–24/2018 – 379 (12) /पटना, दिनांकः– 13/04/2018

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–1346–47 दिनांक–15.02.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 13/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीया स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–17, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला के तरियानी प्रखंड में स्थित रेफरल अस्पताल, तरियानी छपरा का भवन जर्जर है,	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शिवहर ने पत्रांक–719, दिनांक–24.10.2013 द्वारा अस्पताल भवन को क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवा पूर्णतः बाधित है, जिससे मरीजों को स्वास्थ्य सेवा हेतु 10 किलोमीटर की दूरी तय कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरियानी आना पड़ता है,	स्वीकारात्मक है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त रेफरल अस्पताल का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि रेफरल अस्पताल, तरियानी छपरा के जर्जर भवन के स्थान पर रेफरल अस्पताल के समतुल्य तीस बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। विहित प्रक्रियानुसार अगले वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः– 10/प्र0(वि0स0) 13–07/2018 1556(10) स्वा0, पटना, दिनांकः– 21/3/2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 989-990, दिनांक 08.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–44

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–80, दिनांक 17.02.2009 के द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखण्ड के यू.एस.पी. महाविद्यालय, शिशवा पटना में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी; यदि हाँ तो अबतक स्टेडियम निर्माण कार्यपूर्ण नहीं होने का क्या औचित्य है?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखण्ड के यू.एस.पी. महाविद्यालय, शिशवा में स्वीकृत स्टेडियम निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी की मांग जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से विभागीय पत्रांक–1370, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–65, दिनांक 18.01.2018 एवं पत्रांक–342, दिनांक 09.03.2018 द्वारा की गयी है। जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–163/2018....411..../ पटना, दिनांक ......19/03../2018

प्रतिलिपि :– श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3014–15, दिनांक 06.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री सदानन्द सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–छ:–18 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता (श्री सदानन्द सिंह) सदस्य, बिहार विधान सभा।	उत्तरदाता (श्री सुशील कुमार मोदी) उप मुख्य मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।
1.	क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलागाँव में NTPC स्थित है, जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 2840 मेगावाट है, बिजली उत्पादन से क्रम में Boiler से भारी मात्रा में कोयले की राख पानी के साथ निकलता है, जो सैकड़ों एकड़ भूमि में जमा होता है, जिससे भूमि बंजर होती जा रही है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव में NTPC Limited का कहलगाँव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। इस इकाई की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 2340 मेगावाट (स्टेज–1: 4X210 मेगावाट, स्टेज–2: 3X500 मेगावाट) हैं। इकाई द्वारा औसतन 130 लाख टन प्रतिवर्ष कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इकाई द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान 50 लाख टन राख का जनन हुआ। इकाई द्वारा प्रदूषण व्यवस्था के रूप में स्थापित ई0एस0पी0 (Electro Static Precipitator) के माध्यम से संग्रहित होने वाले फ्लाई ऐश को पानी में मिलाकर ऐश स्लरी के रूप में ऐश पॉन्ड में भंडारित किया जाता है। इकाई के पास ड्राई फ्लाई ऐश कलेक्शन हेतु पाँच साइलों (Silo) स्थापित है। इस साइलों के माध्यम से ड्राई फ्लाई ऐश को सीमेन्ट एवं अन्य संबंधित उद्योगों को उपयोग हेतु दिया जाता है। इकाई परिसर के बाहर एन0टी0पी0सी0 का ऐश पॉन्ड स्थित है।
2.	क्या यह बात सही है कि जल मिश्रित राख के सूख जाने के बाद तेज हवा के चलने से 4–5 कि0मी0 की परिधि तक धूलकण के उड़ने से करीब 15 छोटे और बड़े गांवों में प्रदूषण फैलता है, जिससे NTPC के बगबा के गाँवों में रहने वाले लोगों में स्वांस की बीमारी बढ़ गयी है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जल मिश्रित राख (ऐश स्लरी) के सूखने के पश्चात हवा में उड़ने से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रदूषण रोकने हेतु ठोस कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है।	थर्मल पावर प्लांट से जनित होने वाला फ्लाई ऐश, सीमेन्ट उत्पादन, ईंट–निर्माण, भूमि–भरन, सड़कों के चौड़ीकरण एवं निर्माण आदि के लिए एक संसाधन सामग्री है। इसके उपयोग से ऐश पॉन्ड के आस–पास धूलकण की समस्या स्वतः समाप्त हो जायेगी। इसके शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निदेश दिया गया है। इकाई द्वारा इसका पूर्ण अनुपालन नहीं करने के कारण इकाई को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस कार्य हेतु राज्य–स्तरीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से फ्लाई ऐश का उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में पहल की जा रही है।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

ज्ञापांकः–1/बि0वि0स0–26/2018– 880 /प०व० पटना–15, दिनांक 16.03.18

प्रतिलिपिः– सरकार के प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/बि0वि0स0–26/2018– 880 /प०व० पटना–15, दिनांक 16.03.18

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–3168–69, दिनांक 07.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/18
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

माननीय श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–द–16

खण्ड	प्रश्नकर्त्ता श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(क)	क्या यह बात सही है कि इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के विस्तार हेतु निर्माणाधीन भवन विगत पाँच वर्षों से पूरा नहीं हो पाने के कारण हृदय चिकित्सा के इस मुख्य केंद्र में मरीजों का समुचित इलाज किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ तो सरकार कबतक निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य पूरा करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति है कि इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के नये भवन को दिनांक–28.02.2018 तक पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु संवेदक के असहयोगात्मक रवैये के कारण अभी तक लगभग 85% कार्य ही सम्पन्न हो पाया है। अस्पताल के इस नये भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित एजेन्सी का एकरारनामा रद्द करने तथा संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने की अनुशंसा उनके द्वारा की जा रही है। विभाग द्वारा अस्पताल के नये भवन के निर्माण हेतु आवश्यक राशि बजट उपबंध के माध्यम से भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके बावजूद अस्पताल में आने वाले मरीजों के चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध संसाधन से किया जाता है। अस्पताल में मरीजों को टी०एम०टी०, होल्टर, ईक्को, पेसमेकर, एनजीओग्राफ्री, एनजीओप्लास्टी, क्लोज हर्ट सर्जरी एवं ओपेन हर्ट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

क्रमशः

उ० ५५० वि०स० प्र०

(५)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–1 / क्यू0–06 / 2018– 456(1) / स्वा0, पटना, दिनांक– 17 / 4 / 2018

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक–987–88 वि0स0, पटना, दिनांक–08.02.2018 के प्रसंग में 5 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप सचिव / अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमांक–2037

श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–168, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	**प्रश्नकर्त्ता** **श्री समीर कुमार महासेठ,** **माननीय स0वि0स0** क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	**उत्तरदाता** **श्री मंगल पाण्डेय,** **माननीय मंत्री** **स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना**
	क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मोकामा प्रखंड के हाथीदह ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण हेतु मेसर्स साईं बाबा बिल्डर एण्ड कन्सलटेंट प्रा० लि० को वर्ष 2014 में ही कार्य करने हेतु आदेश दिया गया था परन्तु आज तक भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है, यदि हाँ तो सरकार कबतक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने तथा विलम्ब के लिए दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में निगम द्वारा संबंधित निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य कराने हेतु कार्यादेश जारी किया गया परन्तु बाधामुक्त भूमि अनुपलब्धता के कारण भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त हाथीदह ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन का निर्माण कार्य कराया जाएगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–88/2018 – 79(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2440–41, दिनांक 14.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्रीमती समता देवी, माननीया स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–66

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में खेल–कूद को प्रोत्साहित करने हेतु एक स्टेडियम का निर्माण का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी प्रखण्ड में स्टेडियम नहीं है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, गया से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक– 15.05.2017, पत्रांक–1353, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–82, दिनांक– 18.01.2018 एवं पत्रांक–405, दिनांक–16.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–182/2018..1113..../ पटना, दिनांक ....19/03../2018

प्रतिलिपि :– श्रीमती समता देवी, माननीया स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3711–12, दिनांक 13.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

बिहार विधान सभा से माननीय श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–ख0–1 दिनांक 27.02.2018 के संबंध में प्रश्नोत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बिहार में बालू के खुदरा व्यापार के लिए लाईसेंस का आवंटन किया गया, जिसमें किसी भी तरह का आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, यदि हाँ तो क्या सरकार बालू के लाईसेंस आवंटन में महिला सशक्तिकरण एवं दलित महादलित के उत्थान हेतु महिला एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	खुदरा व्यापारी का चयन बिहार लघु, खनिज नियमावली, 2017 के प्रावधान के आलोक में बालू बिक्री हेतु प्रत्येक जिला में लॉटरी के माध्यम से किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सम्प्रति बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 पर स्थगनादेश के आलोक में लाईसेंस वितरण की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है।

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–2(वि0स0)–06/18–1065/एम0, पटना, दिनांक 26/2/18

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदा0, बिहार विधान सभा, पटना के ज्ञापांक–2128–29/वि0स0 दिनांक 19.02.18 के प्रसंग में पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/18

सरकार के अवर सचिव

श्री सरोज यादव, माननीय स० वि० स० द्वारा चलते अधिवेशन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–द–121

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
	श्री सरोज यादव, माननीय स० वि० स०	**श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना**
(क)	क्या यह सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, आरा से सटे अस्पताल की जमीन पर 30 वर्ष पूर्व मरीजों के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसका बाह्य व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा कर मरीजों से राशि वसूल कर शौचालय का उपयोग कराया जाता है, यदि हाँ तो क्या क्या सरकार इसकी जाँच कर दोषी पर कार्रवाई करते हुए मरीजों से वसूली की गयी राशि वापस करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सदर अस्पताल, आरा के परिसर में बने शुलभ शौचालय का संचालन श्री शिव मोहन यादव द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा हीं सेवा शुल्क लिया जाता है। परन्तु सरकारी कोष में जमा होने वाली राशि विगत कई वर्षो से जमा नहीं किया गया है। इसके लिए सिविल सर्जन, भोजपुर द्वारा उन्हें संसूचित किया गया है। जनहित में इस मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना को विभागीय पत्रांक–468, दिनांक–13.03.2018 द्वारा निदेशित किया गया है।

----X-----

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक :—18 / बि०वि०स०–13 / 2018 565(18) स्वा०   पटना, दिनांक– 03 / 04 / 2018

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक 1999–2000 / वि०स०, दिनांक–07.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–13 को सूचनार्थ प्रेषित।

3.4.18

(रवीन्द्र यादव)
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

1469

श्रीमती सावित्री देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–144, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती सावित्री देवी, स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सोनों प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना वर्ष 1990 के पहले की गई थी;	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि सोनों प्रखंड की आबादी लगभग ढाई लाख की है जिसके कारण उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों के अधिक संख्या में आने से मरीजों को इलाज कराने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सोनों प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल के समतुल्य तीस बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित/परिवर्तित कर नये भवन का निर्माण किया गया है, जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदस्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–80/2018 148(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13.04.18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2156–57, दिनांक 09.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री संजय कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–134 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री संजय कुमार सिंह, माननीया स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के अनुमंडलीय अस्पताल विक्रमगंज में अल्ट्रासाउंड मशीन, ई0सी0जी0 आदि मशीनें उपलब्ध नहीं रहने के कारण रोगियों को जाँच कराने हेतु 40 कि0मी0 की दूरी तय कर के जिला अस्पताल सासाराम जाना पड़ता है, जिससे मरीजों को काफी कठनाई हो रही है ?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल, विक्रमगंज में सरकार के द्वारा लोक निजी साझेदारी के तहत् अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध है जिसकी सेवा मरीजों को दी जा रही है विगत 4 माहों से आवंटन के अभाव में एजेन्सी को भुगतान नहीं होने के कारण एजेन्सी द्वारा अल्ट्रासाउंड की सेवा बन्द कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा आवंटन की राशि उपलब्ध करायी जा रही है। राशि की भुगतान होते ही अल्ट्रासाउंड मशीन शीघ्र चालू करा दी जायेगी। ई0सी0जी0 मशीन उपलब्ध नहीं है। ई0सी0जी0 की सुविधा मुहैया कराने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक एवं ई0सी0जी0 टेक्निशियन के पदस्थापन होने के उपरान्त सुविधा मुहैया करायी जायेगी।
2	यदि खंड–1 का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन, ई0सी0जी0 मशीन आदि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:–12/प0–क्यू–04–35/2018 331(12) /पटना, दिनांक:– 9-4-2018

प्रतिलिपि:–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–2096–97 दिनांक–08.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–ख0–06, दिनांक–13.03.2018 का प्रश्नोत्तरः–

	माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद, स0वि0स0	माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, स्थानीय शहरी एवं पंचायती राज से जुड़ी मुख्यमंत्री सात निश्चय गली नली योजना का निर्माण कार्य बालू के अभाव में बंद है, जिससे विकास कार्य बाधित है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, कटिहार के पत्रांक–133, दिनांक–09.03.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि कटिहार जिलान्तर्गत स्थित बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के बफर स्टॉक स्थल पर कुल 12,755 घन फिट पीला बालू प्राप्त हुआ है, जिसमें से शौचालय एवं इंदिरा आवास योजना के लाभुकों को अद्यतन तिथि तक 6965 घनफिट बालू उपलब्ध कराया गया है। तत्काल बफर स्टॉक में प्रर्याप्त मात्रा में सरकारी प्रयोजनार्थ बालू उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त बाँका एवं भागलपुर के घाटों से बालू की सीधी आपूर्ति की जा रही है।
(ख)	क्या यह बात सही है कि बालू उठाव की जटिल प्रक्रिया एवं विभागीय असहयोग के कारण संवेदकों को निर्माण कार्य में कठिनाई हो रही है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जन–साधारण एवं सरकारी योजनाओं के लिए सुविधा पूर्वक एवं उचित मूल्य पर बालू उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा पूरी प्रक्रिया को ऑन–लाईन किया गया है एवं बालू उठाव से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाने तक की पूरी निगरानी विभागीय पदाधिकारियों की जाती है। इसके अलावा संवेदकों एवं आम नागरिकों को अब राज्य के बालू बंदोबस्तधारियों के माध्यम से भी बालू सीधे उपलब्ध है।
(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बालू उठाव की प्रक्रिया को सरल कर निश्चित अवधि के अन्दर कबतक संवेदकों को बालू उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः-प्र0-01-(वि0स0)-14/18-......1212......./एम0, पटना, दिनांक ....05.4.18...

प्रतिलिपिः- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, के ज्ञाप संख्या 3032-33/वि0स0 दिनांक 06.03.18 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/18

सरकार के अवर सचिव

श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–49

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत स्कूली छात्र–छात्राओं को खेल का विशेष प्रशिक्षण देने हेतु एकलव्य केन्द्र नहीं होने के कारण उभरते स्कूली खिलाड़ियों को स्तरीय प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है; यदि हाँ तो सरकार कटिहार नगर में एकलव्य केन्द्र कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला अंतर्गत स्कूली छात्र–छात्राओं को खेल का विशेष प्रशिक्षण देने हेतु मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल (एथलेटिक्स) प्रशिक्षण केन्द्र एम.बी.टी.ए. इस्लामिया उच्च विद्यालय, कटिहार में पूर्व में स्वीकृत की गई थी, परन्तु केन्द्र का संचालन प्रारम्भ नहीं हो सका। जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–10, दिनांक 13.02.2018 द्वारा केन्द्र आरम्भ करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है जिसके संबंध में विभागीय पत्रांक–346, दिनांक–12.03.2018 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए यथाशीघ्र केन्द्र का संचालन प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया है।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–165/2018..355../ पटना, दिनांक ....12.3..../2018

प्रतिलिपि :– श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3024–25, दिनांक 06.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.03.18

निदेशक,
छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–74

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार नगर में एक मात्र खेल मैदान राजेन्द्र स्टेडियम की कुर्सियाँ टूटी हुई है, जिसके कारण खेल प्रेमियों को बैठने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त स्टेडियम में कुर्सियाँ एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार नगर में राजेन्द्र स्टेडियम का निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया है। कुर्सियाँ एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने से संबंधित कोई योजना विभाग द्वारा संचालित नहीं है।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–196/2018......489/ पटना, दिनांक ......26.3....../2018

प्रतिलिपि :– श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय स0 वि0 स0, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–4188–89, दिनांक–20.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

माननीय मो० तौसीफ आलम, स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ख–18 का प्रश्नोत्तर।

	मो० तौसीफ आलम स०वि०स०	माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिले में मनमाने दाम पर ईंट की बिक्री एवं किशनगंज बहादुरगंज सड़क पर ईंट, बालू, गिट्टी से ओवर लोड वाहन चल रही है, यदि हाँ तो सरकार उक्त जिला में ओवरलोड ईंट, बालू, गिट्टी का परिचालन एवं मनमाने दाम पर ईंट की बिक्री पर कबतक रोक लगाने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, किशनगंज के पत्रांक 168 दिनांक 28.03.18 द्वारा सूचित किया गया है कि किशनगंज जिला में ईंट निर्धारित मूल्य पर बिक्री हो रहा है, एवं किशनगंज जिलान्तर्गत किसी भी कार्य विभाग या आम जनता से इसके बारे में कोई शिकायत आज तक अप्राप्त है। दिनांक 27.03.18 तक लघु खनिज यथा बालू, गिट्टी, मिट्टी आदि लदे कुल 104 ओवर लोडेड अवैध खनन में शामिल ट्रकों, ट्रैक्टरों एवं जे०सी०बी० को जप्त कर कुल 40 प्राथमिकियाँ विभिन्न थानों में दर्ज की गयी है, लगातार ओवर लोडेड एवं अवैध खनन में संलिप्त वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है, इस कारण किशनगंज जिला में ईंट, बालू एवं पत्थर का ओवर लोडिंग एवं अवैध खनन पर काफी नियंत्रण पाया जा सका है। भविष्य में भी अवैध खनन पर सतत् निगरानी एवं लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:-प्र0-02-(वि0स0)-28/18-....1734......../एम0, पटना, दिनांक ....05.4.18....

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, के ज्ञाप संख्या 4640-41/बि0स0 दिनांक 26.03.18 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

श्री मो० तौसिक आलम, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–43

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 27.12.2017 को प्रकाशित "9 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सका इंडोर स्टेडियम का निर्माण" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखण्ड में 9 साल पूर्व इंडोर स्टेडियम का निर्माण कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर इंडोर स्टेडियम निर्माण की कोई योजना संचालित नहीं है। किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखण्ड में उच्च विद्यालय बी.बी. गंज में आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–508, दिनांक 20.10.2017 द्वारा दी गयी है, जिसके संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी की मांग जिला पदाधिकारी, किशनगंज से विभागीय पत्रांक–348, दिनांक 12.03.2018 द्वारा की गयी है।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–........../2018..358../ पटना, दिनांक ...12.3.../2018

प्रतिलिपि :– श्री मो० तौसिक आलम, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3012–13, दिनांक 06.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.03.18

निदेशक,
छात्र एवं युवा कल्याण।

1466 /puskar

श्री उमेश सिंह कुशवाहा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 अनु0 –6

	बिहार विधान सभा के आगामी अधिवेशन के लिए श्री उमेश सिंह कुशवाहा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 अनु0–6	श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना।
	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड एवं महनार प्रखण्ड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए आवासीय उच्च विद्यालय नही हैं, जबकि उक्त प्रखण्डों में वर्ष–2010 में आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, यदि हाँ तो सरकार उक्त प्रखण्डों में आवासीय विद्यालय खोलने का कबतक विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	**अस्वीकारात्मक है।** वर्त्तमान में जन्दाहा प्रखण्ड एवं महनार प्रखण्ड में नये आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। **वस्तुस्थिति यह है कि** • वैशाली जिला अन्तर्गत दिग्घी में स्थित अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय संचालित है। • विभागीय पत्रांक–2206 दिनांक–28.08.2017द्वारा अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, दिग्घी, वैशाली को +2 (720 आसन) स्तर तक उत्क्रमित किया गया है, जिसके लिए प्राथमिक शिक्षक के 7 पद, माध्यमिक शिक्षक(प्रशिक्षित) के 9 पद उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) के 19 पद, उप प्राचार्य के 1 पद एवं प्राचार्य के 1 पद स्वीकृत किए गये हैं।

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञापांक–3/निदे0 बि0वि0स0(तारां प्रश्न)–90–04/2018 – 1632 दिनांक–03.07.18

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उत्तर की छः प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0–2431–2432 दिनांक–23.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

3/7/2018

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–3/निदे0 बि0वि0स0(तारां प्रश्न)–90–04/2018 – 1632 दिनांक–03.07.18

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, विधायी शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण, विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3/7/2018

सरकार के अवर सचिव।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक **16.03.2018 को पूछा जानेवाला** तारांकित प्रश्न संख्या–टन–23

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत महनार में बाबा गणिनाथ की मंदिर तथा सुफी संत खाकी बाबा की मजार है, जहाँ देश–विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन, माथा टेकने आते हैं, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों नहीं ?	जिला पदाधिकारी, वैशाली से पत्रांक 542 दिनांक 12.03.2018 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है जो अप्राप्त है। परन्तु बाबा गणीनाथ मंदिर सेवाश्रम पलवैया एवं बाबा खाकी मजार के सौन्दर्यीकरण हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली से प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–23 / 18....594....... पटना, दिनांक 15-3-18

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–2128–29 दिनांक 09.03.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में / संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/18

प्रशाखा पदाधिकारी,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक–

श्री उपेन्द्र पासवान, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–165, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री उपेन्द्र पासवान, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी अनुमंडल मुख्यालय स्थित अनुमंडल स्तरीय अस्पताल निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015–16 में सरकार के द्वारा दी जा चुकी है तथा भवन निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, किन्तु अबतक अनुमंडल स्तरीय अस्पताल बनाने लायक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है, यदि हाँ तो क्या सरकार अनुमंडलीय अस्पताल के लिए अविलम्ब भूमि उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल, बखरी हेतु भूमि उपलब्ध है एवं भवन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। अगले माह तक कार्यादेश निर्गत किये जाने की संभावना है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–87/2018 – 65(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2434–35, दिनांक 14.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

1471

श्रीमती वर्षा रानी, माननीया स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–78, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती वर्षा रानी, स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नवगछिया पुलिस जिला अन्तर्गत एन०एच०–31 नवगछिया में ट्रामा सेंटर नहीं रहने से उक्त क्षेत्र में होने वाले दुर्घटनाओं के मरीजों को उपचार हेतु भागलपुर ले जाना पड़ता है, यदि हाँ तो क्या सरकार एन०एच०–31 नवगछिया में ट्रामा सेन्टर खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि एन०एच०–31 पर अवस्थित नवगछिया में अनुमंडलीय अस्पताल 24x7 की सुविधा के साथ संचालित है जहाँ गोल्डेन आवर (दुर्घटना के एक घंटे के अन्तराल के समय) में प्रारंभिक उपचार की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से विशेष इलाज हेतु मरीजों को भागलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेफर किया जाता है। एन०एच० पर ट्रामा सेन्टर खोलने संबंधी निर्णय सरकार के समक्ष विचाराधीन है। निर्णयोपरान्त विहित प्रक्रियानुसार एन०एच० पर अवस्थित चिन्हित अस्पतालों में ट्रामा सेन्टर स्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–47/2018 415(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 19.04.18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1483–84, दिनांक 22.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा चालू सत्र में दिनांक–06.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–घ–03 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	श्री संतोष कुमार निराला, मा० मंत्री, परिवहन विभाग
क्या मंत्री, परिवहन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नबीनगर प्रखंड से जिला मुख्यालय तक परिवहन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से स्थानीय लोगों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ तो सरकार कबतक नबीनगर प्रखण्ड से जिला मुख्यालय सहित अन्य स्थानों के लिए सरकारी गाड़ी की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक निगम के बेड़े में बसों की कमी रहने के कारण औरंगाबाद जिला मुख्यालय से नवीनगर तक निगम के बसों का परिचालन वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

ज्ञापांक–01/वि०स०(ता०प्र०)–02–03/2018 4375 पटना, दिनांक– 12/7/18

प्रतिलिपि– अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके पत्र संख्या–1384–85, दिनांक–11.02.2018 के क्रम में 05 (पांच) प्रतियों में/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 12.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या गृह–15 का उत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर नगर पंचायत में रामपुर और खरौन्धा में कब्रिस्तान का घेराबन्दी नही हुआ है, जिसके कारण दो समुदायों के बीच आपसी तनाव हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नगर पंचायत नबीनगर में रामपुर सर्वे खतियान के अनुसार कब्रिस्तान की भूमि नहीं है। उक्त भूमि में कोई विवाद नहीं है। मौजा खरौन्धा थाना नं0–121, खाता सं0–32, प्लॉट सं0–08, रकवा–0.94ए0 भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ मुर्दघट्टी दर्ज है। इसी प्लॉट के कुछ अंश को मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में लाते हैं। उक्त कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर तैयार नबीनगर प्रखंड के प्राथमिकता कमांक–16 पर अंकित है। उक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं है। उक्त प्राथमिकता सूची के कमांक–1–5 तक के कब्रिस्तानों की घेराबन्दी हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कण्डिका 6(34) में भी 'कब्रिस्तान की घेराबन्दी योजना' को शामिल किया गया है।

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

ज्ञापांक–सी/ए0क्यू0–4412/2018– 4081 /पटना, दिनांक– 27/4/18

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का ज्ञापांक–280–281, दिनांक–06.02.2018 के आलोक में 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/4/18
(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुमोदन हेतु प्रारूप

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– त्र–32 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नार्थ कोयल नहर के सिमरा माईनर तथा फुटहड़वा जलवाहा की उड़ाही एवं मरम्मति का कार्य नहीं होने से किसानों को सिंचाई कार्य में करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त माईनर एवं जलवाहा की उड़ाही एवं मरम्मति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। (1) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एडभाईजरी कमिटी द्वारा उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों का छठा पुनरीक्षित प्राक्कलन (प्राक्कलित राशि ₹ 1622.27 करोड़) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें बिहार के अवयवों पर ₹ 531.07 करोड़ का व्यय किया जाना है। (2) उक्त योजना में सिमरा माईनर की उड़ाही एवं मरम्मति तथा फुटहड़वा जलवाहा का निर्माण कार्य सम्मिलित है। योजना को जनवरी 2020 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 11/वि0स0–03–03/2018 1964 / पटना, दिनांक– 01.6.2018

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1199–1200 दिनांक–15.02.2018 के प्रसंग में तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 चन्द्रमा प्रसाद
29.5.18

(चन्द्रमा प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

3

TSC-2/D./RPK/RPK/2018/May-2018/Sec-11

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–67

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखण्ड में सरकार के प्रावधान के अनुसार आउटडोर स्टेडियम नहीं है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखण्ड के खेल स्टेडियम, दुधारू में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–499, दिनांक–20.10.2017 द्वारा दी जा चुकी है। अतएव एक प्रखण्ड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है। उक्त स्टेडियम निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी की मांग जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से विभागीय पत्रांक–1351, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–84, दिनांक 18.01.2018 एवं पत्रांक–510, दिनांक 28.03.2018 द्वारा की गयी है।
2. क्या यह बात सही है कि बारून में हाईड्रो इलेक्ट्रिक कार्यालय के बगल में स्टेडियम बनाने हेतु प्रर्याप्त जमीन उपलब्ध है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। उत्तर कंडिका–1 में स्पष्ट की जा चुकी है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बारून में कबतक आउटडोर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। उत्तर कंडिका–1 में स्पष्ट की जा चुकी है।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–190/2018..521../ पटना, दिनांक ..03.4../2018

प्रतिलिपि :– श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3713–14, दिनांक–13.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/4/18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री विजय प्रकाश, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–73, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री विजय प्रकाश, स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में यह निर्णय लिया गया है कि जिस प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीज अत्यधिक संख्या में आते हैं, उसे उत्क्रमित कर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित किया जायेगा;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सरकार द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।
(2)	क्या यह बात सही है कि बाँका जिला के बेलहर प्रखंड के खरौधा स्थित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र 30,000 (तीस हजार) से अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ मात्र 30 बेड ही उपलब्ध है, जिसके कारण मरीजों को इलाज कराने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र, खरौंधा में ए०एन०एम० के द्वारा टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधा दिया जाता है। यहाँ बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीस बेड की सुविधा प्रखंड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल में एवं सौ बेड की सुविधा अनुमंडलीय अस्पताल में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खरौधा स्थित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र को कबतक उत्क्रमित कर 100 बेड वाले अस्पताल में परिणत करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी, है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–32/2018 1559 (10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 21/3/2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1521–22, दिनांक 23.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक 13.03.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्र०सं०–प्रा०–01 का उत्तर।

क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत दस लाख की आबादी वाले शेरघाटी अनुमंडल में तकनीकी शिक्षा हेतु सरकारी महाविद्यालय नहीं है, जिस कारण छात्रों को दूर जाकर तकनीकी शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। यदि हाँ तो सरकार शेरघाटी अनुमंडलीय मुख्यालय में तकनीकी शिक्षा हेतु महाविद्यालय स्थापित करने का कबतक विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर अस्वीकारात्मक। मुख्यमंत्री, बिहार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिलों में एक सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना किया जाना संकल्पित है। गया जिला में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित है एवं कार्यरत है। वर्त्तमान में गया जिला में अन्य कोई अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

ज्ञापांक– वि०प्रा०(।।)विधायी–02/18/ /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, बिहार विधान सभा के ज्ञापांक संख्या 1398–99 दिनांक 11.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.3.18

सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– वि०प्रा०(।।)विधायी–02/18/ 724 /पटना, दिनांक– 15-3-2018

प्रतिलिपि – उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.18

सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

पग/23.02.18

मंदिर के आय व्यय का ब्योरा २०११-

श्री डॉ विनोद प्रसाद यादव, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक-15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-धाम-05 के संबंध में।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री डॉ विनोद प्रसाद यादव, सदस्य बिहार विधान सभा ।	श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर

क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड में दुल्हिन मंदिर एवं रूकमिणी नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है तथा उक्त मंदिर का आय-व्यय का कोई ब्यौरा संधारित नही है, यदि हॉ तो सरकार उक्त वर्णित मंदिरों का आय व्यय का ब्यौरा कबतक संधारित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

(1) रूकमिणीनाथ मंदिर शेरघाटी, गया:-

रूकमिणीनाथ मंदिर, शेरघाटी, गया पर्षद में निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-3415 है। इस न्यास की सुव्यवस्था के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-640, दिनांक-12.06.2008 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी की अध्यक्षता में एक न्यास समिति का गठन, अगले आदेश तक, किया गया था। न्यास समिति द्वारा दिनांक-10.11.2015 को वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के आय-व्यय का विवरण दाखिल किया गया है। इसके बाद का विवरण प्राप्त नही हुआ है। न्यास के सुचारू प्रबंधन के लिए नयी न्यास समिति का गठन आवश्यक है। अतएव नयी न्यास समिति के गठन के लिए पर्षदीय पत्रांक-2220, दिनांक-23.01.2018 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी से सदस्यों का नाम उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।

(2) दुल्हिन मंदिर, शेरघाटी, गया:-

दुल्हिन मंदिर, शेरघाटी, गया पर्षद में सार्वजनिक धार्मिक न्यास के रूप में निबंधित है, जिसकी निबंधन संख्या-88 है। इस मंदिर के प्रबंधन के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-989, दिनांक-07.08.1998 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी की अध्यक्षता मे एक न्यास समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में

क0पृ0उ0

न्यास की आय-व्यय का विवरण पर्षद में दाखिल नही किया गया है। अतएव नयी न्यास समिति के गठन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी से पर्षदीय पत्रांक-2418, दिनांक-12.02.2018 द्वारा सदस्यों का नाम मांगा गया है। साथ ही न्यास समिति के सदस्यों से भी आय-व्यय विवरणी आदि दाखिल नही करने के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया है।

इसके अतिरिक्त पर्षदीय पत्रांक-2492, दिनांक-23.02.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से इन मंदिरों के संबंध में आवश्यक जांचोपरान्त अचल सम्पत्तियों एवं आय-व्यय के अद्यतन ब्योरे के साथ-साथ ट्रस्ट की राशि के संरक्षण के बिन्दु पर एक प्रतिवेदन, मंतव्य के साथ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक-एल0आर0टी0-4-05/2018...2586.../जे0, पटना, दिनांक-...14-03-18...

प्रतिलिपिः- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप संख्या-प्र0-2250-51/वि0स0 दिनांक-20.02.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियाँ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-एल0आर0टी0-4-05/2018...2586.../जे0, पटना, दिनांक-...14-03-18...

प्रतिलिपिः- अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, विधान मंडलीय शाखा, विधि विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

डॉ० विनोद प्रसाद यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०—त्र-46 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
	क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के घोड़ाघाट जलाशय अंतर्गत मुख्य कैनाल नहर, बगाही ब्रान्च नहर एवं करमौनी ब्रांच का लाईन कच्चा है एवं नहर में गाद की सफाई नहीं होने से बरसात के दिनों में नहर का तटबंध टूट जाया करता है, यदि हाँ तो सरकार उपरोक्त वर्णित नहरों के लाईन का पक्कीकरण कराने एवं नहर में गाद की सफाई कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के घोड़ाघाट लीलाजन सिंचाई योजना अंतर्गत नहर प्रणाली में गाद की समस्या है। परन्तु विगत पाँच वर्षों में बरसात के दिनों में नहर का तटबंध नहीं टूटा है। लीलाजन सिंचाई योजना अंतर्गत मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य एवं बगाही शाखा नहर, करमौनी शाखा नहर एवं इसके वितरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य का डी०पी०आर० 31 मार्च 2018 तक तैयार किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 441 दिनांक 05.03.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया को निदेशित किया गया है।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 11/वि0स0–05–07/2018 1943 / पटना, दिनांक– 31.5.2018

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1691–92 दिनांक–01.03.2018 के प्रसंग में तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

च० प्रसाद
29.5.18

(चन्द्रमा प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

31/5/18

(3)

TSC-2/D./RPK/RPK/2018/May-2018/Sec-11

श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–गृह–51

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– (1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी में सहायक थाना वर्षों से कार्यरत होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो डोभी सहायक थाना को पूर्ण थाना का कबतब दर्जा देने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत डोभी थाना के सृजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कुछ विन्दुओं पर वरीय पुलिस अधीक्षक गया से पुनः प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

ज्ञापांक–2/वि0स0–10–06/2018 गृ0आ0 3275 /पटना, दिनांक 17/4, 2018

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्र सं0–445–446/वि0स0 दिनांक 12.02.2018 के प्रसंग में (तीन प्रतियों के साथ)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/पुलिस महानिरीक्षक (बजट/अपील/कल्याण) बिहार, पटना के पत्रांक–314/357497/वि0मं0, दिनांक 01.03.2018 के प्रसंग में/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–पी0 गृह (विशेष) विभाग/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/04/18

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव।

श्री वशिष्ठ सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–त्र–71 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–
1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत रघुनाथपुर रजवाहा के दोनों तट क्षतिग्रस्त हो गया है एवं मिट्टी से भर गया है जिसके कारण उक्त रजवाहा का पानी प्रवाहित हो कर बर्बाद हो जाता है, जिससे अंतिम छोर किसानों को सिंचाई कार्य में बाधा पहुँचती है;</td><td>आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति है कि रोहतास जिलान्तर्गत रघुनाथपुर रजवाहा गारा चौबे शाखा नहर के 24.16 कि०मी० से निःसृत है। खरीफ सिंचाई 2017 के दौरान आवश्यकतानुसार मरम्मति कराकर नहर के अंतिम छोर तक पटवन कराया गया है। सिंचाई उपलब्धि निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>लक्ष्य (हे० में)</th><th>उपलब्धि (हे० में)</th></tr>
<tr><td>खरीफ–2017</td><td>1938</td><td>1841</td></tr>
<tr><td>रब्बी–2018</td><td>1265</td><td>1164</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त रजवाहा का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ जो कबतक, नहीं तो क्यों?</td><td>प्रश्नाधीन नहर के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन तैयार कर 31 मार्च 2018 तक उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक 449 दिनांक 05.03.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी को निदेश दिया गया है।</td></tr>
</table>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 11/वि०स०–02–05/2018 1018 पटना/दिनांक : 19.3.2018

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक – 1740–41 दिनांक 01.03.2018 के प्रसंग में तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.18

(चन्द्रमा प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 11/वि0स0–02–05/2018 ....पटना/दिनांक :...................................
प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक – 1740–41 दिनांक 01.03.2018 के प्रसंग में तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 19.3.18
(चन्द्रमा प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

श्री वशिष्ठ सिंह, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–75

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड–कोचस में खेल स्टेडियम नहीं होने के कारण युवकों को खेल–कूद में असुविधा होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, रोहतास से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1358, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–77, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–464, दिनांक–23.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–197/2018...480../ पटना, दिनांक ....26.3.../2018

प्रतिलिपि :– श्री वशिष्ठ सिंह, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–4190–91, दिनांक–20.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री विजय कुमार खेमका, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक–27.02.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 अनु0–02 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार के निर्णय के आलोक में पाँच वर्ष पूर्व पूर्णियाँ पूर्णियाँ पूर्व प्रखण्ड के बेलौरी अंचित साह उच्च विद्यालय परिसर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया है, परन्तु नवनिर्मित भवन का हस्तांतरण नहीं होने के कारण विद्यालय चालू नही हो सका है, यदि हाँ तो सरकार कबतक नवनिर्मित भवन का हस्तांतरण कराकर विद्यालय चालू कराने का विचार रखती है ?	अस्वीकारात्मक। • जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ ने पत्रांक–181/जि0क0 दिनांक–23.02.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि बेलौरी अंचित साह उच्च विद्यालय परिसर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कराया गया है। • बेलौरी अंचित साह उच्च विद्यालय परिसर मे राष्ट्रीय सम विकास योजना से कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया गया है। • कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, पूर्णियाँ के पत्रांक–428(अनु0) दिनांक–23.02.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस योजना हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक–193 दिनांक–02.05.2007 द्वारा मो0–₹49.98 लाख (उनचास लाख अन्ठानवे हजार रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹28.01 लाख रू0(अठाईस लाख एक हजार रू0) का आवंटन भवन प्रमण्डल को प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹27.12 लाख (सत्ताईस लाख बारह हजार रू0) व्यय कर छात्रावास भवन का निर्माण कराया गया है। शेष योजना के लिए राशि भवन प्रमण्डल को प्राप्त नहीं हुई एवं उक्त अवधि में सम विकास योजना बन्द हो गई, फलस्वरूप शेष कार्य नहीं कराया जा सका एवं छात्रावास का हस्तांतरण नहीं हो सका है।

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञापांक–3/निदे0बि0वि0स0(तारां0 प्रश्न)–90–01/2018– 643 पटना/दिनांक– 12.03.18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उत्तर की छः प्रतियाँ के साथ उनके ज्ञाप सं0–1390–91, दिनांक–11.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

12/3/2018

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

श्री विजय कुमार खेमका, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा बिहार विधान सभा के चलते/अगामी अधिवेशन में दिनांक–20.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–प्रा0–10

क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ प्रमंडल में तारामंडल एवं विज्ञान केन्द्र नहीं है, जिस कारण प्रमंडल के छात्र–छात्राओं को खगोलीय जानकारी नहीं हो पाती है, यदि हाँ तो सरकार पूर्णियाँ शहर में एक तारामंडल एवं विज्ञान केन्द्र की कबतक स्थापना करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा दरभंगा प्रमंडल में एक तारामंडल एवं गया प्रमंडल में एक तारामंडल सह–सब रीजनल साईंस सेन्टर की स्थापना की जा रही है। सासाराम जिला में एक तारामंडल की स्थापना प्रस्तावित है। इस निमित भूमि हस्तान्तरण के लिए समाहर्ता, सासाराम से अनुरोध किया गया है। पूर्व से पटना में इंदिरा गाँधी साईंस प्लेनेटेरियम संचालित है। पूर्णियाँ प्रमडंल में तारामंडल एवं विज्ञान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः–वि0प्रा0(।।)विधायी 20/2018 779 /पटना,दिनांक– 23-3-018
प्रतिलिपिः– पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक–3562–63 दिनांक–09.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.3.18
सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

श्री विजय कुमार खेमका, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–62

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय में राज्य स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। प्रत्येक प्रखण्ड में 400 मीटर ट्रैकयुक्त स्टेडियम अथवा 300 मीटर ट्रैकयुक्त स्टेडियम अथवा फुटबॉल स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा दी जाती है। जिला मुख्यालय स्तर पर क्रिकेट स्टेडियम निर्माण की कोई योजना संचालित नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि आई. जी. स्टेडियम पूर्णियाँ में डे–नाईट क्रिकेट मैच खेलने के लिए फलड लाईट, पिच, कॉमनटेटर वौक्श, ड्रेसिंग रूम शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं है जिससे राज्य स्तरीय मैच के आयोजन में परेशानी होती है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। उत्तर कंडिका–1 में स्पष्ट की जा चुकी है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त स्टेडियम का आधुनिक सुविधा युक्त कबतक बनाने का विचार रखती है?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। उत्तर कंडिका–1 में स्पष्ट की जा चुकी है।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–187/2018...481.../ पटना, दिनांक ....26.3.../2018

प्रतिलिपि :– श्री विजय कुमार खेमका, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3580–81, दिनांक–09.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री विजय कुमार विजय, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–57

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम नहीं है, यदि हाँ तो सरकार कबतक मुंगेर जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्टेडियम निर्माण की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है। वर्तमान में राजगीर में स्पोर्ट्स एकेडमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक का क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु ₹ 633.00 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है एवं इसके लिए 90.00 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी किया जा चुका है।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–162/2018..353.../ पटना, दिनांक 12.3......./2018

प्रतिलिपि :– श्री विजय कुमार विजय, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3150–51, दिनांक 07.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

1510

श्री विजय कुमार विजय, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–148, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री विजय कुमार विजय, स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला स्थित सदर अस्पताल, मुंगेर का पुरूष वार्ड एवं महिला वार्ड जर्जर है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त वार्ड का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, मुंगेर का भवन मरम्मति योग्य है। पुरूष एवं महिला वार्ड की स्थिति भी सही नहीं है। सदर अस्पताल, मुंगेर के भवन निर्माण के साथ विस्तारीकरण करने की विभागीय स्वीकृति दी जा चुकी है। बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के द्वारा निविदा की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–84/2018 63 (10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13.04.18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2269–70, दिनांक 12.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री विनय बिहारी, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–02.04.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–17

प्रश्नकर्त्ता श्री विनय बिहारी, स.वि.स. प्रश्न संख्या–ईख–17, क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। उत्तर
क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत लौरिया में गन्ना का देशी भाषा में नईहर कहा जाता है यहाँ के किसानों का मुख्य फसल गन्ना है। यहाँ किसान द्वारा लगाया हुआ प्रभेद 98224 का मूल्य लौरिया चीनी मिल द्वारा प्रति क्विंटल 265 रू. दिया जा रहा है। जबकि जिले के अन्य चीनी मिल इसका मूल्य 290 रू. प्रति क्विंटल दे रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चीनी मिल द्वारा गन्ना प्रभेद 98224 का प्रति क्विंटल 290 रू. की दर से भुगतान कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है। गन्ना प्रभेद COPT-98224 एक सामान्य कोटि का गन्ना है। पेराई सत्र 2017–18 के लिए BSMA द्वारा सामान्य प्रभेद के गन्ने के मूल्य का निर्धारण 290रू०/क्विंटल की दर से किया गया है। विभाग द्वारा एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया चीनी मिल को इस प्रभेद के गन्ने का भुगतान BSMA द्वारा निर्धारित दर से करने का निदेश दिया गया है। जिसके अनुपालन में उक्त चीनी मिल द्वारा लिखित undertaking दिया गया है कि COPT-98224 प्रभेद के गन्ने का भुगतान 290रू०/क्विंटल की दर से ही किया जायेगा।

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–1100–29/2018 –1061 /पटना, दिनांक– 6/7/18 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को (पाँच प्रतियों में) उनके पत्रांक–1733–1734 दिनांक–26.03.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/7/18

(नरेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री विनय बिहारी, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या—कला—47

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर—

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि— क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत योगपट्टी प्रखण्ड के लक्ष्मीपुर में एक बड़े तालाब के चारों तरफ ईट की दिवाल उठाकर स्टेडियम का निर्माण कर राशि का बंदरबांट किया गया है, वर्तमान में स्टेडियम के अन्दर तालाब स्थित हैं, यदि हाँ तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कबतक कार्रवाई करने विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत योगपट्टी प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, लक्ष्मीपुर के खेल मैदान में स्वीकृत स्टेडियम निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी की मांग जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण से विभागीय पत्रांक—524, दिनांक—15.05.2017, पत्रांक—64, दिनांक—18.01.2018 एवं पत्रांक—334, दिनांक—09.03.2018 द्वारा की गयी है। जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक—3/प्र. 8—169/2018..360.../ पटना, दिनांक ....12.3..../2018

प्रतिलिपि :— श्री विनय बिहारी, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक—3020—21, दिनांक 06.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री विनय बिहारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–कला–48

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
(1)	क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत चम्पारण के महान विभूति पं0 राजकुमार शुक्ल जिन्होंने गांधी जी को महात्मा नाम दिया तथा निहलों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का काम किया उनके नाम पर एक मात्र शैक्षणिक संस्थान लौरिया प्रखंड अंतर्गत पंचायत राज सिंहपुर सतवरिया के ग्राम सतवरिया में है; यदि हाँ तो सरकार प0 राजकुमार शुक्ल के नाम पर चल रहे महाविद्यालय परिसर में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के माध्यम से प्रतिवर्ष पं0 राजकुमार शुक्ल महोत्सव कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	इस आयोजन के संबंध में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–134 दिनांक–09.03.2018 एवं स्मार पत्रांक–145 दिनांक–14.03.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से प्रतिवेदन की मांग की गयी है। जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत विभाग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सांस्कृतिक कार्य निदेशालय)

ज्ञाप सं0–2 / वि.60–30 / 2018–163 / पटना, दिनांक 19/3 / 2018

प्रतिलिपि :– पांच अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञाप सं0–3022–23 वि0स0, दि0 06.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.18

(तारानन्द महतो वियोगी)
निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–थ–03 का उत्तर :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा, माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग**
1	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत बौलिया पंचायत के वार्ड सं0 7 की सहायिका के पद पर नियुक्ति के लिए [illegible] की संगीता देवी, पति देवानन्द यादव ने 15 जुलाई, 2017 में आवेदन दिया है किन्तु नियुक्ति प्रक्रिया पुरी हो जाने के बाद [illegible] होने के बावजूद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनिहारी उन्हें नियुक्त नहीं कर रही है, यदि हाँ तो सरकार कबतक नियुक्ति का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 1431 दिनांक 25.11.2017 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत बौलिया पंचायत के वार्ड सं0–07 में दिनांक 04.08.2017 को आयोजित आमसभा में आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 की कंडिका–7 के आलोक में सहायिका के पद पर मसो0 आशा कुमारी पति श्रवण कुमार यादव का चयन सर्वसम्मति से किया गया। श्रीमती संगीता देवी पति श्री देवानन्द यादव का आमसभा की तिथि में अष्टम का अंक पत्र अप्राप्त रहने एवं मार्गदर्शिका की कंडिका अनुसार विधवा अभ्यर्थी को ही प्राथमिकता दिए जाने के कारण इनके चयन पर विचार नहीं किया गया।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक– [illegible]10/67-2017/.........4237......... दिनांक – 21/12/2017

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान–सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–7746–47 दिनांक [illegible].11.2017 के क्रम में 4 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 15.12.17
विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग

श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–54

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड में स्टेडियम नहीं है, जबकि उक्त प्रखण्ड अंतर्गत बैरिया पंचायत के मदरसा आवेदिया, बैरिया के अध्यक्ष अपने मैदान में स्टेडियम बनाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर चुके है; यदि हाँ तो सरकार उक्त स्थान पर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, कटिहार से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.17, पत्रांक–1362, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–73, दिनांक–18.01.2018, एवं पत्रांक–453, दिनांक–22.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–175/2018...475../ पटना, दिनांक ....26.3..../2018

प्रतिलिपि :– श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3306–07, दिनांक 08.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

1576

बिहार विधान सभा के वर्तमान सत्र में श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–गृह–172 के लिए उत्तर सामग्री। (7

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी थाना अन्तर्गत सा0– कुतुबपुर के सेवानिवृत्त शिक्षक उपेन्द्र प्रसाद सिंह के साथ 12 सितम्बर, 2017 को दो बजे रात में कामता प्रसाद सिंह नवाबगंज थाना मनिहारी, जिला–कटिहार एवं अन्य 4 ने मारपीट की जो मनिहारी थाना अभियोग संख्या–378 / 17, दिनांक–12.09.2017 धारा–341 / 323 / 325 / 427 / 506 / 34 से संबंधित है;	(1) वस्तुस्थिति यह है कि इस संबंध में मनिहारी थाना में काण्ड संख्या–378 / 17, दिनांक–12.09.2017 धारा–341 / 427 / 506 / 34 भा0द0वि0 दर्ज हुआ है।
(2) क्या यह बात सही है कि पीड़ित ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक, कटिहार के जनता दरबार में दिनांक–09.11.2017, 14.12.2017 को आवेदन भी दिया, लेकिन अबतक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उभय पक्षों के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी के न्यायालय में वाद संख्या–27 / 2018 के अन्तर्गत 107 द0प्र0सं0 में मुख्य अभियुक्त कामता प्रसाद सिंह का नाम छोड़ दिया गया है;	(1) वस्तुस्थिति यह है कि पीड़ित द्वारा दिनांक–09.11.2017 को आवेदन दिया गया है। दिनांक–14.12.2017 का आवेदन अप्राप्त है। दर्ज काण्ड में अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में कामता प्रसाद सिंह की पत्नी रूबी देवी द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य में अपने पति के लीवर रोग से ग्रसित होने के कारण दिनांक–06.09.2017 से दिनांक–15.09.2017 तक दिल्ली में रहकर ईलाज कराने की बात लिखित तौर पर दी गई। प्रमाण के तौर पर दिनांक–06.09.2017 का दिल्ली प्रस्थान एवं दिनांक–15.09.2017 का आगमन टिकट प्रस्तुत किया गया। कामता प्रसाद के अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर गहराई से जाँच करने के बाद निर्णय लिया जाना श्रेयस्कर बताया गया है, जो वर्तमान में अनुसंधानान्तर्गत है। इसके फलस्वरूप धारा–107 द0प्र0स0 में प्राथमिकी अभियुक्त कामता प्रसाद सिंह का नाम अंकित नहीं है। उक्त कांड में प्राथमिकी अभियुक्त पूनम देवी पति संजय मंडल माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं। प्राथमिकी अभियुक्त 1. शेख शेरू इमाम 2. शेख जाफर झारखंड के गोड्डा जेल में बंद हैं, जिसका रिमांड कराने हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। एक अभियुक्त शेख बादल फरार है, जिसको गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार पीड़ित को न्याय दिलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(3) कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

ज्ञापांक :– 3 / वि0स0 50–17 / 2018–3787–/ पटना, दिनांक 7/5/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके संचिकागत ज्ञापांक–986–987, दिनांक–08.03.2018 के प्रसंग में (तीन प्रतियों) सूचनार्थ प्रेषित।

07/05/18

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 3 / वि0स0 50–17 / 2018–3787–/ पटना, दिनांक 7/5/18

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, P–प्रशाखा, गृह विभाग (विशेष शाखा) को सूचनार्थ प्रेषित।

07/05/18

सरकार के उप सचिव

श्री मिथिलेश तिवारी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–छः–13 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता (श्री मिथिलेश तिवारी) सदस्य, बिहार विधान सभा।	उत्तरदाता (श्री सुशील कुमार मोदी) उप मुख्य मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।
1.	क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखण्ड के परसौनी पंचायत के मान टेगराही गाँव में निर्माणाधीन पोलिटेक्नीक कॉलेज के भूखण्ड से अगस्त 2016 में बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किये विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से संवेदक द्वारा 18 आम, 12 महुआ, 2 जामुन, 1 आंवला और तीन कोठी बाँस के पेड़े काट लिए गए है, यदि हाँ तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कार्यपाल अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज के पत्रांक 766, दिनांक 20.08.2016 द्वारा प्रस्तावित बृज किशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक मांग टेगराहीं (पंचायत परसौनी), बैकुण्ठपुर, जिला–गोपालगंज के भू–खंड के अन्तर्गत पड़ने वाले वृक्षों के मूल्यांकन/निलामी के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मांग के आलोक में गोपालगंज वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 1454, दिनांक 08.09.2016 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज को कुल 10 वृक्षों, जिसमें आम के 05 वृक्ष, महुआ के 03 वृक्ष तथा जामुन के 02 वृक्षों का मूल्यांकन कर उनका पातन तथा निलामी अपने स्तर से करने हेतु अनापत्ति दी गई। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज ने अपने पत्रांक 142, दिनांक 01.02.2018 द्वारा सूचित किया है कि गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज के पत्रांक 1454, दिनांक 08.09.2016 के आधार पर 10 वृक्षों का किये गये मूल्यांकन एवं पातन हेतु दी गई अनुमति के आधार पर भवन प्रमंडल के पत्रांक 820, दिनांक 10.09.2016 द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को केवल 10 वृक्षों के पातन संबंधी कार्यादेश दिया गया था। प्राप्त राजस्व रू0 13590/–(तेरह हजार पाँच सौ नब्बे) को सरकारी शीर्ष में जमा कर दिया गया है। संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2018 को किये गये स्थलीय निरीक्षण में पूरे भू–खंड (15 बीघा, 01 कट्ठा, 06 धुर) में पीपल 02, आम 02, शीशम 36 एवं नीम 02 कुल 42 (बियालीस) वृक्ष अभी भी उपलब्ध है।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

ज्ञापांकः–1/बि0वि0स0–22/2018– 879 /प0व0 पटना–15, दिनांक 16.03.18

प्रतिलिपिः– सरकार के प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/बि0वि0स0–22/2018– 879 /प0व0 पटना–15, दिनांक 16.03.18

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–2985–86, दिनांक 06.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/18
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

श्री मो0 जावेद, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा बिहार विधान सभा के 188 वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–09 के उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नेताजी सुभाष इन्स्टीच्यूट आफॅ टेक्नोलॉजी बिहटा के प्रशासन द्वारा अपने छात्रों से अनुपस्थिति एवं अन्य प्रकार के दण्ड के नाम पर अवैध रूप से पैसे की वसूली की जा रही है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि इस विभाग को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । इसी विषय पर एक अन्य माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद द्वारा पूछे गए प्रश्न के कम में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर सामाग्री उपलब्ध कराने के कम मे यह सूचना दी गई है कि नेताजी सुभाष इन्स्टीच्यूट आफॅ टेक्नोलॉजी की कुछ छात्रों से इस प्रकार की शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई हैं परंतु अवैध वूसली के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि मामले को परीक्षा बोर्ड की बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा एवं परीक्षा बोर्ड के निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
2) क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज के जिन पहली या द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों ने उक्त अवैध वसूली का विरोध किया तथा पैसा नहीं जमा किया उनके फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किये जाने कारण सभी छात्र एवं छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया :	आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा उक्त खंड 1 कि सूचना के साथ–साथ यह भी सूचित किया गया है कि नेताजी सुभाष इन्स्टीच्यूट आफॅ टेक्नोलॉजी बिहटा के छात्रों द्वारा पहले दिन की पहले पाली की परीक्षा बाधित हुई । अन्य सभी परीक्षा शांति पूर्वक सम्पन्न हुई।
3) यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इस मामले की जॉच कराकर प्रभावित छात्रों को कब तक न्याय दिलाने का विचार रखती है नही तो क्यों ?	प्रथम खण्ड मे उत्तर अंकित है।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः–वि0प्रा0(।।)विधायी 19/2018 777 /पटना,दिनांक– 23.3.018
प्रतिलिपिः– पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक–3560–61 दिनांक–09.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.3.18
सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

डा0 मो0 जावेद, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–50 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	डा0 मो0 जावेद, माननीय, स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड अन्तर्गत रेफरल अस्पताल, आजादनगर का शिशु स्थितकरण की तीन इकाई वर्ष 2015 में लगाई गई है जो तीन वर्ष बीतने के बाद भी आज तक चालू नहीं किया गया है, यदि हाँ तो क्या सरकार इसकी उचित जाँच कराकर उक्त रेफरल अस्पताल में शिशु स्थितकरण इकाई को चालू कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड अन्तर्गत रेफरल अस्पताल, आजादनगर का शिशु स्थितकरण इकाई माह अगस्त, 2017 से संचालित है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प0–क्यू–04–17/2018 – 329 (12) /पटना, दिनांकः– 06/04/2018

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–1232–33 दिनांक–13.02.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री डॉ० मो० जावेद, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–80

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखण्ड अंतर्गत भोटाथाना पं० के चॉदनी चौक ईलवाबारी में खेल स्टेडियम के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, परन्तु स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ तो सरकार उक्त खेल मैदान से स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, किशनगंज से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1361, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–74, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–461, दिनांक–23.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–201/2018...482.../ पटना, दिनांक ......26.3...... /2018

प्रतिलिपि :– श्री डॉ० मो० जावेद, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–4200–4201, दिनांक–20.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री मुनेश्वर चौधरी, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–21

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– (1) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य बतौर मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, अपने पत्रांक–775 (का0), दिनांक 30.12.2016 द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड में एक स्टेडियम निर्माण संबंधी संकल्प के आलोक में सारण जिलानतर्गत गरखा प्रखण्ड के उच्च विद्यालय रामपुर के मैदान में स्टेडियम निर्माण कराने का अनुरोध किया गया था;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(2) क्या यह बात सही है कि निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण ने अपने ज्ञापांक–188, दिनांक 23.02.2017 को उक्त विद्यालय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, सारण को सूचना उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया था, जो अभी तक अप्राप्त है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार के संकल्प एवं निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण के पत्राचार के आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण से सूचना प्राप्त कर कबतक स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलानतर्गत गरखा प्रखण्ड के उच्च विद्यालय रामपुर के मैदान में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु पुनः विभागीय पत्रांक–201, दिनांक 20.02.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण को स्मारित किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–140/2018.....257/ पटना, दिनांक 26.2/2018

प्रतिलिपि :– श्री मुनेश्वर चौधरी, माननीय स0 वि0 स0, बिहार, पटना/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–2029–30, दिनांक 15.02.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.02.18
निदेशक,
छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री डॉ0 मेवालाल चौधरी, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–61

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत असरगंज प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पत्रांक–1221, दिनांक 21.11.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर से प्रस्ताव की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–362, दिनांक 16.12.2017 द्वारा प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेज दिया गया है, परन्तु अभीतक स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ तो सरकार उक्त प्रखण्ड में कबतक स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिलान्तर्गत असरगंज प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–362, दिनांक 16.12.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में भू–खण्ड विभागीय मानक से कम है, इस कारण स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। मुंगेर जिलान्तर्गत असरगंज प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण हेतु किसी अन्य स्थल पर जिला पदाधिकारी, मुंगेर से प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक–406, दिनांक 16.03.2018 द्वारा की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–181/2018...417.../ पटना, दिनांक ....19/03../2018

प्रतिलिपि :– श्री डॉ0 मेवालाल चौधरी, माननीय स0 वि0 स0, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3578–79, दिनांक 09.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.18

निदेशक,
छात्र एवं युवा कल्याण।

डॉ० मेवालाल चौधरी, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–27, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता डॉ० मेवालाल चौधरी, स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के टेटियाबम्बर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिदिन 4–5 प्रसव और 250 मरीजों का इलाज किया जाता है,	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में भवन की कमी से कार्यालय में ही प्रसव की व्यवस्था की गई है, जिससे महिला मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है,	अस्वीकारात्मक है।
(3)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2007 में वहाँ के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्क्रमित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया गया था, जिसमें प्रसव एवं अन्य सेवा दी जाती है। आज यहाँ महीने में अन्तः कक्ष सेवा अन्तर्गत औसतन 60 से 70 प्रसव कराया जाता है। टेटियाबम्बर प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को तीस बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करने एवं नये भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। अगले वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्ध होने एवं समीक्षोपरान्त भवन निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–19/2018 –75(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1044–45, दिनांक 09.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

डॉ0 मेवा लाल चौधरी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–77

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
खण्ड	डॉ0 मेवा लाल चौधरी स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, मंत्री स्वास्थ्य विभाग
(क)	क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर अनुमण्डल में ए0एन0एम0 शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय वित्तीय वर्ष 2016–2017 में लिया गया है, किन्तु अभी तक उक्त संस्थान खोलने के संबंध में कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, यदि हाँ तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त ए0एन0एम0 शिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	आशिंक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान, हवेली खड़गपुर की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2016–2017 में दी गई है। उक्त संस्थान के भवन निर्माण हेतु बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–28/2016 के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई जिसमें एकल निविदा प्राप्त होने के फलस्वरूप निविदा को निरस्त करते हुये पुनर्निविदा निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–13/2017 के माध्यम से आमंत्रित की गई, जिसमें भी एकल निविदा प्राप्त हुई। न्यूनतम दर दाता के भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निलंबित होने के फलस्वरूप एकल निविदा समिति द्वारा निविदा को निरस्त करते हुये पुनर्निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की गई। फलस्वरूप बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना द्वारा तृतीय बार निविदा 15 मार्च 2018 तक आमंत्रित की जायेगी एवं मई 2018 तक कार्यादेश निर्गत करने का लक्ष्य है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक सं0–6/एन–10–04/2018 - 339(6) पटना दिनांकः–28/04/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–1481–82/वि0स0, दिनांक 22.02.2018 के प्रसंग में 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।.

2. प्रशाखा–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27.4.18

(रवीन्द्र नाथ उपाध्याय)
अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

E:\Sec-6\ Bidhan shbha 2018

श्री मुजाहिद आलम, स०वि०स० द्वारा दिनांक–1.12.17 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–द–15 का उत्तर ।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खण्ड	श्री आबिदुर रहमान, स०वि०स० क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मंगल पाण्डेय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना
1.	क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलता (APHC) में डॉक्टर का पदस्थापन नहीं होने के कारण मरीजों को काफी कठिनाई हो रही है तथा मरीजों को जरूरी दवाइयाँ भी नहीं मिल पा रही है।	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर अनुमोदन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना भेजा गया है। रोस्टर अनुमोदन प्रकियाधीन है तदोपरान्त चिकित्सकों की नियुक्ति कर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलता में पदस्थापित किया जायगा।
2.	यदि उक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अलता में चिकित्सक के पदस्थापन एवं आवश्यक दवाईयों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उक्त खंड के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक –2/क्यू– 168/2017– 1124 (2) पटना, दिनांक 14/12/2017

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकरी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–12450–51 दिनांक:– 15.11.17 के प्रसंग में पांच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रभारी अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–13 को सूचनार्थ प्रेषित ।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D>Sec-2>2017>Sec-2 Question2017

श्री मुजाहिद आलम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–द–108 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री मुजाहिद आलम, माननीय, स०वि०स०	उत्तरदाता श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला का सबसे बड़ा प्रखंड कोचाधामन है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोचाधामन का एम्बुलेंस खराब हो जाने के कारण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हल्दीखोड़ा के एम्बुलेंस से वर्तमान में काम चलाया जा रहा है ?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचाधामन में एम्बुलेंस खराब हो जाने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् चलाये जा रहे एम्बुलेंस के बदले अब एक नया एम्बुलेंस दस दिन पूर्व ही उपलब्ध करा दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोचाधामन में एक नया एम्बुलेंस प्रदान काने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प०–क्यू–04–33/2018 -345(12) /पटना, दिनांकः– 09/04/2018

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–1710–11 दिनांक–05.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री मदन मोहन तिवारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक–01.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज–02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मदन मोहन तिवारी, माननीय स0वि0स0	श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद, बेतिया के स्टेशन चौक से लेकर लाल बाजार तक यथा चौक–चौराहों पर सार्वजनिक डस्टबीन नहीं रहने के कारण सड़कों पर कूड़ा फेंका जाता है, यदि हाँ तो सरकार नगर परिषद, बेतिया के वर्णित स्थल पर कब तक डस्टबीन लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वच्छता सर्वेक्षण के अन्तर्गत आर0सी0सी0 कूड़ादान कुछ जगहों पर लगाया गया था तथा लोहे का डस्टबीन क्रय हेतु नगर निकाय के बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात क्रय करने की कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात क्रय कर उक्त स्थलों पर डस्टबीन लगाया जाएगा।

ज्ञापांक–5न0वि0/वि0स0–03/2018 1532 /न0वि0एवंआ0वि0 /पटना, दिनांकः– 14/3/18

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा के ज्ञाप सं0–903–04 दिनांक–06.02.2018 के प्रसंग में उत्तर सामग्री पांच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, नगर विकास एवं आवास विभाग सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/18

सरकार के उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

श्री मदन मोहन तिवारी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–115 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री मदन मोहन तिवारी, माननीय, स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिला मुख्यालय स्थित महारानी जानकी कुंअर अस्पताल, बेतिया सदर में एक से दो दिन के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य लाभ हेतु न्यू बर्न इन्टेनसीभ केयर यूनिट का उद्घाटन 12 दिसम्बर, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा यात्रा के दौरान किया है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि 12 दिसम्बर, 2017 से 27 दिसम्बर, 2017 के बीच उक्त यूनिट में 39 बच्चे भर्ती हुए जिसमें 1 की मौत तथा 9 को पटना रेफर कर दिया गया था ?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अस्पताल में 39 बच्चे भर्ती हुए थे, जिसमें मृत शिशु की संख्या–03 है एवं उनमें से गंभीर रूप से बीमार शिशुओं की संख्या–09 है जिन्हें पटना/अन्यत्र रेफर किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त यूनिट में बच्चों की बेहतर चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। NBICU (New Born Intensive care unit) को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार निरन्तर कार्यरत है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:–12/प0–क्यू–04–34/2018 343(12) /पटना, दिनांक:– 09/04/2018

प्रतिलिपि:–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–1941–42 . दिनांक–07.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-द-67 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री महेश्वर प्रसाद यादव, माननीय, स०वि०स०	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सरकार के द्वारा स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया है ?	**उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।** वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्य होते हैं :– • प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी–अध्यक्ष • अस्पताल के दूसरे वरिष्ठतम चिकित्सा पदाधिकारी–सदस्य सचिव • प्रखंड प्रमुख– पदेन सदस्य • चिकित्सक, देशी चिकित्सा–सदस्य • स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत एन0जी0ओ0 के एक प्रतिनिधि–सदस्य • अधिसूचित क्षेत्र/शहरी निकाय के सदस्य– सदस्य
2	क्या यह भी बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य समिति में स्थानीय विधायक को नहीं रखा जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी विधायकों को नहीं मिल पाती है,	**उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।** वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की रोगी कल्याण समिति में सदस्य का वर्त्तमान में माननीय स्थानीय विधायक का प्रावधान नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वास्थ्य समितियों में स्थानीय विधायकों को रखना चाहती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:–12/प0–क्यू–04–26/2018 – 336(12)/पटना, दिनांक:– 9/04/2018

प्रतिलिपि:–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–1434–35 दिनांक–22.02.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 9/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

15४

श्री महेश्वर प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–154 का उत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खंड	श्री महेश्वर प्रसाद यादव, माननीय, स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा "आशा मानदेय अध्ययन समिति" का गठन किया गया है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि आशा कार्यकर्त्ताओं को मानदेय राशि प्रोत्साहन राशि आदि का नियमित भुगतान नहीं होने से उन्हें काफी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ?	उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्तमान में आशा को मानदेय दिये जाने का प्रावधान नहीं है। आशा को विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का प्रावधान है। प्रत्येक माह आशा के प्रोत्साहन राशि का भुगतान PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से किया जा रहा है। मानदेय अध्ययन समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आशा कार्यकर्त्ताओं को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:–12/प0–क्यू–04–39/2018 -322(12)/पटना, दिनांक:– 05/04/2018

प्रतिलिपि:–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–2282–83 दिनांक–12.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/18
(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

माननीय मो० नेमतुल्लाह, स० वि० स० द्वारा बिहार विधान सभा के वर्त्तमान सत्र के लिए पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या– वित्त–04 का कंडिका वार उत्तर सामग्री

कंडिका सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय तथा राज्य कर्मियों को गृह निर्माण स्वीकृति के समय मूल केवाला एवं बन्धक पत्र मूल रूप में वित्त विभाग द्वारा जमा करा लिया जाता है।	**उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।** वस्तुस्थिति यह है कि राज्य कर्मियों को गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति के समय संचिका में मूल केवाला की प्रति संलग्न रहने पर मूल केवाला की मूल प्रति एवं बंधक पत्र की मूल प्रति जमा कर लिया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि सन 2000 में श्री मो0 शमीम अख्तर, पूर्व सहायक, विधि विभाग को गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत करते समय मूल केवाला एवं बन्धक पत्र मूल रूप में वित्त विभाग की संचिका संख्या गृ0नि0अ0–10–50/98 में रक्षित कर लिया गया परन्तु मूल धन सूद की राशि वसूली के बाद पत्रांक–94, दिनांक–09.02.18 द्वारा केवल बन्धक पत्र वापस कर यह कह दिया कि मूल संचिका गोदाम में रहने के कारण मूल दस्तावेज लौटाना संभव नहीं है।	**उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।** वस्तुस्थिति यह है कि सन 2000 में श्री मो0 शमीम अख्तर, पूर्व सहायक, विधि विभाग को गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति दी गयी। उक्त गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु उपलब्ध करायी गई संचिका संख्या–प्र०10ए–गृ०नि०अ०–1030/98 में मूल केवाला की हिन्दी अनुवाद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की गई थी। मूल केवाला संचिका में संलग्न नही था। संचिका की जाँच, जाँच दल द्वारा करायी गयी। जाँच दल के प्रतिवेदन में अंकित है कि मूल केवाला समर्पित करने से संबंधित कोई साक्ष्य संचिका में संलग्न नही है (जाँच प्रतिवेदन संलग्न है)। मो0 शमीम अख्तर की गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति से संबंधित संचिका संख्या–प्र०10ए–गृ०नि० अ०–1030/98 में मूल केवाला नहीं रहने के कारण इन्हें मूल केवाला की मूल प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार खंड–(2) में वर्णित संचिका को खोजकर कबतक मूल केवाला लौटाने का विचार रखती है।	**उपर्युक्त खंडो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।**

ज्ञापांक– प्र010/अग्रिम (विविध)–02/2018 343 /वि0(अ0) पटना, दिनांक– 21-6-18

प्रतिलिपि–**प्रशाखा पदा0, बिहार विधान सचिवालय, पटना** के ज्ञापांक–1053–1054 दि0–09.03.18 के आलोक में 10 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.06.18

(शिवतोष सुमन)

सरकार के अवर सचिव, वित्त विभाग।

श्री मो० नेमातुल्लाह, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–132, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री मो० नेमातुल्लाह, स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 में सरकार द्वारा सिवान जिला के बड़हरिया थानान्तर्गत यमुनागढ़ में मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पीटल खोलने का निर्णय लिया गया था परन्तु अबतक इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ तो क्या सरकार यमुनागढ़ में कबतक मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पीटल खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बड़हरिया थानान्तर्गत यमुनागढ़ में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़हरिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे उत्क्रमित किया गया है, जहाँ से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–67/2018 – 71(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2092–93, दिनांक 08.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 11/4/2018

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

माननीय स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम के द्वारा बिहार विधान सभा के चलते/आगामी अधिवेशन में तिथि–06.03.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–पि–07 की उत्तर सामग्री।

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति 2016 एवं 2017 में नहीं दिया गया है, यदि हाँ तो सरकार दो वर्षों से बन्द पड़े छात्रवृत्ति की राशि कब तक देना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2016–17 में प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति में आरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रू० 351.34 लाख (रू० तीन करोड़ इकावन लाख चौंतीस हजार) की राशि 28795 (अठाईस हजार सात सौ पंचानवे) छात्र/छात्राओं के बीच वितरित की गई। वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण करने हेतु शिक्षा विभाग को राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2016–17 हेतु आरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 217 (दो सौ सत्रह) छात्र/छात्राओं के बीच रू० 20.49516 (रू० बीस लाख उनचास हजार पाँच सौ सोलह) मात्र की राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP2-0) के माध्यम से आमन्त्रित किए गये हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.03.2018 है।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–पि०व०/वि०स०–65–06/2018– 811 पटना–15, दिनांक– 05/04/18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2231–32/वि०स० दिनांक–20.02.2018 के प्रसंग में 7 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.4.18

(सुमन सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या गृह–31 का उत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत अंचल उदाकिशुनगंज के अधीन ग्राम रहटा दक्षिणी कब्रिस्तान की घेराबन्दी अभी तक नहीं हो पाई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तु–स्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशुनगंज अंचल में स्थित प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु निर्धारित प्रखंड की प्राथमिकता सूची के क्रमांक–3 पर अंकित है। उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी का कार्य प्रक्रियाधीन है।

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

ज्ञापांक–सी/ए०क्यू०–4417/2018 – 4261, /पटना, दिनांक– 8/5/18

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का ज्ञापांक–351–352, दिनांक–09.02.2018 के आलोक में 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/18
(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–गृह–30

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– (1) क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत अंचल चौसा के अधीन ग्रामीण लौवाल गान पश्चिम के विशुराउत स्थान में देश–विदेश से दूध चढ़ाने एवं पूजा करने हेतु अप्रैल माह में 05 लाख की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, लेकिन भक्तगण की सुरक्षा हेतु चौसा में ओ०पी० नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर ओ०पी० कबतक खोलने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत चौसा थाना के अधीन ग्रामीण लौवालगान पश्चिम के विशुराउत स्थान पर दूध चढ़ाने वाले श्रद्धालु भक्तगण की सुरक्षार्थ चौसा थाना स्तर से 2 (दो) चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को पुलिस पदाधिकारी एवं बल के साथ गश्ती कराते हुए निगरानी करवाई जाती है। प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में दिनांक–13 से 16 तक 04 (चार) दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है। मेला के अवसर पर दो पुलिस पदाधिकारी एवं 2/6 सशस्त्र बल, 20 (बीस) चौकीदार एवं 1/4 महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है। विशुराउत स्थान में अथवा आसपास किसी प्रकार की कोई गंभीर घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है। वर्तमान में उक्त स्थान पर ओ०पी० सृजन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार सरकार
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

ज्ञापांक–2/वि०स०–10–03/2018 गृ०आ० 3272 /पटना, दिनांक 17/4, 2018

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्र सं०–349–350/वि०स० दिनांक 09.02.2018 के प्रसंग में (तीन प्रतियों के साथ)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/पुलिस महानिरीक्षक (बजट/अपील/कल्याण) बिहार, पटना के पत्रांक–388/359203/वि०मं०, दिनांक 10.03.2018 के प्रसंग में/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–पी० गृह (विशेष) विभाग/आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/04/18

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव।

श्री नीरज कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द-91, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह, स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड में बीस वर्ष पहले रेफरल अस्पताल बना था, जो आज जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त अस्पताल का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि रेफरल अस्पताल, छातापुर का भवन जर्जर स्थिति में है एवं परिसर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से आमजन को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छातापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करने एवं नये भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है जो रेफरल अस्पताल के समतुल्य ही है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–50/2018 – 82(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1624–1625, दिनांक 28.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री नीरज कुमार "बब्लू", माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–92, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री नीरज कुमार "बब्लू", स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि सुपौल जिले के बीरपुर अनुमंडल में अवस्थित एल०एन० मिश्रा अनुमंडलीय अस्पताल में भवन एवं कर्मचारी की कमी है, जिसके कारण वहाँ की जनता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक है।
(2)	यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में अतिरिक्त भवन का निर्माण एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल नये अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इसके लिए राशि का प्रावधान भी किया जा चुका है। जिला अन्तर्गत चिकित्सक एवं कर्मचारियों की कमी है। संविदा पर नियोजन हेतु आरक्षण रोस्टर की कार्रवाई राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जा रही है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10 / प्र0(वि0स0) 13–51 / 2018 – 78(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1622–23, दिनांक 28.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

माननीय श्री नीतिन नवीन, स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा के चलते अधिवेशन में तिथि 09.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–द–94 का उत्तर

खण्ड	प्रश्नकर्त्ता श्री नीतिन नवीन, स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय मंत्री स्वास्थ्य, विभाग।
(1)	क्या यह बात सही है कि सेंट्रल टी0बी0 डिवीजन भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन, 2017 के अनुसार राज्य में क्रियान्वित पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किये गये सर्वेक्षण में सभी जिलों में टी0बी0 के मरीजों की संख्या सर्वाधिक है ;	आंशिक स्वीकारात्मक हैं। भारत सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार पूरे भारत में प्रति लाख की आबादी पर टी0बी0 के नये मरीजों की संख्या प्रति वर्ष 211 है। राज्य में वर्तमान टी0वी0 मरीजों की संख्या खोज दर 86 प्रति लाख की दर से कुल 1,00,046 है।
(2)	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में स्वीकृत सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एवं सीनियर टी0बी0 लैब सुपरवाइजर की कमी के कारण टी0बी0 से पीड़ित मरीजों को समय पर सही जानकारी एवं चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा आधारित एस0टी0एस0 के 534 स्वीकृत पदों में से 376 पद एवं एस0टी0एल0एस0 के 223 स्वीकृत पदों में से 78 पद रिक्त हैं।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में स्वीकृत पदों के अनुरूप स्वीकृति सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एवं सीनियर टी0बी0 लैब सुपरवाइजर की नियुक्ति कर टी0बी0 से पीड़ित मरीजों को समय पर समुचित जानकारी एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	सभी जिलों में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेन्स की कारवाई की जा चुकी है। नियुक्ति की कारवाई जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रक्रियाधीन है।

————————————X————————————

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–11/टी0बी0(क्यू०)वि0स0–01/2018–303(11) पटना, दिनांक– 7.4.18

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ज्ञाप संख्या प्र० 1618–1619 वि०स० पटना दिनांक–28.02.2018 के संदर्भ में (पाँच अतिरिक्त प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

D:\BIDHAN SABHA QUS\18th Feb 2018\Bidhan Sabha Answer.docx

श्री नीतिन नवीन, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–114 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री नीतिन नवीन, माननीय, स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में 2015 की तुलना में वर्ष 2017 में जन्म दर 26.3 से बढ़कर 26.8 हो गयी है, यदि हॉं तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण हेतु कौन सा कदम उठाने का विचार रखती हे, नही तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि SRS 2015 के अनुसार बिहार राज्य का जन्म दर 26.3 एवं SRS 2016 के अनुसार जन्म दर 26.8 है। 1- बिहार राज्य के कुल प्रजनन दर को अधिक तेजी से कम करते हुए राष्ट्रीय औसत के लक्ष्य के बराबर लाने के उद्देश्य से बिहार राज्य के पटना जिला को छोड़कर अन्य 37 जिलों, जिनका कुल प्रजनन दर 3 या उससे अधिक है, में "मिशन परिवार विकास" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2- "मिशन परिवार विकास" अन्तर्गत महिला बंध्याकरण हेतु महिला लाभार्थी की प्रोत्साहन राशि रू0 1400/– से बढ़ा कर रू0 2000/–एवं पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी का प्रोत्साहन राशि रू0 2000/– से बढ़ा कर रू0 3000/– कर दिया गया है। वही महिला बंध्याकरण हेतु उत्प्रेरक का उत्प्रेरण राशि रू0 200/– से रू0 300/– एवं पुरूष नसबंदी हेतुं उत्प्रेरक का उत्प्रेरण राशि रू0 300/– से बढ़ा कर रू0 400/– कर दिया गया है। 3- परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत "Basket of Choice" में गर्भनिरोधक सुई (अंतरा) एवं साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली (छाया) को शामिल किया गया है। 4- वर्त्तमान वित्तीय वर्ष परिवार नियोजन की अस्थायी सुविधा के तहत राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों (चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से स्वास्थ्य उपकेन्द्र तक) पर Condom Box को

		अधिष्ठापित किया जा रहा है। 5- परिवार नियोजन सेवा के तहत् गर्भ निरोधक की आपूर्ति निर्बाध रूप से सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों तक सुनिश्चित की गई है। 6- आमजन में परिवार नियोजन की जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिलों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आरोग्य दिवस पर सास–बहू सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। 7- साथ ही जनसंख्या नियंत्रण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के 20 तारीख को पुरूष भागीदारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिवस के बारे में समाचार पत्रों/रेडियो जिंगल के माध्यम से आमजन में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। 8- नव विवाहित जोड़ों को नई पहल किट आशा के माध्यम से वितरित करने की योजना है। नई पहल किट में परिवार नियोजन संबंधी जानकारी के साथ गर्भनिरोधक की उपलब्धता सुनिश्चित किया गया है। 9- प्रसवोपरान्त कॉपर टी (PPIUCD) की सुविधा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जा रही है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प0–क्यू–04–31/2018 – 323(12) /पटना, दिनांकः– 05/04/2018

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–1661–62 दिनांक–01.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

माननीय श्री नीतिन नवीन, स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा के चलते अधिवेशन में तिथि 09.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–द–112 का उत्तर

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
खण्ड	श्री नीतिन नवीन, स0वि0स0	श्री मंगल पाण्डेय मंत्री स्वास्थ्य, विभाग।
(1)	दैनिक समाचार पत्र में दिनांक–30.11.2017 को प्रकाशित शीर्षक "एड्स मरीजों को हर माह 1500 रूपया देना था, तीन साल में मिला एक बार" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में एच0आई0वी0 मरीजों के सही पोषण आदि के लिए हर माह 1500 रूपये बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के माध्यम से देने का निर्णय लिया था, परन्तु आज तक राज्य के एच0आई0वी0 पीड़ित मरीज इस योजना के लाभ से वंचित है, यदि हॉ तो राज्य के ए0आई0वी0 पीड़ित मरीजों को अब तक उक्त योजना के लाभ से वंचित रखने का क्या औचित्य है ?	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक हैं।** **वस्तुस्थिति यह है कि:–** • इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्ता निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार से बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को राशि उपलब्ध करायी जाती है। • अब तक सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्ता निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार से बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को कुल राशि रू0 13,00,00,000/–(रू0 तेरह करोड़) प्राप्त हुई है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है :– **वित्तीय वर्ष** — **प्राप्त राशि (रू0) में** 2014–15 — रू0 1,00,00,000/–(रू0 एक करोड़) मात्र 2015–16 — रू0 1,00,00,000/–(रू0 एक करोड़) मात्र 2016–17 — रू011,00,00,000/–(रू0 ग्यारह करोड़) मात्र **कुल** — **रू0 13,00,00,000/–(रू0 तेरह करोड़) मात्र** • वित्तीय वर्ष 2014–15 में 3785 लाभार्थियों को रू0 1500 प्रति लाभार्थी के आधार पर रू0 56,77,500/–(रू0 छप्पन लाख सतहत्तर हजार पॉच सौ) मात्र की सहायता राशि वितरित की गयी। • बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना के द्वारा समाचार–पत्रों में दो बार विज्ञापन प्रकाशित कराकर एड्स पीड़ितों के बैंक खाता का विवरण प्राप्त किया गया, जिसके उपरांत माह फरवरी, 2018 तक प्राप्त विवरण के आलोक में कुल 20988 एड्स पीड़ित लाभार्थियों के बीच बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना के द्वारा शेष बची राशि (ब्याज सहित) उनके बैंक खाता में हस्तान्तरित करने के लिए रू0 12,59,28,000/–(रू0 बारह करोड़ उनसठ लाख अठ्ठाइस हजार) का Advice संबंधित बैंक को भेज दिया गया है। उक्त राशि के वितरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

————————————X————————————

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–11 / एड्स(वि०स० क्यू०) –02 / 2018–......222......(11) पटना, दिनांक– 5-4-18

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ज्ञाप संख्या प्र० 1665–1666 वि०स० पटना दिनांक–01.03.2018 के संदर्भ में (पाँच अतिरिक्त प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

1487 पूरक के साथ

श्री नीतिन नवीन, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–138 का उत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खंड	श्री नीतिन नवीन, माननीय, स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रतिवर्ष सैकड़ों महिलाएं, सरकारी अस्पतालों में ससमय सुरक्षित एवं समुचित प्रसव की सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से बेवक्त मौत की शिकार हो रही है, यदि हां तो क्या सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के प्रसव की ससमय सुरक्षित एवं समुचित व्यवस्था कराकर मृत्यु में कमी लाने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में 1222 प्रसव केन्द्र (स्वास्थ्य उपकेन्द्र से लेकर जिला अस्पताल तक) कार्यरत है जहाँ सभी गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव की समुचित व्यवस्था की गयी है। • SRS (Sample Registration Survey) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004–2006 में राज्य में मातृ– मृत्यु दर 312 (प्रति एक लाख जीवित बच्चे) था जो वर्ष 2011–13 में घटकर 208 (प्रति एक लाख जीवित बच्चे) हो गया है। • मातृ–मृत्यु को रोकने के लिए जटिल गर्भावस्था वाली माताओं के समुचित इलाज हेतु FRUs (First Referral Units) एवं Medical Colleges में समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। • राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों में व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मातृ–मृत्यु दर को कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :– 1. राज्य में वर्त्तमान में 36 ब्लड बैंक कार्यरत है एवं 9 अन्य ब्लड बैंक को स्थापित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 2. राज्य में अबतक 75 BSUs (Blood Storage Units) की स्थापना की जा चुकी है। 3. वर्ष 2017–18 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल में और 40 Blood Storage Units स्थापित करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 4. सभी FRUs (First Refrreal Units) में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प0–क्यू–04–37/2018– 324 (12) /पटना, दिनांकः– 05/04/2018

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–2144–45 दिनांक–09.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

1487

पूरक सामग्री

प्रसव केन्द्र

जिला अस्पताल	—	37
अनुमंडलीय अस्पताल	—	32
रेफरल अस्पताल	—	59
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	—	434
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	—	334
स्वास्थ्य उपकेन्द्र	—	326
	कुल—	1222

श्री नारायण प्रसाद, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–छः–01 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता (श्री नारायण प्रसाद) सदस्य, बिहार विधान सभा।	उत्तरदाता (श्री सुशील कुमार मोदी) उप मुख्य मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।
1.	क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत उदयपुर वनाश्रयी के 37 प्रजातियों के पौधों का अध्ययन बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकत्ता द्वारा दिसम्बर 2017 में कराया गया है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, हावड़ा द्वारा मात्र 37 प्रजातियों के लिए नहीं अपितु उदयपुर आश्रयणी में उपलब्ध प्रजातियों के सूचीकरण का प्रस्ताव है। 'Flora of Udaipur Wildlife Sanctuary West Champaran, Bihar' का अध्ययन एवं अभिलेखीकरण 2017 से 2019 के बीच तीन सत्रों में किया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 03 नवम्बर, 2017 से 10 नवम्बर 2017 तक द्वितीय सत्र सर्वेक्षण पूर्ण किया गया है। उक्त सर्वेक्षण का तृतीय सत्र अभी लंबित है।
2.	क्या यह बात सही है कि पहचान किए गए सभी पौधों पर उसके नाम का नेमप्लेट लगाकर उनकी विशेषताओं के बारे में उल्लेख किया जाना है, जो अभीतक नहीं किया जा सका है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। संस्थान से प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरांत उक्त प्रतिवेदन का अभिलेखीकरण किया जा सकेगा। नेमप्लेट लगाने का प्रस्ताव वर्त्तमान में विचाराधीन नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वनाश्रणी उदयपुर के चिन्हित पौधों की उपयोगिता का नेम प्लेट पर प्रदर्शित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	संस्थान से प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरांत भविष्य में चिन्हित पौधों पर नेमप्लेट लगाने का कार्य किया जा सकता है।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

ज्ञापांकः–1/बि0वि0स0–08/2018– 878 /प०व० पटना–15, दिनांक 16.03.18

प्रतिलिपिः– सरकार के प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/बि0वि0स0–08/2018– 878 /प०व० पटना–15, दिनांक 16.03.18

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–1281–82, दिनांक 10.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jha 16/3/18
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री नारायण प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा–01 का उत्तर

	प्रश्नकर्त्ता श्री नारायण प्रसाद, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मदन सहनी, माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया प्रखंड के गंडकपार बैजुआ पंचायत के महादलित परिवार राजकली देवी, पार्वती देवी, इंदु देवी, रूदौली देवी, सूरत देवी, बासमति देवी को पिछले 6 माह से जन वितरण दुकान द्वारा राशन–किरासन सामग्री नहीं दी गयी है जिसके विरूद्ध नाराज उपभोक्ताओं ने अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैरिया के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था,	अस्वीकारात्मक है। तारांकित प्रश्न में अंकित नाम जिनमें राजकली देवी, सरली देवी, पार्वती देवी, इन्दु देवी एवं बासमती देवी के द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव प्रतिमाह किया जा रहा है। इन लाभुकों का नाम संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के वितरण पंजी में अंकित है। विगत वर्ष माह जुलाई एवं अगस्त 2017 में गंडक नदी में भीषण बाढ़ आ जाने के कारण उक्त लाभुक के विस्थापित हो जाने की वजह से उनके द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव उक्त माह जुलाई एवं अगस्त, 2017 का नहीं किया जा सका था। वर्तमान में उपरोक्त लाभुकों द्वारा नियमित रूप से अपना खाद्यान्न एवं किरासन तेल प्राप्त किया जा रहा है अन्य दो, सूरज देवी एवं रूदौली देवी का नाम पी0एच0एच0 सूची में अंकित नहीं है।
(2)	क्या यह बात सही है कि गंडकपार दियारा के जन वितरण प्रणाली दुकानदार दो–तीन माह में एक बार एस0ई0सी0सी0 कार्ड धारक उपभोक्ताओं के राशन–किरासन का उठाव कराते हैं,	अस्वीकारात्मक है। प्रखंड बैरिया अन्तर्गत बैजुआ पंचायत के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा प्रतिमाह राशन एवं किरासन का उठाव एवं वितरण सुचारू रूप से किया जा रहा है।
(3)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी जन वितरण दुकान के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापांक–प्र07–वि0 सभा –02/2018– 2828/खाद्य,पटना/दिनांक– 13.06.18
प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक–887–98 दिनांक– 06.02.2018 के आलोक में तीन प्रतियों में/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–9 एवं आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को बिहार विधान सभा को ऑन लाईन उत्तर भेजने हेतु प्रेषित ।

14/6/18
(संगीता सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

श्रीमती प्रेमा चौधरी, माननीय सदस्या, बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–छः–12 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता (श्रीमती प्रेमा चौधरी) सदस्या, बिहार विधान सभा।	उत्तरदाता (श्री सुशील कुमार मोदी) उप मुख्य मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।
1.	क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत पातेपुर विधान सभा क्षेत्र एवं जन्दाहा प्रखण्ड के बुचौली स्थित बरैला झील हजारों एकड़ में अवस्थित है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बरैला झील–चौर एक आद्रभूमि (वेटलैंड) क्षेत्र में अवस्थित है। इस आद्रभूमि का अधिकतम जलप्लावन विस्तार 1000 हेक्टेयर (2500 एकड़) से 1600 हेक्टेयर (4000 एकड़) तक अभिलिखित है।
2.	क्या यह बात सही है कि झील में पचास साल पहले से साइबेरियन पंक्षी ठंड के दिनों में आकर मार्च–अप्रील तक लाखों की संख्या में प्रवास करते हैं;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बरैला झील में 17 प्रजातियों के पक्षी उत्तरी एशिया (साईबेरिया सहित) एवं यूरोप से शरद ऋतु में प्रवास के लिए आते हैं। इनका संख्यात्मक आकलन उपलब्ध नहीं हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त झील का सौन्दर्यीकरण एवं पक्षी बिहार कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	तथ्य यह है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.01.1997 द्वारा बरैला झील में 21 भू–खण्डों जिनका कुल क्षेत्रफल 489.04 एकड़ है, को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत पक्षी आश्रयणी के रूप में घोषित है।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

ज्ञापांक:–1/बि0वि0स0–23/2018– 877 /प0व0 पटना–15, दिनांक 16.03.18

प्रतिलिपि:– सरकार के प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:–1/बि0वि0स0–23/2018– 877 /प0व0 पटना–15, दिनांक 16.03.18

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–2983–84, दिनांक 06.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/18
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री प्रहलाद यादव, स0 वि0 स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –द– 151 का उत्तर

खण्ड	प्रश्नकर्त्ता श्री प्रहलाद यादव, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, बिहार, पटना
1.	क्या यह बात सही है कि बिहार के राजधानी पटना के पी0एम0सी0एच0 एवं एन0एम0सी0एच0 के रक्त अधिकोष में नेट मशीन नहीं है, जबकि प्रदेश के सभी हिस्से के रोगी यहाँ आते है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि एन0एम0सी0एच0, पटना अवस्थित रक्त अधिकोष में **NAT (Nucleic Acid Testing)** मशीन उपलब्ध है, परन्तु पी0एम0सी0एच0, पटना अवस्थित रक्त अधिकोष में इस मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस नेट मशीन के नहीं रहने के कारण एच0आई0भी0, एच0बी0एस0ए0जी0, एच0सी0भी0 रक्त से संबंधित जाँच के लिए मरीजों को दर–दर भटकना पड़ता है और समय पर रोगी का इलाज नहीं हो पाता है ;	स्वीकारात्मक नहीं है। वस्तुतः वर्त्तमान में पी0एम0सी0एच0, पटना अवस्थित रक्त अधिकोष में एच0आई0भी0, एच0बी0एस0ए0जी0, एच0सी0भी0 रक्त ईकाइयों की जाँच **Elisa (Enzyme Linked Immuno Solvent Assay)** मशीन द्वारा की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रोगियों के हित में उक्त अस्पतालों में नेट मशीन लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडो में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। पी0एम0सी0एच0, पटना को **NAT (Nucleic Acid Testing)** मशीन की अधियाचना बिहार मेडिकल चिकित्सा एवं आधारभूत संरचना निगम को भेजने का निदेश दे दिया गया है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक – 15/औ0–19 –02/18 269(13) स्वा0, पटना, दिनांक – 9/4/18

प्रतिलिपि – 1. प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0 – 2276–77 वि0स0 दिनांक – 12.03.2018 के प्रसंग में 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा बिहार विधान सभा के चलते / अगामी अधिवेशन में दिनांक–20.03.2018 को तारांकित प्रश्न सं0–प्रा0–02

क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला में पोलिटेकनिक कॉलेज (सरकारी) नहीं है। :	स्वीकारात्मक
(ख) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत बराप पंचायत के ग्राम सिहार में सरकारी जमीन उपलब्ध है तथा मुख्यालय से मात्र 20 कि0 मी0 की दूरी पर उक्त गॉव अवस्थित है।	उक्त भूमि की उपलब्ता के संबंध में समाहर्ता भोजपुर से विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं है। समाहर्ता के द्वारा अनुशंसित जगदीशपुर अंचल में मौजा – ककिला, थाना सं0–272, खाता सं0–490, खेसरा सं0–2405, 2406,2407,2409 एवं 2410 कुल रकवॉ 5.0 एकड़ भूमि पर पोलिटेकनिक संस्थान के स्थापना हेतु विभागीय सहमति प्रदान की गयी है।
(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उतर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त गॉव के सरकारी जमीन पर कबतक पोलिटेकनिक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?:	उत्तर उपर्युक्त खण्ड में सन्निहित है।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक:–वि0प्रा0(।।)विधायी 01/2018 778 /पटना,दिनांक– 23/3/018
प्रतिलिपि:– पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक–1528–29 दिनांक–12.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.3.18

सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या गृह–65 का उत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत गड़हनी पंचायत के ग्राम गड़हनी उत्तरपट्टी में कब्रिस्तान की घेराबन्दी एवं बिचली पट्टी तथा ग्राम गड़हनी के बागर रोड में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने के कारण असमाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना–जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थानों पर कबतक कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तु–स्थिति यह है कि भोजपुर जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम गड़हनी के बागर रोड में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी पूर्ण है। ग्राम गड़हनी उत्तरपट्टी एवं बिचली पट्टी में अवस्थित कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कण्डिका 6(34) में भी 'कब्रिस्तान की घेराबन्दी योजना' को शामिल किया गया है।

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

ज्ञापांक–सी/ए०क्यू०–4463/2018 3185 /पटना, दिनांक– 19/4/2018

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का ज्ञापांक–482–483, दिनांक–14.02.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/4/18

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

श्रीमती पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, माननीया स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–105

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खण्ड	श्रीमती पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, मंत्री स्वास्थ्य विभाग
(क)	क्या यह बात सही है कि श्रीमती मीना कुमारी, ए0एन0एम0, प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र मटिहाना, प्रखण्ड सोनो, जिला जमुई में पदस्थापित थी, श्रीमती कुमारी के पूर्णिया जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र में पहली नियुक्ति के समय अंकित जन्म तिथि–01.01.1965 थी, इनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि में छेडछाड़ कर 31.12.2014 को 10 वर्ष पूर्व ही सेवा निवृत कर दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है।	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि श्रीमती मीना कुमारी की नियुक्ति ए0एन0एम0 के पद पर वर्ष 1986 में किशनगंज में हुई। नियुक्ति के उपरान्त श्रीमती मीना कुमारी की मूल सेवापुस्तिका में जन्म तिथि– 01.01.1955 अंकित होने के कारण 60 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरान्त उपर्युक्त जन्म तिथि के आधार पर दिनांक–31.12.2014 को सेवानिवृत किया गया।
(ख)	क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना ने पत्रांक–3220, दिनांक–04.08.2015 द्वारा इनकी जन्म तिथि –01.01.1965 को सत्यापित कर अगस्त, 2015 को ही निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को भेज दिया है, इसके बावजूद भी अभी तक विभाग द्वारा पुनः श्रीमती कुमारी को योगदान नहीं दिलाया गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तुत मामलें में वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया है। प्राप्त परामर्श के आलोक में विभाग नियमसंगत निर्णय एक माह के अन्दर ले लेगा।
(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त ए0एन0एम0 को पुनः कब तक योगदान कराना चाहती है, नही तो क्यों ?	उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक सं0–6/एन–10–06/2018 – 307 (6) पटना दिनांकः–17/04/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–1704–1705 वि0स0, दिनांक 05.03.2018 के प्रसंग में 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।.
2. प्रशाखा–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16.4.18

(रवीन्द्र नाथ उपाध्याय)
अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

E:\Sec-6\ Bidhan shbha 2018

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान, माननीया स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-द-106 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान, माननीया, स०वि०स०	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के फलका प्रखंड अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोठिया में महिला वार्ड ओ०पी०डी० कक्ष एवं एम्बुलेंस नहीं है ?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के फलका प्रखंड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोठिया में प्रसव कक्ष, एन०बी०सी०सी० एवं वार्ड-2 बेड तथा ओ०पी०डी० सुविधा संचालित है। वर्त्तमान में एम्बुलेन्स की व्यवस्था अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर प्रावधान नहीं है। वहाँ के मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलका में उपलब्ध एम्बुलेंस से सुविधा दी जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिदिन 300 मरीज इलाज कराने आते हैं ?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि फलका प्रखंड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोठिया में प्रतिदिन औसतन 70 मरीज ईलाज कराने आते हैं। एवं औसतन प्रतिदिन 02 गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में महिला वार्ड ओ०पी०डी० एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः-12/प०-क्यू-04-32/2018 345(12) /पटना, दिनांकः-9.4.2018

प्रतिलिपिः-उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक-1706-1707 दिनांक-05.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी-13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/18

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, माननीया स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–113, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, माननीया स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के फलका प्रखंड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोठिया का भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है एवं चहारदीवारी भी नहीं है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का जीर्णोद्धार एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि फलका प्रखंड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोठिया पुराने भवन में ही संचालित है, जहाँ से आमजनों को स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है एवं स्थानीय विधायक फंड के द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का चाहरदीवारी निर्माण भी कराया जा रहा है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोठिया के पुराने भवन के जीर्णोद्धार हेतु निगम से प्रस्ताव माँगा गया है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10 / प्र०(वि०स०) 13–59 / 2018 – 69(10) स्वा०, पटना, दिनांक:– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1663–1664 दिनांक 01.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री रत्नेश सादा, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–82

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखण्ड के दरौली दक्षिणी पंचायत में खेल मैदान है जहाँ युवा वर्ग भिन्न भिन्न प्रकार के खेल का आयोजन वर्षों से करते चले आ रहे हैं, यदि हाँ तो सरकार उक्त पंचायत के खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, सहरसा से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1376, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–59, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–509, दिनांक–28.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–209/2018..522../ पटना, दिनांक 03.4../2018

प्रतिलिपि :– श्री रत्नेश सादा, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–4642–43, दिनांक–26.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री रत्नेश सादा, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–125, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री रत्नेश सादा, स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के ग्राम पंचायत पड़रिया के ग्राम मैना, वार्ड नं०–2 में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण हेतु पाँच वर्षों से जमीन उपलब्ध है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मैना कार्यरत है, जो मरम्मति योग्य है।
(2)	क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं रहने के कारण गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा हेतु लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है;	अस्वीकारात्मक है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मैना में ए०एन०एम० द्वारा टीकाकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा दी जा रही है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कबतक उक्त ग्राम में उपलब्ध जमीन पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण कराकर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	विहित प्रक्रियानुसार भवन जीर्णोद्धार की जाएगी।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10 / प्र0(वि0स0) 13–68 / 2018 – 74(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2007–08, दिनांक 07.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्रीमती रंजु गीता, माननीया स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0- सामु0- 15

प्रश्नकर्त्ता			उत्तरदाता
श्रीमती रंजु गीता, माननीया स0वि0स0			श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
1	क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत प्रखंड- बाजपट्टी के ग्राम बसहा का तालाब (04 एकड़) और प्रखंड- बोखड़ा के पंचायत बनौल का तालाब (40 एकड़) लगभग है।	1	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त तालाब गाद एवं मिट्टी से भर चुका है जिससे ग्रामीणों को सिचाई एवं अन्य कार्यो में असुविधा होती है.	2	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बाजपट्टी प्रखंड के ग्राम बसहा एवं बोखड़ा प्रखंड के दोनो तालाबों में सालों भर पानी भरा रहता है । वर्तमान में भी उसमें पॉच फीट से अधिक पानी भरा हुआ है तथा उसमें बिना मशीन का उपयोग किये उड़ाही कार्य संभव नहीं है ।
3	क्या उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक वर्णित तालाबों का जीर्णोद्धार एवं उसके चारों और फूटपाथ के साथ पक्का घाटों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यो ?	3	प्रश्न में वर्णित दोनो तालाबों के चारों ओर फूटपाथ एवं पक्का घाटों के निर्माण संबंधी योजना को ग्राम सभा द्वारा मनरेगा वार्षिक कार्य योजना 2018-19 में चयनित किया गया है । तदनुसार मनरेगा मार्गदर्शिका के आलोक में अग्रेतर कारंवाई की जायेगी

पत्रांक 362030 पटना, दिनांक 26/03/2018

ग्रा.वि. 8(वि0स0) 02/2018

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक- 2000-2001 दिनांक- 07.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

550

श्रीमती रंजु गीता, माननीया स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–52

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बोखड़ा प्रखण्ड के ग्राम कुरहर में शेरहा खेल का मैदान अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की सभी अहर्ता रखती है; यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त वर्णित खेल मैदान में अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बोखड़ा प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1365, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–70, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–454, दिनांक– 22.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–173/2018...477../ पटना, दिनांक ...26.3.... /2018

प्रतिलिपि :– श्रीमती रंजु गीता, माननीया स0 वि0 स0, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3302–03, दिनांक 08.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

STQ

श्रीमती रंजु गीता, माननीया स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–53

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखण्ड स्थित आदर्श उच्च विद्यालय, बाचोपट्टी नरहा का खेल का मैदान अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की सभी अहर्ता रखती है; यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त वर्णित खेल मैदान में अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखण्ड स्थित आदर्श उच्च विद्यालय, बाचोपट्टी में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय पत्रांक–239, दिनांक 07.08.2015 द्वारा दी जा चुकी है, परन्तु भूमि मानक से कम होने के कारण स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। अतएव सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखण्ड के किसी अन्य स्थल पर स्टेडियम निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1365, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–70, दिनांक–18.01.2018 एवं पत्रांक–452, दिनांक–22.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–174/2018..488/ पटना, दिनांक 26.3./2018

प्रतिलिपि :– श्रीमती रंजु गीता, माननीया स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3304–05, दिनांक 08.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

1518

श्री राम बालक सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द–133, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्ता श्री राम बालक सिंह, स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड के दक्षिणी छोड़, मुसापुर, मणिकपुर, गंगसारा, खजुरी, धर्मपुर पंचायत की आबादी 60 (साठ) हजार है लेकिन उक्त आबादी के लिए स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सरायरंजन प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र में भुसापुर मणिकपुर, गंगसारा, खजुरी, धर्मपुर पंचायत में स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है।
(2)	क्या यह बात सही है कि धर्मपुर पंचायत के मणिका ग्राम में 11 अक्टूबर, 2011 को 20 डिसमिल जमीन थाना नं०–320, तौजी 3963, महामहिम राज्यपाल के नाम स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने हेतु निबंधित किया गया था;	स्वीकारात्मक है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मणिका ग्राम के उक्त भूमि पर भवन का निर्माण कराकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण विहित प्रक्रियानुसार राशि उपलब्ध होने के उपरान्त की जाएगी। उक्त स्थान पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–66/2018 52 (10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13.04.18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2094–95 दिनांक 08.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

श्री रामविलाश पासवान, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–69

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत पिरपैती प्रखण्ड के महादेव टीकर उच्च विद्यालय स्थित क्रीड़ा–स्थल पर स्टेडियम नहीं रहने के कारण छात्र–छात्राओं को खेलकूद में कठिनाई होती है; यदि हाँ तो सरकार उक्त उच्च विद्यालय स्थित क्रीड़ा–स्थल पर स्टेडियम कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। भागलपुर जिला अंतर्गत पिरपैती प्रखण्ड के सुकदेव रामसुन्दर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खवासपुर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–715, दिनांक–16.03.2017 द्वारा दी जा चुकी है। अतएव एक प्रखण्ड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है। उक्त स्टेडियम निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी की मांग जिला पदाधिकारी, भागलपुर से विभागीय पत्रांक–1379, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–56, दिनांक 18.01.2018 एवं पत्रांक–410, दिनांक 19.03.2018 द्वारा की गयी है।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–186/2018...421.../ पटना, दिनांक 19/03./2018

प्रतिलिपि :– श्री रामविलाश पासवान, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3817–18, दिनांक–14.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

श्री रामविलाश पासवान, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कला–70

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखण्ड के वंशीपुर ग्राम स्थित खेल मैदान में स्टेडियम नहीं रहने के कारण उक्त इलाके के छात्र–छात्राओं को खेलकूद करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है; यदि हाँ तो सरकार उक्त ग्राम के खेल मैदान में स्टेडियम कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, मथुरापुर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–61, दिनांक 25.05.2017 द्वारा दी जा चुकी है। अतएव एक प्रखण्ड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है। उक्त स्टेडियम निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी की मांग जिला पदाधिकारी, भागलपुर से विभागीय पत्रांक–1379, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–56, दिनांक 18.01.2018 एवं पत्रांक– 403, दिनांक 16.03.2018 द्वारा की गयी है।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3 / प्र. 8–184 / 2018...415.... / पटना, दिनांक ....19/03... / 2018

प्रतिलिपि :– श्री रामविलाश पासवान, माननीय स० वि० स०, बिहार, पटना / अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3819–20, दिनांक 14.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

3

बजट सत्र के लिए माननीय डॉ0 राजेश कुमार, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–24 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	स्वीकारात्मक है।
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के पश्चिमी सरोत्तर एवं गोच्छी ग्राम में बिजली का तार विगत् 10 वर्षो से जर्जर है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है, यदि हॉ तो सरकार उक्त गॉव का जर्जर विद्युत तार कब तक बदलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यो?	एनबीपीडीसीएल के सभी जिलान्तर्गत इस तरह के बिजली के जर्जर तार एवं पोल को बदलने का कार्य स्टेट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है। इस संबंध में निविदा प्राप्त हो चुकी है एवं मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है। कार्य का आवंटन मार्च 2018 में कर लिया जायेगा। मई महीने में कार्य प्रारंभ होगा एवं कार्य पूरा करने की अवधि तीन साल है।

13.3.18
एस0एस0पी0 श्रीवास्तव
मुख्य अभि0 (संचा0 एवं सं0)
नॉ0बि0पा0डि0क0लि0, पटना

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञाप संख्या:–प्र0 / वि0स0ता0प्र0–24 / 18 – 1425 पटना, दिनांक:– 24/05/2018

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा के उनके ज्ञाप संख्या 1221–22 दिनांक 13/02/18 के प्रसंग में 5 (पॉच) प्रतियों में / संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

D:/Priyanka/Energy Department/Energy Draft Letter/ Letters

श्री डॉ0 राजेश कुमार, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–294

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सदन में उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा खेल कुद को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2008–10 में प्रत्येक प्रखण्ड में एक स्टेडियम का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2008–09 से मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है।
2. क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला केसरिया प्रखण्ड के पश्चिमी सरोतर 10+2 उच्च विद्यालय में 5 एकड़ जमीन उपलब्ध है तथा स्टेडियम निर्माण की सभी अहर्ताएं मौजूद है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला केसरिया प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, केसरिया में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–37, दिनांक 26.08.08 द्वारा दी जा चुकी है। अतएव एक प्रखण्ड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है। उक्त स्टेडियम निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी की मांग जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से विभागीय पत्रांक 524,दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–1370, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक–65, दिनांक 18.01.2018 एवं पत्रांक–409, दिनांक–16.03.2018 द्वारा की गयी है।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक–3/प्र. 8–185/2018...412.../ पटना, दिनांक ....19/03../2018

प्रतिलिपि :– श्री डॉ0 राजेश कुमार, माननीय स0 वि0 स0, बिहार, पटना/अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमा शंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3586–87, दिनांक 09.03.2018 के प्रसंग में 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.18

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.03.2018 के लिए पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–अ–8 का उत्तरः–

क0	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें किः– क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला का लालगंज प्रखण्ड जो अनुमंडल बनने की सभी अहर्ताए रखता है, को भगवानपुर, पटेढ़ी बेलसर, वैशाली एवं लालगंज प्रखण्डों को मिलाकर, लालगंज को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड/अंचल के पुनर्गठन हेतु "मंत्रियों के समूह" का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, साथ ही, मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु "सचिवों की समिति" गठित है। सचिवों की समिति द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी तथा प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से "सचिवों की समिति" के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है। प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव आने पर विचार किया जा सकेगा।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापांक–18/वि0स0–09–11/2018 सा0प्र0..7092/ पटना 15, दिनांक– 30.5.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–1043–1044 दिनांक–09.03.2018 के आलोक में प्रतिवेदन तीन प्रतियों के साथ/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–13/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.5.18
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

डा0 रामानुज प्रसाद, माननीय स०वि०प० द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–12

खण्ड	प्रश्नकर्त्ता डा0 रामानुज प्रसाद, माननीय स०वि०प०	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री, स्वास्थ्य विभाग
(1)	क्या यह बात सही है कि बिहार में सीसीआईएम के लिए आयुर्वेद निर्वाचन क्षेत्र के चार, होमियोपैथी क्षेत्र के चार और यूनानी के एक सदस्य निर्वाचन दिनांक–17 अगस्त, 2017 को सम्पन्न हुआ था;	(क) आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद् के बिहार राज्य से चार सदस्यों का निर्वाचन दिनांक 17.08.2017 को सम्पन्न हुआ था। (i) केन्द्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद् के बिहार राज्य से आयुर्वेद प्रक्षेत्र के अन्तर्गत चार सदस्यों का निर्वाचन दिनांक 08.12.2017 को सम्पन्न हुआ था। (ii) केन्द्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद् के बिहार राज्य से यूनानी प्रक्षेत्र के अन्तर्गत एक सदस्य का निर्वाचन दिनांक 27.02.2018 को सम्पन्न हुआ था।
(2)	क्या यह बात सही है कि सीसीआईएम के चुनाव में उपयोग होने वाले सीलबंद बैलेट पेपर इनकम टैक्स गोलंबर के पास लावारिस हालत में मिला था, जिसमें धांधली की बू आने पर बिहार से होमियोपैथ से निर्वाचित चार सदस्यों का चुनाव रद्द कर दिया गया था, परन्तु शेष निर्वाचित सदस्यों का चुनाव रद्द नहीं किया गया है;	(क) आंशिक स्वीकारात्मक है। (i) सी०सी०आई०एम० आयुर्वेद प्रक्षेत्र का चुनाव दिनांक 08.12.2017 को सम्पन्न हुआ था। चुनाव के पश्चात सीलबन्द बैलेट पेपर इनकम टैक्स गोलम्बर के पास लाबारिस हालत में मिले थे। ये बैलेट पेपर सी०सी०आई०एम० निर्वाचन कार्यालय पटना को प्राप्त ही नहीं हुये थे। होमियोपैथिक प्रक्षेत्र के निर्वाचन का उपरोक्त मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। (ii) आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा होमियोपैथिक प्रक्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन रद्द किया गया है। आयुर्वेद एवं यूनानी सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में भी अन्तिम निर्णय आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिया जाना है।
(3)	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार में सीसीआईएम के लिए शेष निर्वाचित सदस्यों का भी चुनाव रद्द कर पुनः धांधलीमुक्त निर्वाचन कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट दी गई है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक – 16/क्यू.1–06/2018– 536 (आ० नि०) **/पटना, दिनांक** –13·04·2018

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2531–33, दिनांक 14.03.2018 के प्रसंग में पाँच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

D:\Setu D.E.O\Irshad\Vidhan Sabha Ques..docx

श्री राज कुमार राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–68, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री राज कुमार राय, स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मगलगढ़ का भवन विगत 15 वर्षों से पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, जिससे मरीजों को कठिनाई होती है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगलगढ़ का चिकित्सक एवं कर्मियों का आवास क्षतिग्रस्त है । अस्पताल का भवन ठीक है। यहाँ मरीजों का इलाज किया जा रहा है।
(2)	क्या यह बात सही है कि भवन जर्जर होने के कारण उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत चिकित्सक एवं कर्मी को भी अपनी ड्यूटी करने में हमेशा भवन गिरने का भय बना रहता है;	अस्वीकारात्मक है। उक्त भवन में चिकित्सक एवं कर्मी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं ।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगलगढ़ के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	राशि उपलब्ध होने पर विहित प्रक्रियानुसार चिकित्सक एवं कर्मी के आवास का निर्माण/जीर्णोद्धार करायी जाएगी।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–37/2018 – 77(10) स्वा0, पटना, दिनांक:– 13-4-2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1469–70, दिनांक 22.02.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार विधान सभा के वर्तमान सत्र में श्री रामदेव राय, स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–गृह–222 के लिए उत्तर सामग्री।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस संशोधन विधेयक, 2007 में ही पारित किया गया था ;	(1) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार पुलिस अधिनियम–2007 पारित किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त संशोधन बल वायरलेस सेट को मजबूत करने की दिशा में, थाने को पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के साथ–साथ कानून एवं व्यवस्था के लिए तथा निरीक्षण कार्य के लिए अलग–अलग प्रावधान किया गया था, जो अब तक लागू नहीं किया जा सका है, जिससे कानून एवं व्यवस्था में कठिनाई होती है ;	(2) वस्तुस्थिति यह है कि वायरलेस सेट को मजबूत करने हेतु वायरलेस का चरण–बद्ध तरीके से क्रय किया जा रहा है। बिहार के सभी थानो में अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था के कार्यो को अलग–अलग किया जा चुका है। यह व्यवस्था लागू होने के पश्चात् निर्धारित मानक के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल के सृजन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त संशोधन के आलोक में वांछित संसाधन की व्यवस्था कब तक कराने का विचार रखती है?	(3) कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

ज्ञापांक :– 3/वि०स० 50–30/2018–3570–/पटना, दिनांक 26-04-18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उत्तर प्रतिवेदन (तीन प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

अनु0–यथोक्त

26/04/18

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/वि०स० 50–30/2018–3570–/पटना, दिनांक 26-04-18

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, P–प्रशाखा, गृह विभाग (विशेष शाखा), गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26/04/18

सरकार के उप सचिव

श्री राजेन्द्र कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 अनु0–12

	बिहार विधान सभा के आगामी अधिवेशन के लिए श्री राजेन्द्र कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 अनु0–12	श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना का उत्तर।
	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को छात्रवृति के जगह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चार लाख तक का लोन देने का प्रावधान है, परन्तु स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा मात्र कुछ छात्रों को ही लाभान्वित किया जा सका है, यदि हाँ तो क्या सरकार तकनीकी संस्थाओं में पढने वाले छात्रों सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृति पूर्व की तरह देने का विचार रखती है ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि • राज्य सरकार ने संकल्प संख्या–3098 दिनांक–20.12.2017 के आलोक में संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 द्वारा निर्धारित दर पर DBT के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति दी है। • इसी प्रकार प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत् वर्ष 2015–16 तक नामांकित एवं अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को नामांकन वर्ष में स्वीकृत शिक्षण एवं अनिवार्य शुल्कों की राशि एवं भुगतान की गई राशि की अन्तर राशि की शेष पाठ्यक्रम अवधि के लिए स्वीकृति तथा प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत् स्वीकृत राशि का भुगतान DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति संकल्प संख्या–386 दिनांक–15.02.2018 द्वारा दी गई है। • वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र National Scholarship Portal Version 2.0 (NSP-2.0) के वेबसाईट https://scholarships.gov.in पर उपलब्ध है। ऑन लाईन आवेदन करने की तिथि–20, मार्च 2018 है। • तकनीकी संस्थाओं में पढ़नेवाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को छात्रवृति दी जा रही है।

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञापांक–5/निदे0 बि0वि0स0(तारां प्रश्न)–175–03/2018 1597 दिनांक–29.06.18

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उत्तर की छः प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0–3008–09 दिनांक–06.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

29/6/2018

सरकार के अवर सचिव

श्री राजू तिवारी, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–15

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज प्रखंड अन्तर्गत सोमेश्वर महादेव मंदिर में सावन एवं अन्नत चतुर्दशी मेला में लाखों श्रद्धालु आते हैं यदि हां तो क्या सरकार उक्त स्थल पर महोत्सव कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्रतिवेदन की मांग की गई है जो अभी अप्राप्त है। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में 30 स्थलों पर महोत्सव का आयोजन जिला पदाधिकारी के सहयोग से कराया जाता है, जिसमें अरेराज सम्मिलित नही है। जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–15/18...573...... पटना, दिनांक...15-3-18

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–1573–74 दिनांक 27.02.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

श्री राम विशुन सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–लघु–44 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
" क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड में असनी नदी में सुल्तानपुर एवं चीरापुर के बीच एवं ककिला बाहा के बहुआरा में बांध नहीं है, जिससे सोन नहर का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचाता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त नदी पर बांध बंधवाकर पानी निकासी हेतु पईन बनवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के असनी नदी में सुल्तानपुर एवं चीरापुर ग्रामों के बीच बांध निर्माण कर सिंचाई सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षणोंपरांत पाया गया है कि बांध निर्माण के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में जलप्लावन की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अतः यह योजना तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं है। ककिला बाहा के बहुआरा में बांध बनाकर पईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु लघु जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। सर्वेक्षणोंपरांत विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार कर कार्यान्वयन की दिशा में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 11/वि0स0–02–13/2018 ....1323.........पटना/दिनांक ....10.4.2018........

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक –2287–88 दिनांक 13.03.2018 के प्रसंग में तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चन्द्रमा प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना